सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2020–21

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2020–21

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2020–21

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सार–संक्षेप	04
2	महाविद्यालयों की संख्या	05
3	विभाग का संगठनात्मक ढांचा	06
4	स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	07
5	राजकीय महाविद्यालयों में पदों का विवरण	08–11
6	विभाग के प्रमुख कार्यों के विरुद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं विगत 5 वर्षों की तुलना	12
7	वित्तीय प्रबन्धन	13
8	विद्यार्थियों का नामांकन	14–15
9	विश्वविद्यालयवार सम्बद्ध सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों का विवरण	16
10	महिला शिक्षा	17
11	जैण्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग	18–19
12	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं	20
13	छात्रवृत्तियाँ एवं प्रोत्साहन योजनाएं	21–22
14	आलोच्य वर्ष की विशेष पहल और उपलब्धियां	23–25
15	वर्ष 2020–21 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	26–27
16	नियुक्तियाँ, पदोन्नतियाँ, वेतनमान, प्रशिक्षण तथा शोध	28
17	उच्च शिक्षा में गुणात्मक विकास एवं नवाचार	29–31
18	प्रभावी प्रबन्धन	32
19	चुनौतियाँ एवं संकल्पनाएं	33
20	भावी योजनाएं (वर्ष 2021–22)	34
21	शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय	35–36

22	एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर	37–41
23	राष्ट्रीय सेवा योजना	42–44
24	राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जयपुर	45–46
25	राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर	47–50
26	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	51–54
27	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	55–57
28	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	58–60
29	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	61–62
30	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	63–64
31	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	65–68
32	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	69–70
33	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर	71–73
34	राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	74–75
35	महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर	76–77
36	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	78–79
37	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा	80–81
38	हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर	82–83
39	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर	84–85
40	परिशिष्ट–1 राज्य के विश्वविद्यालयों व विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं की सूची	86–88
41	परिशिष्ट–2 महाविद्यालयों की जिलेवार संख्या एवं विद्यार्थी नामांकन	89–90
42	परिशिष्ट–3 जिलेवार महाविद्यालयों की संख्या	91
43	परिशिष्ट–4 जिलों में श्रेणीवार विद्यार्थी नामांकन	92

सार–संक्षेप

उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान में सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का प्रबन्धन करता है। देश की स्वतन्त्रता के समय राज्य में मात्र 7 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय थे, परन्तु पिछले सात दशक में अब यह संख्या लगभग दो सहस्र से अधिक हो गयी है।

राजस्थान में उच्च शिक्षा के तीव्र गति से हुए प्रसार के फलस्वरूप आज प्रदेश में सामान्य शिक्षा के कुल 2198 महाविद्यालय हैं जिनमें से 322 राजकीय महाविद्यालय, 16* राजकीय विधि महाविद्यालय, 1852 निजी महाविद्यालय, 2 स्ववित्तपोषी संस्थाएं तथा 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा विभाग के कार्य–क्षेत्र में विभिन्न शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों की कुल संख्या 1407 है। 27 राज्य–वित्तपोषित विश्वविद्यालय में से 14 विश्वविद्यालय एवं निजी क्षेत्र के 51 विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। राज्य में 7 विश्वविद्यालयवत् संस्थाएं हैं। राज्य की उच्च शिक्षा संस्थाओं में लगभग 18 लाख नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थी नामांकित हैं।

महाविद्यालयों का प्रशासन एवं प्रबन्धन

- राज्य में उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार संबंधी कार्यों को सम्पादित करने का उत्तरदायित्व आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर का है। वर्तमान में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। आयुक्त कार्यालय जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल के चतुर्थ ब्लॉक में अवस्थित है।
- राज्य में संचालित राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के प्रशासनिक, शैक्षणिक, सहशैक्षणिक विकास एवं वित्तीय कार्यों का प्रशासनिक नियन्त्रण करने हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर के अतिरिक्त 7 क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर एवं भरतपुर में संचालित हैं।
- राज्य में सामान्य उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या निम्नानुसार हैः–

विश्वविद्यालय	14
निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय	51
राजकीय महाविद्यालय (16 विधि महाविद्यालयों सहित)	338*
निजी, निजी सहभागिता व स्ववित्तपोषी महाविद्यालय	1860
विभिन्न शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय	1407**

(*राज.विधि महा., डूंगरपुर बीसीआई से मान्यता प्राप्त होने पर प्रारम्भ किया जा सकेगा, **विभिन्न शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों का विस्तृत विवरण पृष्ठ संख्या–35–36 पर, विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं की सूची परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध)

महाविद्यालयों की संख्या

- आयुक्तालय के नियंत्रण में तालिका–1 के अनुसार 2198 उच्च शैक्षणिक संस्थाएं हैं।

तालिका–1 राजस्थान में सामान्य उच्च शिक्षा के महाविद्यालय (वर्ष 2020–21)

क्रम संख्या	संस्थाएं	महाविद्यालय		कुल
		सहशिक्षा	महिला	
1.	राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा व महिला शिक्षा)	262	60	322
	राजकीय विधि महाविद्यालय	16*	0	16
2	सामान्य शिक्षा के निजी महाविद्यालय	1318	461	1779
	विधि शिक्षा के निजी महाविद्यालय	69	04	73
3	स्ववित्तपोषी योजना के महाविद्यालय	01	01	02
4	निजी सहभागिता महाविद्यालय (पी.पी.पी.)	02	04	06
	योग	**1668**	**530**	**2198**

(*राज.विधि महा., डूंगरपुर बीसीआई से मान्यता प्राप्त होने पर प्रारम्भ किया जा सकेगा)

तालिका–2

महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि

वर्ष	राजकीय	निजी	योग
2000–2001	–	6	6
2001–2002	–	14	14
2002–2003	–	42	42
2003–2004	–	175	175
2004–2005	3	228	231
2005–2006	–	115	115
2006–2007	3	160	163
2007–2008	3	107	110
2008–2009	4	98	102
2009–2010	0	112	112
2010–2011	1	281	282
2011–2012	–	143	143
2012–2013	2	113	115
2013–2014	27	119	146
2014–2015	8	96	104
2015–2016	8	112	120
2016–2017	12	90	102
2017–2018	17	130	147
2018–2019	28	110	138
2019–2020	40*	89	129
2020–2021	48**	199	247

(*राज.विधि महा., डूंगरपुर बीसीआई से मान्यता प्राप्त होने पर प्रारम्भ किया जा सकेगा, ** 09 राज्याधीन किये गये महाविद्यालयों सहित)

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

आयुक्तालय स्तर पर

क्र.सं.	पदनाम
1	आयुक्त
2	निदेशक अकादमी
3	अतिरिक्त आयुक्त
4	संयुक्त निदेशक
5	उपनिदेशक
6	वित्तीय सलाहकार
7	उप विधि परामर्शी
8	समन्वयक (युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ)
9	सहायक निदेशक
10	सहायक आचार्य/सह आचार्य
11	संस्थापन अधिकारी
12	निजी सचिव
13	वरिष्ठ विधि अधिकारी
14	मुख्य विधि सहायक
15	एनालिस्ट–कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)
16	लेखाधिकारी
17	सहायक लेखाधिकारी
18	सहायक सांख्यिकी अधिकारी

महाविद्यालय स्तर पर

क्र.सं.	पदनाम
1	प्राचार्य (स्नातकोत्तर)
2	प्राचार्य (स्नातक)
3	उपाचार्य
4	व्याख्याता/सहायक आचार्य/सह आचार्य
5	शारीरिक शिक्षक
6	पुस्तकालयाध्यक्ष
7	लेखाधिकारी
8	प्रशासनिक अधिकारी
9	सहायक लेखाधिकारी
10	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक
11	प्रयोगशाला सहायक
12	अनुदेशक
13	प्रोग्रामर
14	अनुसन्धान सहायक

स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण

➢ विभाग में स्वीकृत पद* (आई.एफ.एम.एस.), कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण तालिका 3 एवं 4 में उपलब्ध है:

- निर्देशन एवं प्रशासन (आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर एवं 6 क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा)

तालिका–3

क्र. सं.	पद	स्वीकृत पदों की संख्या*	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	आयुक्त	1	1	0
2	अतिरिक्त आयुक्त	1	1	0
3	निदेशक (अकादमी)	1	0	1
4	संयुक्त निदेशक	4	3	1
5	उप निदेशक	3	3	0
6	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
7	उप विधि परामर्शी	1	1	0
8	समन्वयक(युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ)	1	1	0
9	सहायक निदेशक	11	11	0
10	सहायक आचार्य/सह आचार्य	10	16	–6
11	संस्थापन अधिकारी	3	3	0
12	निजी सचिव	2	2	0
13	वरिष्ठ विधि अधिकारी	3	0	3
14	एनालिस्ट–कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक)	1	1	0
15	लेखाधिकारी	4	4	0
16	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	3	3	0
17	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	2	2	0
18	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0
19	अतिरिक्त निजी सचिव	4	4	0
20	निजी सहायक	4	2	2
21	शीघ्रलिपिक	2	0	2
22	कनिष्ठ लेखाकार	7	7	0
23	प्रोग्रामर	1	1	0
24	प्रशासनिक अधिकारी	3	3	0
25	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	4	0
26	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	17	12	5
27	वरिष्ठ सहायक	35	11	24
28	कनिष्ठ सहायक	31	31	0
29	मशीन मैन	2	2	0
30	प्रयोगशाला सहायक	1	0	1
31	वाहन चालक	3	3	0
32	जमादार	1	1	0
33	दफ्तरी	2	2	0
34	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	25	16	9
	योग	**195**	**153**	**42**

राजकीय महाविद्यालयों में पदों का विवरण

तालिका–4

क्र. सं.	पद	वर्तमान स्वीकृत पदों की संख्या	नियमित कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या
1	प्राचार्य	292	27	265
2	उपाचार्य	48	48*	00
3	सहायक आचार्य/सह आचार्य	6939	4367	2572
4	शारीरिक शिक्षक	272	29	243
5	पुस्तकालयाध्यक्ष	274	29	245
6	कनिष्ठ व्याख्याता	03	02	01
7	व्याख्याता बी.एड.	37	16	21
8	क्यूरेटर	01	00	01
9	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	275	102	173
10	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	22	13	09
11	अतिरिक्त निजी सचिव	01	01	00
12	निजी सहायक	06	02	04
13	आशुलिपिक	112	05	107
14	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	22	04	18
15	प्रशासनिक अधिकारी	06	03	03
16	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	166	72	94
17	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	163	99	64
18	वरिष्ठ सहायक	350	86	264
19	कनिष्ठ सहायक	657	450	207
20	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	57	27	30
21	प्रयोगशाला सहायक	787	376	411
22	प्रयोगशाला परिचारक	535	87	448
23	जमादार	39	02	37
24	दफ्तरी	10	02	08
25	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/चौकीदार	1235	558	677
26	बुकलिफ्टर	333	77	256

27	माली	08	01	07
28	एनिमल केचर	17	08	09
29	फर्राश	04	02	02
30	मैकेनिक	16	15	01
31	गैसमेन	15	15	00
32	तबला वादक	25	14	11
33	कलाकार	03	01	02
34	मेट्रन	08	03	05
35	विद्युतकार	02	02	00
36	सैक्शन कटर	02	02	00
37	वाहन चालक	03	00	03
38	मशीनमैन	01	00	01
39	तकनीकी सहायक	06	01	05
40	टैक्सी डरमिस्ट	03	02	01
41	पम्प चालक	03	02	01
42	कार्टोग्राफर	03	00	03
43	अजायबघर रक्षक	08	08	00
44	अनुदेशक	03	02	01
45	स्टूडियो सहायक	02	01	01
46	सूचना सहायक	21	09	12
47	कनिष्ठ लेखाकार	06	05	01
48	डेयरी सुपरवाईजर	01	01	00
49	फार्म सुपरवाईजर	01	01	00
50	वाद्ययंत्र अवधाता	01	01	00
51	वर्कशाप सहायक	01	00	01
52	फील्डमैन	01	01	00
53	प्रूफ रीडर	01	01	00
54	लिपिक/टाईम कीपर	02	00	02
55	अनुसंधान सहायक	04	02	02
56	इन्टरप्रेटर	03	00	03
	योग	**12816**	**6584**	**6232**

(* 44 प्राचार्य पद के, 03 आयुक्तालय में संयुक्त निदेशक पद के व 01 सहायक निदेशक पद के विरूद्ध)

राजकीय महाविद्यालयों में बजटवार विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत पदों (आईएफएमएस) का विवरण

तालिका–5

क्र.सं.	पद	राजकीय महाविद्यालय	कन्या महाविद्यालय	टी ए डी जनजाति महाविद्यालय	अनुसूचित जाति महाविद्यालय	विधि महाविद्यालय	योग
1	**प्राचार्य**	**172**	**56**	**27**	**21**	**16**	**292**
2	उपाचार्य	39	07	02	00	00	48
3	सहायक आचार्य/सह आचार्य	**4810**	**1296**	**526**	**160**	**147**	**6939**
4	**शारीरिक शिक्षक**	**155**	**54**	**26**	**21**	**16**	**272**
5	**पुस्तकालयाध्यक्ष**	**157**	**54**	**26**	**21**	**16**	**274**
6	कनिष्ठ व्याख्याता	03	00	00	00	00	03
7	व्याख्याता बी.एड.	29	00	08	00	00	37
8	क्यूरेटर	01	00	00	00	00	01
9	**सहायक लेखाधिकारी–प्रथम**	**172**	**54**	**28**	**20**	**01**	**275**
10	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	04	02	00	01	15	22
11	अतिरिक्त निजी सचिव	01	00	00	00	00	01
12	निजी सहायक	05	01	00	00	00	06
13	**आशुलिपिक**	**71**	**16**	**11**	**13**	**01**	**112**
14	सहा. पुस्तकालयाध्यक्ष	18	02	02	00	00	22
15	प्रशासनिक अधिकारी	05	01	00	00	00	06
16	**अति. प्रशासनिक अधिकारी**	**96**	**33**	**18**	**18**	**01**	**166**
17	**सहा. प्रशासनिक अधिकारी**	**110**	**25**	**10**	**03**	**15**	**163**
18	**वरिष्ठ सहायक**	**211**	**62**	**35**	**26**	**16**	**350**
19	**कनिष्ठ सहायक**	**422**	**117**	**59**	**42**	**17**	**657**
20	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	49	03	05	00	00	57
21	**प्रयोगशाला सहायक**	**541**	**161**	**64**	**21**	**00**	**787**
22	**प्रयोगशाला परिचारक**	**340**	**122**	**52**	**21**	**00**	**535**
23	जमादार	27	09	03	00	00	39
24	दफ्तरी	06	03	01	00	00	10
25	**च.श्रे.क./चौकीदार**	**809**	**244**	**130**	**49**	**03**	**1235**
26	**बुकलिफ्टर**	**229**	**37**	**30**	**21**	**16**	**333**
27	माली	08	00	00	00	00	08
28	एनिमल केचर	13	03	01	00	00	17
29	फर्राश	04	00	00	00	00	04
30	मैकेनिक	11	02	03	00	00	16
31	गैसमेन	11	02	02	00	00	15
32	तबला वादक	10	13	02	00	00	25
33	कलाकार	03	00	00	00	00	03

34	मेट्रन	01	07	00	00	00	08
35	विद्युतकार	02	00	00	00	00	02
36	सैक्शन कटर	02	00	00	00	00	02
37	वाहन चालक	03	00	00	00	00	03
38	मशीनमैन	00	00	01	00	00	01
39	तकनीकी सहायक	04	00	02	00	00	06
40	टेक्सी डरमिस्ट	03	00	00	00	00	03
41	पम्प चालक	02	00	01	00	00	03
42	कार्टोग्राफर	01	00	02	00	00	03
43	अजायबघर रक्षक	07	00	01	00	00	08
44	अनुदेशक	01	00	02	00	00	03
45	स्टूडियो सहायक	02	00	00	00	00	02
46	**सूचना सहायक**	**05**	**01**	**04**	**11**	**00**	**21**
47	कनिष्ठ लेखाकार	04	02	00	00	00	06
48	डेयरी सुपरवाईजर	01	00	00	00	00	01
49	फार्म सुपरवाईजर	01	00	00	00	00	01
50	वाद्ययंत्र अवधाता	01	00	00	00	00	01
51	वर्कशॉप सहायक	01	00	00	00	00	01
52	फील्डमैन	00	00	01	00	00	01
53	प्रूफ रीडर	01	00	00	00	00	01
54	लिपिक/टाईम कीपर	00	02	00	00	00	02
55	अनुसंधान सहायक	01	00	03	00	00	04
56	इन्टरप्रेटर	03	00	00	00	00	03
	योग	**8588**	**2391**	**1088**	**469**	**280**	**12816**

पद	स्वीकृत पदों की संख्या
(अ) शैक्षणिक स्टाफ (राजपत्रित)	**8343**
प्राचार्य	**292**
उपाचार्य	**48**
आचार्य	**477**
सहायक आचार्य/सह आचार्य	**6939**
व्याख्याता बी.एड.	**37**
क्यूरेटर	**01**
शारीरिक शिक्षक	**272**
पुस्तकालयाध्यक्ष	**274**
कनिष्ठ व्याख्याता	**03**
(ब) अशैक्षणिक स्टाफ	**4950**
योग	**13293**

विभाग के प्रमुख कार्यों के विरुद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत पांच वर्षों से तुलना

क्र. सं.	मद / विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	नवीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना	01	03	05	00	00
2	नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना	12	17	28	40*	48**
3	नवीन निजी महाविद्यालयों की स्थापना	90	130	110	89	199
4	पुनर्गठित राजकीय महाविद्यालयों का एकीकरण	0	0	0	0	01
5	स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नयन	05	10	09	02	10
6	स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारम्भ	19	53	61	02	17
7	स्नातक स्तर पर नवीन विषय प्रारम्भ	13	17	19	07	10
8	नवीन संकाय प्रारम्भ	03	08	09	0	18
9	भवन निर्माण हेतु राशि आवंटित महाविद्यालय	40	16	10	40	34
10	नियुक्तियां –व्याख्याता / सहायक आचार्य	0	112	925	76	07
11	नियुक्तियां–अन्य पदों पर (लिपिक–द्वितीय / कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)	12	19	140	20	290
12	विद्यार्थी–नामांकन	932094	1061924	1116322	1196501	1259481
13	नवीन पदों का सृजन	314	524	804	875	501

(*राज.विधि महा., डूंगरपुर बीसीआई से मान्यता प्राप्त होने पर प्रारम्भ किया जा सकेगा, ** 09 राज्याधीन किये गये महाविद्यालयों सहित)

वित्तीय प्रबन्धन

वित्तीय प्रबन्धः

- उच्च शिक्षा विभाग में वित्त प्रबन्धन राज्य के राज्य निधि मद (पूर्व दायित्व/योजनाएं), केन्द्र प्रवर्तित योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आदि के माध्यम से किया जाता है।

तालिका–6: उच्च शिक्षा विभाग का स्वीकृत बजट वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

क्र.सं.	मद	योजनाएं राज्य निधि	पूर्व दायित्व राज्य निधि	योग
1	आयुक्तालय	64.80	1787.32	1852.12
2	महाविद्यालय–पुरुष	8560.20	63530.31	72090.51
3	महाविद्यालय–महिला	3806.66	18184.27	21990.93
4	महाविद्यालय–टी.ए.डी.	1333.15	3384.05	4717.20
5	छात्रवृत्तियाँ	1.00	00	1.00
6	महाविद्यालय–अनुसूचित जातियों के लिए (मय बुक बैंक)	1292.60	00	1292.60
7	मुख्यमंत्री उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति योजना	3450.00	00	3450.00
8	महाविद्यालय भवन	2386.01	00	2386.01
9	युवा विकास	0.02	00	0.02
10	विधि महाविद्यालय	00	1294.64	1294.64
11	राष्ट्रीय सेवा योजना–राज्य	0.01	00	0.01
12	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	40.00	00	40.00
13	निजी सहभागिता के नवीन महाविद्यालय	100.05	00	100.05
14	विभाग की नवीन योजनाएं/नवाचार	0.01	00	0.01
15	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	10614.13	00	10614.13
16	मेधावी छात्रा स्कूटी योजना	650.00	00	650.00
	योग	**32298.64**	**88180.59**	**120479.23**

- महाविद्यालय जनप्रतिनिधियों, दानदाताओं व अन्य राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत भी विभिन्न प्रकार की सहायता प्राप्त कर अपने संसाधनों व सुविधाओं का विकास करते हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं जैसे– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आई.सी.एच.आर, आई.सी.एस.एस.आर. आदि से शोध कार्य हेतु महाविद्यालयों/संकाय सदस्यों को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

विद्यार्थियों का नामांकन

➢ राज्य में संचालित उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में 2020–21 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का नामांकन विवरण तालिका–7 पर उपलब्ध है।

तालिका–7: वर्ष 2020–21 में सामान्य शिक्षा में नामांकन की स्थिति[1]

(विश्वविद्यालय के विभागों व संघटक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं, तकनीकी, बी.एड. और संस्कृत शिक्षा को छोड़कर)

विवरण	राजकीय महाविद्यालय	निजी महाविद्यालय	कुल	प्रतिशत वृद्धि[2]
सामान्य एवं EWS वर्ग				
छात्र	44903	82520	127423	6.84
छात्राएं	55200	88380	143580	3.16
योग	100103	170900	271003	4.86
अनुसूचित जाति				
छात्र	56092	67741	123833	19.62
छात्राएं	50652	64475	115127	9.19
योग	106744	132216	238960	14.36
अनुसूचित जनजाति				
छात्र	32326	49625	81951	7.11
छात्राएं	39075	55087	94162	8.34
योग	71401	104712	176113	7.76
अन्य एवं विशेष पिछड़ा वर्ग				
छात्र	102714	177182	279896	13.25
छात्राएं	105026	188483	293509	5.95
योग	207740	365665	573405	9.39
कुल नामांकन				
छात्र	**236035**	**377068**	**613103**	**8.21**
छात्राएं	**249953**	**396425**	**646378**	**2.61**
योग	**485988**	**773493**	**1259481**	**5.26**
कुल नामांकन में अल्पसंख्यक वर्ग				
छात्र	5546	17439	22985	14.21
छात्राएं	6507	16570	23077	8.04
योग	12053	34009	46062	11.03

1–नामांकन के आंकड़े सामान्य शिक्षा के 1776 महाविद्यालयों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं।

2–शैक्षणिक सत्र 2019–20 के मुकाबले वृद्धि।

तालिका–8: नामांकन में प्रतिशत वृद्धि

वर्ष	छात्र		छात्राएं		कुल नामांकन (लाखों में)	प्रतिशत वृद्धि
	नामांकन (लाखों में)	प्रतिशत वृद्धि	नामांकन (लाखों में)	प्रतिशत वृद्धि		
2005–2006	2.01	1.23	1.26	11.08	3.27	4.82
2006–2007	2.23	11.07	1.42	12.60	3.65	11.66
2007–2008	2.30	3.05	1.49	5.07	3.79	3.83
2008–2009	2.29	–0.20	1.63	9.64	3.93	3.67
2009–2010	2.50	9.05	1.71	7.25	4.21	7.25
2010–2011	2.53	1.11	1.86	9.08	4.40	4.35
2011–2012	2.83	11.86	2.26	20.85	5.09	15.68
2012–2013	3.00	5.91	2.46	8.94	5.46	7.25
2013–2014	3.10	3.52	2.89	17.68	6.00	9.90
2014–2015	3.66	17.87	3.43	18.40	7.09	18.13
2015–2016	3.82	4.44	3.70	7.80	7.52	6.06
2016–2017	4.65	21.69	4.67	26.23	9.32	23.92
2017–2018	5.15	10.81	5.46	17.04	10.61	13.93
2018–2019	5.36	4.05	5.80	6.13	11.16	5.12
2019–2020	5.66	5.61	6.30	8.64	11.96	7.18
2020–2021	6.13	8.20	6.46	2.61	12.59	5.26

तालिका–9 संकायवार नामांकन 2020–21

संकाय	कुल नामांकन			संकायवार प्रतिशत नामांकन		
	छात्र	छात्राएँ	योग	छात्र	छात्राएँ	योग
कला	379994	456418	836412	30.17	36.24	66.41
विज्ञान	162651	140483	303134	12.91	11.15	24.07
गृह विज्ञान	0	131	131	0	0.01	0.01
वाणिज्य	50999	39976	90975	4.05	3.17	7.22
विधि	18255	8319	26574	1.45	0.66	2.11
कृषि	505	225	730	0.04	0.02	0.06
डिप्लोमा व अन्य	699	826	1525	0.06	0.07	0.12
योग	613103	646378	1259481	48.68	51.32	100

तालिका–10 विश्वविद्यालयवार सम्बद्ध सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय 2020–21

क्र. सं.	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	छात्र / सहशिक्षा	छात्राएँ	कुल	जिला / क्षेत्र
1	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	302	114	416	जयपुर एवं दौसा
2	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	118	23	141	उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद एवं सिरोही
3	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	228	39	267	बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली एवं जोधपुर
4	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	206	58	264	अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एवं टोंक
5	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	230	89	319	बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़
6	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	110	26	136	कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, करौली एवं सवाईमाधोपुर
7	पं.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	199	98	297	सीकर एवं झुंझुनूं
8	महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर	108	35	143	भरतपुर एवं धौलपुर
9	राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	70	31	101	अलवर
10	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा	97	17	114	डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़
	योग	**1668**	**530**	**2198**	

महिला शिक्षा

- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.6(3)शिक्षा/ग्रुप–3/2019 जयपुर दिनांक 05.03.2019 के द्वारा राजकीय निधि कोष की राशि माफ की गई।
- महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 1997–98 में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या 0.60 लाख तथा वर्ष 2003–04 में 1.03 लाख, 2008–09 में 1.63 लाख थी जो 2020–21 में बढ़कर 6.46 लाख हो गई है।
- वर्ष 1997–98 में राज्य में महिला महाविद्यालयों की संख्या 100 थी, जो वर्ष 2003–04 में 183, 2008–09 में 361 तथा वर्ष 2020–21 में बढ़कर 530 हो गई है।
- राज्य में इस समय 2 विश्वविद्यालयवत् संस्थाएं तथा 2 निजी विश्वविद्यालय महिलाओं हेतु संचालित हैं।
- राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति सत्र 2020–21 में स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में महिला प्रत्याशियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- अनुसूचित जाति की उन छात्राओं को जिनके माता–पिता आयकर नहीं देते हैं, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु पुस्तक बैंक योजना का विस्तार किया गया है।
- प्रवेश नीति सत्र 2010–11 से प्रवेश नियमों में परिवर्तन कर हर वर्ष महिलाओं को ऐसे स्थानों पर जहां महिला महाविद्यालय एवं सहशिक्षा उपलब्ध है उन महाविद्यालयों में प्रवेश लेने पर भी छूट दी गई जहां उनके द्वारा चुने गये विषय उपलब्ध हों।
- राज्य में महिलाओं की उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है जो तालिका 11 से स्पष्ट होती है। सत्र 2005–06 में जहाँ सौ छात्रों पर 63 छात्राएं अध्ययनरत थीं, वहीं सत्र 2020–21 में यह संख्या 105 हो गई है।

तालिका–11: प्रति सौ छात्रों पर छात्राओं की संख्या

अकादमिक वर्ष	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.व वि. पिछड़ा वर्ग	अल्पसंख्यक वर्ग	सम्मिलित
2005–06	112	33	30	49	100	63
2006–07	112	37	32	52	78	64
2007–08	111	38	36	53	87	65
2008–09	117	44	42	64	85	71
2009–10	101	45	42	63	88	68
2010–11	109	50	51	69	85	74
2011–12	111	60	60	76	77	80
2012–13	114	62	67	80	77	82
2013–14	133	73	74	92	99	93
2014–15	120	76	80	94	91	94
2015–16	117	82	87	97	88	97
2016–17	119	85	97	98	106	100
2017–18	118	93	108	105	104	106
2018–19	118	98	102	109	107	108
2019–20	117	102	114	112	106	111
2020–21	113	93	115	105	101	105

जैण्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप राज्य में महिला उच्च शिक्षा में विगत कुछ वर्षों में उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई है। सामान्य वर्ग में छात्रों की तुलना में छात्राओं के नामांकन की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

तालिका–12

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान–योजनाओं के तहत राज्यनिधि मद के अन्तर्गत जैण्डर बजट (वर्ष 2020–21)

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद	पुरुष व सहशिक्षा महाविद्यालय	कन्या महाविद्यालय	योग	कन्या महाविद्यालयों पर व्यय बजट का प्रतिशत
1	निर्देशन एवं प्रशासन	32.40	32.40	64.80	50.00
2	पुरुषों के लिए महाविद्यालय	4280.00	4280.00	8560.20	50.00
3	महिलाओं के लिए महाविद्यालय	00	3806.66	3806.66	100.00
4	राष्ट्रीय सेवा योजना	0.01	00	0.01	00
5	अनुसूचित जाति महाविद्यालय	646.30	646.30	1292.60	50.00
6	अनुसूचित जनजाति महाविद्यालय	666.58	666.57	1333.15	50.00
7	छात्रवृत्तियाँ	00	1.00	1.00	100.00
8	युवा विकास केन्द्रों की स्थापना	0.01	0.01	0.02	50.00
9	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	20.00	20.00	40.00	50.00
10	भवन	1193.05	1193.05	2386.01	50.00
11	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	1725.00	1725.00	3450.00	50.00
12	निजी सहभागिता के नवीन महाविद्यालय	50.03	50.02	100.05	50.00
13	विभाग की नवीन योजनाएं/नवाचार	0.01	00	0.01	00
14	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	5308.00	5306.13	10614.13	50.00
15	मेधावी छात्रा स्कूटी योजना	00	650.00	650.00	100.00
	योग	**13921.39**	**18377.14**	**32298.64**	
1	देवनारायण स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	00	750.00	750.00	100.00

तालिका–13

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान–पूर्व दायित्व राज्य निधि मद का जैण्डर बजट (वर्ष 2020–21)

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद	बजट अनुमान	पुरुषों पर व्यय संभावित	महिलाओं पर व्यय संभावित	महिलाओं पर व्यय बजट का प्रतिशत
1	01 संवेतन	87245.00	42192.65	43802.35	50.94
2	03 यात्रा–व्यय	67.89	34.48	31.41	47.67
3	04 चिकित्सा व्यय	69.30	35.65	32.65	47.80
4	05 कार्यालय–व्यय	336.00	154.54	171.46	52.60
5	07 कार्यालय वाहनों का संधारण	1.20	0.61	0.59	49.07
6	08 वृत्तिक और विशिष्ट सेवाओं के लिए संदाय	50.35	25.68	24.67	48.99
7	09 किराया, रेट और कर/रॉयल्टी	2.98	1.57	1.41	47.16
8	18 मशीनरी और साज सामान/औजार एवं संयंत्र	1.30	0.82	0.48	37.24
9	19 विद्युत प्रभार एवं जल व्यय	8.00	4.07	3.93	49.07
10	20 कार्यकलाप संबंधी वाहनों का संचालन एवं संधारण	0.18	0.11	0.07	37.24
11	21 अनुरक्षण एवं मरम्मत	22.00	4.22	17.78	80.81
12	22 सामग्री एवं प्रदाय	0.30	0.19	0.11	37.24
13	29 प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	0.30	00.18	0.12	41.18
14	31 पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	44.15	18.48	18.67	50.26
15	32 डिक्री प्रभार	18.55	11.64	6.91	37.24
16	33 प्रयोगशाला व्यय	48.00	24.68	23.32	48.59
17	37 वर्दियां एवं अन्य सुविधाएं	12.86	6.45	6.37	49.67
18	41 संविदा व्यय	452.94	226.01	226.93	50.10
19	57 विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय	191.57	80.74	91.23	53.05
20	62 कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय	5.50	0.27	0.23	45.76
	योग	**88578.37**	**42823.04**	**44460.69**	**48.08**

नोटः– उपर्युक्त सूचना राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर है। इसमें राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स व राजस्थान संगीत संस्थान में ऑफलाईन रजिस्ट्रेशन होने के कारण तथा राजकीय विधि महाविद्यालयों एव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाधीन होने के कारण उक्त का डाटा सम्मिलित नहीं किया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिये कल्याणकारी योजनाएं

- उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश में क्रमशः 16, 12 एवं 21 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान है व सत्र 2019–20 से अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये जो कि सत्र 2020–21 में भी यथावत् रहा।
- राज्य में संचालित राजकीय एवं निजी क्षेत्र की उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में चालू शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या एवं उनका प्रतिशत निम्नानुसार हैः–

तालिका–14: अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन (वर्ष 2020–21)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रतिशत	विद्यार्थी नामांकन	कुल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत	नामांकन में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1	अनुसूचित जाति	16	238960	18.97	14.36
2	अनुसूचित जनजाति	12	176113	13.98	7.76
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	21	573405	45.52	9.39
4	अल्पसंख्यक वर्ग	–	46062	3.65	11.03

- महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता में रियायत दी जाती है ।
- मूक बधिर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 2 वर्ष की बाध्यता को समाप्त किया गया।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी शिक्षण शुल्क से मुक्त हैं।
- महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।
- राज्य सरकार द्वारा विशेष/अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ की गई। योजना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत से उत्तीर्ण होकर राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली उच्चतम अंक प्राप्त प्रथम 1500 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण करने का प्रावधान वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में पात्र छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत कर वितरित की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
- राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विशेष/अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण होकर आगामी कक्षा में अध्ययनरत रहने पर स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष में रुपये दस–दस हजार वार्षिक तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध में रुपये बीस–बीस हजार वार्षिक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया।

छात्रवृत्तियां एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं

- राजकीय/निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
- आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा वर्ष 2012–13 में एक नवीन छात्रवृत्ति प्रारम्भ की गई। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना नामक इस छात्रवृत्ति में राजस्थान के नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को, जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रु. वार्षिक से कम हो तथा जो अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहे हों, को इस योजना में 500/– मासिक की दर से वार्षिक 5000/–रु. छात्रवृत्ति देय है। पात्र विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति का लाभ 5 वर्ष तक ले सकते हैं तथा इसके लिए वरीयता के आधार पर एक लाख अवॉर्ड निर्धारित किये गये हैं। बजट घोषणा वर्ष 2019–20 में प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को 1000/–रु. प्रतिमाह (10000/– रू. वार्षिक) छात्रवृत्ति भुगतान की घोषणा की गई है।
- बजट घोषणा 2019–20 की अनुपालना में विभिन्न स्कूटी योजनाओं (देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना एवं प्रोत्साहन राशि योजना को छोड़कर) को इकजाई कर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना किया गया है। वर्ष 2019–20 की स्कूटीयों की क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2020–21 के लिए उक्त योजना के नियम दिनांक 24.12.2020 को जारी कर दिये गये हैं।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में आयुक्तालय स्तर पर देय छात्रवृत्तियों हेतु आवंटित राशि तथा 2020–21 तक लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या तालिका–15 में दर्शाई गई है।

तालिका–15

क्र. सं.	छात्रवृत्ति/योजना का नाम	आवंटित बजट (राशि लाखों में)	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	3450.00	दिनांक 25.01.2021 तक 59,875 आवेदन प्राप्त हुए है। (आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 31.01.2021 है)
2	देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना (स्नातक प्रथम वर्ष के आवेदन) देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि योजना (स्नातक स्तर के आवेदन) देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि योजना (स्नातकोत्तर स्तर के आवेदन)	750.00	दिनांक 25.01.2021 तक देवनारायण छात्रा स्कूटी में 450 आवेदन प्राप्त हुए एवं देवनारायण प्रोत्साहन राशि योजना में 58 आवेदन प्राप्त हुए है। (आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 17.02.2021 है)
3	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना	650.00	बजट घोषणा 2019–20 की अनुपालना में विभिन्न स्कूटी योजनाओं (देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना एवं प्रोत्साहन राशि योजना को छोड़कर)को इकजाई कर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना किया गया है। 2019–20 की स्कूटीयों की क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2020–21 के लिए उक्त योजना के नियम दिनांक 24.12.2020 को जारी कर दिये गये है।

4	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना	48.00	दिनांक 25.01.2021 तक 37 आवेदन प्राप्त हुए है। (आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 17.02.2021 है)
5	महिला योग्यता छात्रवृत्ति	1.00	वर्ष 2020–21 के लिए आवेदन आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। (आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 15.02.2021 है)
6	आवश्यकता योग्यता छात्रवृत्ति योजना		
7	स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति		
8	मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति		
9	राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान् पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति		
10	कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति		
11	मिलिट्री (भारतीय सैन्य) महाविद्यालय, देहरादून छात्रवृत्ति		
	योग	**4899.00**	

नोट : लाभान्वित विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या की जानकारी स्वीकृति जारी होने के पश्चात् प्राप्त होगी।

आलोच्य वर्ष की विशेष पहल और उपलब्धियाँ

ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एवं आई. सी.टी सम्बन्धी पहलः

- **ऑनलाइन प्रवेश प्रकिया** – राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सभी कक्षाओं में ऑनलाइन प्रवेश एवं **पुनर्नवीनीकरण** प्रवेश प्रकिया लागू है।
- **हायर एज्यूकेशन पोर्टल–** समस्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों की सूचना एक ही वेब पोर्टल से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हायर एज्यूकेशन पोर्टल ''शिक्षा दृष्टि'' सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है। इसके तहत समस्त राजकीय महाविद्यालयों के वेब पेज का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, इसका पता हैः– http://hte.rajasthan.gov.in
- राज्य के 07 राजकीय महाविद्यालयों अजमेर, कालाडेरा, जोधपुर, उदयपुर कन्या, कोटा, बीकानेर, भरतपुर में स्मार्ट साईन्स लैब की स्थापना की जा चुकी है।
- DCE Mobile App: समस्त राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेशित एवं आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिये DCE Mobile App बनाया गया है। जिससे आवेदन करने वाले एवं प्रवेशित विद्यार्थी अपने आवेदन की स्थिति प्राप्त कर सकते है।
- आयुक्तालय द्वारा कोविड–19 के कारण ऑनलाईन वेबीनार, साक्षात्कार, बैठकें एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये गये।
- राज्य के महाविद्यालयों में लगभग 12.59 लाख नियमित विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्ष 2020–21 में विद्यार्थी नामांकन में लगभग 5.26 प्रतिशत वृद्धि अंकित की गई।
- **सीटों व वर्गों में वृद्धि–** वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020–21 में स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में निर्धारित सीटों में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर कला एवं वाणिज्य संकाय में सीटों की संख्या 100 तथा विज्ञान संकाय में सीटों की संख्या 88 निर्धारित की गयी हैं। जिससे लगभग 20760 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019–20 से निःशुल्क प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम संचालित किया गया था। सत्र 2020–21 में यह कार्यक्रम कोविड–19 के कारण स्थगित है।
- स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय सत्र 2014 से चली आ रही परसैन्टाईल व्यवस्था के स्थान पर सत्र 2020–21 से प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिया गया ।
- 33 जिलों के राजकीय महाविद्यालयों में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हैल्थ काउंसलिंग सेन्टर स्थापित कर इनके नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया ।
- मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार मेज नदी दुखान्तिका के परिवारों के बच्चों को राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया गया।

- कोविड–19 के मध्य राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों एवं जिला समन्वयकों ने जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर भोजन एवं रसद सामग्री वितरण में सक्रिय सहयोग किया।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती 02 अक्टूबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान् अशोक गहलोत जी की पहल को एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने में पूरे राज्य के सरकारी व निजी महाविद्यालयों में एनएसएस की समस्त इकाइयों ने एक व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया, जिसमें आंदोलन को गति देने के लिये एक दर्जन से अधिक जिलों में इस अभियान का संचालन किया गया।
- कोविड परिस्थिति में रिफ्रेशर/ओरिएन्टेशन/इण्डक्शन/सेमीनार/कॉन्फ्रेंस कोर्सों के ऑनलाइन मोड को सी.ए.एस हेतु राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02.11.2020 को मान्यता दी गयी।
- बजट घोषणानुसार प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को ऑफलाइन/ऑनलाइन वीडियो की सुविधा के लिये राजीव गांधी ई–कंटेन्ट बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें राजकीय महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमानुसार ई–कंटेन्ट्स (वीडियो व पीडीएफ नोट्स) का समावेश किया जा रहा है। दिनांक 02.01.2021 तक 1,79,594 विडियो तथा 1,66,473 पीडीएफ नोट्स यूट्यूब पर अपलोड़ कर दिये गये है।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना (RUSA) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजना (60:40) है, जिसके अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में access, equity तथा quality में गुणात्मक अभिवृद्धि करना है।
- राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, राजकीय महाविद्यालय आबूरोड एवं राजकीय महाविद्यालय हिंडौन सिटी को अपग्रेडेशन टू मॉडल कॉलेज (Upgradation to Model College) के तहत रूपये 04 करोड़ की राशि प्रति महाविद्यालय स्वीकृत की गई है। जिसमें से द्वितीय किश्त के रूपये 01 करोड प्रत्येक महाविद्यालय को वितरित किये गये।
- राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बाडमेर को अंतिम किश्त में रूपये 6.5 करोड की राशि जारी की गई।
- महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को कन्या छात्रावास के लिये 1.25 करोड़ रूपये की राशि द्वितीय किश्त के रूप में जारी की।
- राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक, राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपूर, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ (अलवर) एवं राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा को 2 करोड़ रूपये प्रति महाविद्यालय आधारभूत संरचना विकास के लिए स्वीकृत किये गये। इसमें से प्रत्येक महाविद्यालय को प्रथम किश्त में रूपये 1 करोड़ वितरित कर दिए गये।
- कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को 20 करोड़ रूपये आधारभूत संरचना विकास हेतु स्वीकृत किये गये। इसमें से प्रथम किश्त में रूपये 10 करोड़ वितरित किये गये।

- राजर्षि राजकीय महाविद्यालय अलवर (स्वायत्तशासी महाविद्यालय) को शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार हेतु 5 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं तथा प्रथम किश्त के रूपये 2.5 करोड़ वितरित किए गए।
- मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर को एन्टरप्रन्योरशिप एण्ड कैरियर हब हेतु स्वीकृत रूपये 15 करोड़ में से प्रथम किश्त में रूपये 7.5 करोड़ एवं रिसर्च प्रोजेक्टस हेतु स्वीकृत रूपये 35 करोड़ में से प्रथम किश्त में रूपये 17.5 करोड़ वितरित किए गए।
- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को एन्टरप्रन्योरशिप एण्ड कैरियर हब हेतु स्वीकृत रूपये 15 करोड़ में से प्रथम किश्त में रूपये 7.5 करोड़ जारी किये गये एवं रिसर्च प्रोजेक्ट्स हेतु प्रथम किश्त में रूपये 17.5 करोड़ स्वीकृत किए गए।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वितीय चरण के तहत राजकीय कन्या महाविद्यालय पोकरण (जैसलमेर), राजकीय महाविद्यालय रेवदर (सिरोही) एवं राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी (धौलपुर) को मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करने हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को रूपये 12 करोड स्वीकृत हुए जिसमें से द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 03 करोड़ रूपये की राशि प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय को स्वीकृत की गई है।
- राजकीय महाविद्यालयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में 69 राजकीय महाविद्यालयों का प्रत्यायन वैध है। (04 राजकीय महाविद्यालय– A ग्रेड, 03 राजकीय महाविद्यालय– B++ ग्रेड, 02 राजकीय महाविद्यालय–B+ ग्रेड, 47 राजकीय महाविद्यालय–B ग्रेड, 13 राजकीय महाविद्यालय–C ग्रेड)। NAAC के Revised Accreditation Framework के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है।
- रूसा लाभार्थी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को PFMS पर रूसा अनुदान के उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- रूसा के अन्तर्गत राजस्थान के जेन्डर एटलस का कार्य पूर्ण करवा लिया गया है।
- महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष में उनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से प्रेरित होकर एक अनिवार्य पाठ्यक्रम आनन्दम् आरम्भ किया जा रहा है। इस नवाचार का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं में समाज सेवा से आनंद का भाव उत्पन्न करना है एवं उनको जिम्मेदार नागरिक बनाना है ताकि वे एक बेहतर समाज का निर्माण करने में सक्षम हो। आनन्दम् विषय नवीन सत्र से सभी विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ किया जायेगा। आनन्दम् में विद्यार्थी सामुदायिक सेवा के सामूहिक प्रोजक्ट्स करेंगे और विभिन्न सामुदायिक समस्याओं के वास्तविक हल खोजेंगे। **यह राज्य की अनूठी पहल है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है।**
- National Informatics Centre (NIC) के सहयोग से राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (RSHEC) की वेबसाईट का निर्माण करवाया जा रहा है।

वर्ष 2020–21 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- वर्ष 2020–21 में कुल 48 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये यथा– छोटी सरवन (बांसवाड़ा) , गांगड़तलाई (बांसवाड़ा), मालाखेड़ा (अलवर), कठूमर (अलवर), रामगढ़ (अलवर), कन्या टपूकड़ा (अलवर), खैरथल (अलवर), देशनोक (बीकानेर), हिण्डोली (बूंदी), सावर (अजमेर), भिनाय (अजमेर), भणियाणा (जैसलमेर), पाटौदी (बाड़मेर), गडरारोड़ (बाड़मेर), सिणधरी (बाड़मेर), समदड़ी (बाड़मेर), सेड़वा (बाड़मेर), राड़ावास (जयपुर), बगरू (जयपुर), कोटखावदा (जयपुर), कंवर नगर–ब्रहमपुरी (जयपुर), जामड़ोली (जयपुर), चिड़ावा (झुन्झुनूं), सूरजगढ़ (झुन्झुनूं), मलारना डूंगर (सवाईमाधोपुर), गंगापुर (भीलवाड़ा), सरमथुरा (धौलपुर), बसईनवाब (धौलपुर), राजलदेसर (चुरू), सीकरी (भरतपुर), रूपवास (भरतपुर), नांगल राजावतान (दौसा), गंगरार (चितौडगढ़), मासलपुर (करौली), कुड़ी भगतासनी (जोधपुर), लोहावट (जोधपुर), मकराना (नागौर), लोसल (सीकर), एवं फतेहपुर (सीकर), 05 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय–महाराणा प्रताप महाविद्यालय–रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), शहीद रूपाजी कृपाजी महाविद्यालय–बेगूं (चित्तौड़गढ़), भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा महाविद्यालय–नैनवां (बूंदी), आईमाता महाविद्यालय–सोजतसिटी (पाली), श्री प्रेमसिंह सिंघवी महाविद्यालय–छीपाबड़ौद (बारां) एवं 04 निजी महाविद्यालय– मीरा कन्या महाविद्यालय–संगरिया (हनुमानगढ़) ज्ञान ज्योति महाविद्यालय– करणपुर (श्रीगंगानगर), शहीद भगत सिंह महाविद्यालय –रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) एवं बाबा मोहनराम किसान महाविद्यालय, भिवाड़ी (अलवर) को राज्याधीन किये गये।
- वर्ष 2020–21 में 10 राजकीय महाविद्यालयों यथा– राजकीय महाविद्यालय, बायतू (बाड़मेर), राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ (झुन्झुनूं), राजकीय महाविद्यालय, बयाना (भरतपुर) राजकीय महाविद्यालय, रायपुर (पाली) राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी (धौलपुर) राजकीय महाविद्यालय, तिजारा (अलवर) राजकीय महाविद्यालय, बालेसर (जोधपुर) राजकीय कन्या महाविद्यालय, धौलपुर राजकीय कन्या महाविद्यालय, बालोतरा, राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा (धौलपुर) को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया ।
- वर्ष 2020–21 में 04 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 10 नवीन विषय खोले गये यथा– राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़ (जयपुर) में समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, संस्कृत व मनोविज्ञान राजकीय महाविद्यालय, शिवगंज (सिरोही) में ड्राइंगपेन्टिंग, संगीत व गृहविज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय, जैसलमेर में गृहविज्ञान, एसबीके राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर में लोकप्रशासन व संस्कृत विषय ।
- वर्ष 2020–21 में 15 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर 17 नवीन विषय खोले गये यथा– राजकीय महाविद्यालय, बायतू (बाड़मेर) में भूगोल राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ (झुन्झुनूं) में हिन्दी साहित्य, राजकीय महाविद्यालय, बयाना (भरतपुर) में भूगोल, राजकीय महाविद्यालय, रायपुर (पाली) में हिन्दी साहित्य, राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी (धौलपुर) में हिन्दी साहित्य, राजकीय महाविद्यालय, तिजारा (अलवर) में राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, बालेसर (जोधपुर) में राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय, धौलपुर में हिन्दी साहित्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बालोतरा में हिन्दी साहित्य, राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा (धौलपुर) में राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ (अलवर) में भूगोल व हिन्दी साहित्य, राजकीय महाविद्यालय थानागाजी (अलवर) में रसायनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय जैसलमेर में हिन्दी साहित्य व राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर में वनस्पतिशास्त्र विषय।

- वर्ष 2020–21 में 13 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 18 नवीन संकाय खोले गये यथा– राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ (झुन्झुनूं), राजकीय महाविद्यालय बज्जू, राजकीय महाविद्यालय कोलायत (बीकानेर), राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़ (जयपुर), राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा (डूंगरपुर) में विज्ञान व वाणिज्य संकाय, राजकीय महाविद्यालय जैतारण (पाली), राजकीय महाविद्यालय बाड़ी (धौलपुर), राजकीय महाविद्यालय लूणी (जोधपुर), राजकीय महाविद्यालय निवाई (टोंक), राजकीय महाविद्यालय भीम (राजसमंद) में विज्ञान संकाय तथा राजकीय महाविद्यालय रायपुर (भीलवाड़ा), राजकीय महाविद्यालय नावां (नागौर) व राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ (राजसमंद) में वाणिज्य संकाय।
- 02 राजकीय महाविद्यालयों यथा– सेठ श्री केदारनाथ मोदी राजकीय महाविद्यालय, गुढ़ा (झुंझुनूं), व मातुश्री शांताबा हजारीमलजी के.पी. संघवी राजकीय महाविद्यालय रेवदर (सिरोही) का नामकरण किया गया।
- राजकीय विधि महाविद्यालय, सिरोही के नवीन भवन निर्माण हेतु के.पी. संघवी चेरीटेबल ट्रस्ट के साथ एम.ओ.यू. किया गया।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2020–21 की अनुपालना में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से समस्त राजकीय महाविद्यालयों में वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के क्रम में अब तक लगभग 49 राजकीय महाविद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है।
- 09 राजकीय महाविद्यालयों के नवीन भवनों का लोकार्पण किया गया। यथा– राजकीय महाविद्यालय, बिजौलिया (भीलवाड़ा), राजकीय महाविद्यालय, चौमहला, राजकीय महाविद्यालय, मनोहरथाना व राजकीय महाविद्यालय, पिड़ावा (झालावाड़), राजकीय महाविद्यालय, टोडारायसिंह (टोंक), राजकीय महाविद्यालय, खण्डार (सवाईमाधोपुर), राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ (झुंझुनूं), राजकीय महाविद्यालय, रेवदर (सिरोही) व राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर ।
- 40 राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के क्रम में 27 राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है, शेष 13 राजकीय महाविद्यालयों में यह कार्य प्रगति पर है।
- राज्य में 76 राजकीय महाविद्यालयों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से ई–क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है। इन कक्षाओं से ई–व्याख्यान निरन्तर रूप से प्रसारित किये जा रहे हैं, जिनका लाभ विद्यार्थियों को सतत रूप से मिल रहा है।
- शैक्षणिक सत्र 2019–20 में स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में निर्धारित सीटों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी जो सत्र 2020–21 में निरंतर है।
- विभाग द्वारा दिनांक 01.01.2016 से 01.09.2018 तक सेवानिवृत्त प्राचार्यों का 7वें वेतनमान के अनुसार दिनांक 01.02.2019 से 10.01.2021 तक 209 प्राचार्यों का वेतन नियतन किया गया।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राशि रुपये 3450.00 लाख राजकीय महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार आवंटित की जाती है।

नियुक्तियां, पदोन्नतियां, वेतनमान, प्रशिक्षण तथा शोध आदि

- राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से विभिन्न विषयों में चयनित 07 अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा दिनांक 01.04.20 से 31.12.2020 तक सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई ।
- राजकीय महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के 918 रिक्त पदों पर चयन करने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 18.12.2020 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया।
- पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रस्तावित 50 पदों की वित्तीय स्वीकृति हेतु पत्रावली वित्त विभाग को भिजवाई गई है।
- वर्ष 2017–18 के लिये प्राचार्य (स्नातकोत्तर), प्राचार्य (स्नातक) एवं उपाचार्य के पदों की डीपीसी संपादित की गयी जिसमें निम्नानुसार कार्मिक लाभान्वित हुए–

क्र.सं.	पद	विभागीय पदोन्नति का वर्ष	लाभान्वितों की संख्या
1	प्राचार्य (स्नातकोत्तर)	2017–18	70
2	प्राचार्य (स्नातक)	2017–18	99
3	उपाचार्य	2017–18	118

- प्राचार्य पद हेतु वर्ष 2018–19 व 2019–20 की पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- प्रोफेसर के 477 पदों की प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- माह अप्रेल 2020 से दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक की अवधि में सीधी भर्ती एवं मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के कुल 290 पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है। (कनिष्ठ सहायक–281, प्रयोगशाला सहायक–02 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–07)
- विभाग द्वारा 362 प्रयोगशाला सहायकों की अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को भिजवाई गई है।
- वर्ष 2020–21 में पदोन्नत हुए कार्मिकों का माह अप्रेल, 2020 से 02 जनवरी, 2021 तक की अवधि में निम्नानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार कार्मिक लाभान्वित हुएः

क्र.सं.	पद	विभागीय पदोन्नति का वर्ष	लाभान्वितों की संख्या
1	प्रशासनिक अधिकारी	2020–21	06
2	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2020–21	09
3	अतिरिक्त निजी सचिव	2020–21	02
4	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	2016–17 व 2017–18	41
5	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	2020–21	46
6	वरिष्ठ सहायक	2020–21	07
7	कनिष्ठ सहायक	2019–20	17

- 137 सहायक आचार्यों को वरिष्ठ वेतनमान, 86 सहायक आचार्यों को चयनित वेतनमान एवं 102 सहायक आचार्यों को पे–बैण्ड IV देने हेतु पत्रावली प्रशासनिक विभाग को भिजवाई जा चुकी है।
- सत्र 2020–21 में 213 सहायक आचार्यों ने रिफ्रेशर कोर्स, 203 सहायक आचार्यो ने ओरियन्टेशन कोर्स एवं 03 सहायक आचार्यो ने शॉर्ट टर्म कोर्स पूर्ण किये।

उच्च शिक्षा में गुणात्मक विकास एवं नवाचार

एन.एम.आई.ई.सी.टी. योजना के तहत सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी का विस्तारः

राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी द्वारा सक्रिय सहभागिता निभाई जा रही है। सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी क्रान्ति ने ज्ञान को विद्यार्थियों के लिए सुलभ बनाया है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी (इन्फॉर्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) के उपयोग से गुणात्मक विकास को बढ़ावा देना है। इसके अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में इन्टरनेट कनेक्शन प्राप्त करने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा एन.एम.आई.ई. सी.टी. योजना के तहत राजकीय महाविद्यालयों को 40.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा किये जा रहे कार्यः

- राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में NAAC प्रत्यायन को सुनिश्चित करने तथा प्रक्रिया को गति देने हेतु State Level Quality Assurance Cell (SLQAC) का पुनर्गठन किया गया। NAAC के Revised Accreditation Framework को समझाने हेतु SLQAC एवं NAAC के संयुक्त तत्वावधान मे दिनांक 14.07.2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें 500 से अधिक संकाय सदस्यों ने भाग लिया।
- समस्त महाविद्यालयों को NAAC प्रत्यायन से संबंधित यथासंभव सभी प्रकार की सहायता देने हेतु, राजस्थान के सभी सात संभागों के अनुसार संभागवार Division Level Quality Assurance Cell (DLQAC) का गठन किया गया। राजकीय महाविद्यालयों के लिए SLQAC के तहत NAAC जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- रूसा 2.0 लाभार्थी संस्थाओं के लिये मेन्टरिंग एवं मॉनिटरिंग और PFMS प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करवाया गया।
- रूसा के अन्तर्गत राजस्थान के जैण्डर एटलस का कार्य पूर्ण करवा लिया गया है।
- **एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना–** मानव संसाधन मंत्रालय की एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत सभी रूसा लाभार्थी संस्थाओं में EBSB club का गठन किया गया है तथा EBSB के बैनर तले युग्म राज्य आसाम से संबंधित अनेक गतिविधियों का आयोजन महाविद्यालयों द्वारा करवाया गया।
- संकाय सदस्यों के शैक्षणिक उन्नयन हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के एच.आर.डी.सी. में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा नव नियुक्त सहायक आचार्यों को राजस्थान सेवा नियमों इत्यादि की जानकारी देने हेतु 05 इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाये गये।

नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा किये जा रहे कार्यः

1. **रिसोर्स असिस्टैन्स एवं कॉलेज विद एक्सीलैन्स (RACE) योजना –** राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि एवं संस्थागत विकास सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा रिसोर्स असिस्टैन्स एवं कॉलेज विद एक्सीलैन्स **(RACE)** योजना आरम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों की अकादमिक समस्याओं का स्थानीय समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में जिला स्तर पर जिला संसाधन सहायता समितियों **(DRAC)** का गठन किया

गया है। सभी जिलों में इन समितियों का गठन हो चुका है। इन समितियों के माध्यम से महाविद्यालयों में मानव संसाधन की कमी को पूरा कराया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 704 शिक्षकों द्वारा 3953 दिनों की शिक्षण व्यवस्था की गयी है, 156 शिक्षकों द्वारा 946 दिवसों की प्रशासनिक व्यवस्था की गयी तथा 1190 दिनों के लिये 103 कार्मिकों की व्यवस्था महाविद्यालयों के लिये उपलब्ध करवायी गयी है। 42 राजकीय महाविद्यालयों को इस परियोजना में भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाये गये है। इस सत्र में शिक्षण व्यवस्था हेतु सत्र 2019–20 की तुलना में विभाग द्वारा कम प्रतिनियुक्तियां की गयी है।

2. Annual Auditing Programme (AAP) - राज्य में शैक्षणिक गुणवत्ता एवं संस्थागत विकास सुनिश्चित करने के साथ–साथ संस्थाओं को सोशियली कनेक्ट करने के उद्देश्य से सरकार ने सभी राजकीय महाविद्यालयों का सतत मूल्यांकन एवं सुनिश्चित करने के लिये वार्षिक अंकेक्षण कार्यक्रम (Annual Auditing Programme- AAP /College Assessment Programme- CAP) आरम्भ किया है। 12 मार्च 2020 से महाविद्यालयों के मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ किया गया, अब तक 34 महाविद्यालयों का मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो चुका है। कोरोना महामारी के कारण शेष महाविद्यालयों का मूल्यांकन कार्य स्थगित हैं।

3. रोजगारोन्मुख विभिन्न कौशल प्रशिक्षण :

- राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण देने हेतु RSLDC द्वारा वर्ष 2020 में **मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना** आरम्भ की गयी जिसके माध्यम से 75 राजकीय महाविद्यालयों के लगभग 4000 विद्यार्थी कुल 16 कोर्सेज में ऑनलाइन प्रशिक्षण द्वारा लाभान्वित हुए। इस योजना के द्वितीय चरण हेतु RSLDC के साथ MoU हस्ताक्षरित किया गया।
- युवाओं में कौशल विकास हेतु Skill Enhancement & Employability Training (SEET) कार्यक्रम आरंभ किया गया जिसके प्रथम चरण में 50 राजकीय महाविद्यालयों में कौशल प्रशिक्षण से लगभग 2500 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
- रोजगारोन्मुख विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कोर्सेस के प्रमाणीकरण, एवं मांग आधारित नये कोर्सेस आरम्भ करवाने हेतु राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी (RISU) के साथ MoU हस्ताक्षरित किया गया।
- कौशल दक्षता एवं क्षमता विकास के लिये Massive Open Online Course (MOOCs) के लिये IIIT-Kota के साथ MoU हस्ताक्षरित किया गया।
- कृषि आधारित उ़द्यमिता एवं रोजगारोन्मुख कौशल दक्षता हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण के लिये मोरारका फाउण्डेशन के साथ MoU हस्ताक्षरित किया गया जिसके माध्यम से 10 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
- 10 हजार विद्यार्थियों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु मनसा–मानव कल्याण मिशन संस्था के साथ MoU हस्ताक्षरित किया गया।

4. ज्ञान गंगा कार्यक्रम – राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं संस्थाओं में क्षमता विकास, कक्षा अध्यापन कौशल संवर्द्धन, शोध वातावरण, प्रोत्साहन तथा महाविद्यालयी रिसोर्स पर्सन को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने की मंशा से विषयपरक ज्ञान संवर्द्धन हेतु ज्ञान गंगा कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत 37 राजकीय महाविद्यालयों को प्रशिक्षण केन्द्र बनाकर कुल 27 विषयों में 73 प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करवाये जा रहे है।

5. Inter Disciplinary Educational Association (IDEA) Programme - राजकीय महाविद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा विकास एवं शिक्षा की उत्कृष्टता के लिये संस्थाओं में कार्यरत संकाय सदस्यों में बहु–अनुशासनात्मक गुणात्मक अभिवृद्धि सुनिश्चित करने हेतु सभी राजकीय महाविद्यालयों में Inter Disciplinary Educational Association (IDEA) **योजना** आरम्भ की गई। इस कार्यक्रम का प्रत्येक माह में द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को आयोजन करवाया गया। सत्र 2019–20 में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ।
6. गर्ल्स एम्पावरमैण्ट एण्ड मैण्टरिंग (GEM) प्रोग्राम : छात्राओं को रोजगारोनमुख प्रशिक्षण, आई टी कौशल, महिला अधिकार जागरुकता, महिला स्वास्थ्य तथा आत्मरक्षा हेतु 40 महिला शिक्षकों के प्रथम बैच को दिनांक 3–4 जनवरी 2020 को बोध शिक्षा समिति जयपुर के सहयोग से प्रशिक्षण करवाया गया।
7. **एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफिसिएन्सी एण्ड प्रोग्रेसिव लर्निंग एफर्ट (APPLE) प्रोग्राम : 40** प्राचार्यों/कार्यवाहक प्राचार्यों/वरिष्ठ संकाय सदस्यों के प्रथम बैच को दिनांक 7–8 जनवरी 2020 को बोध शिक्षा समिति जयपुर के सहयोग से प्रशासनिक दक्षता, संस्था नेतृत्व, वित्तीय प्रावधानों एवं अकादमिक गुणवत्ता सुधार संबंधी प्रशिक्षण करवाया गया।
8. **कॉलेज– कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत 'संवाद संगम' कार्यक्रम–** अभिभावकों की राजकीय महाविद्यालयों की गुणात्मक अभिवृद्धि में भूमिका को सशक्त बनाने एवं विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में उनके अभिभावकों की चिन्ता को मध्यनजर रखते हुए राजकीय महाविद्यालयों में **कॉलेज– कम्युनिटी कनेक्ट** प्रोग्राम आरम्भ किया गया है। अक्टूबर 2019 से प्रत्येक माह यह कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। इस कार्यकम के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता में अभिवृद्धि एवं कई महाविद्यालयों को संसाधन सहयोग एवं आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है।
9. **कम्युनिटी बुक बैंक योजना–** महाविद्यालयों में प्राचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से **डोनेट ए बुक प्रोग्राम** के अन्तर्गत आग्रह किया गया है कि विद्या के प्रचार–प्रसार एवं जरुरतमंदों की सहायता के लिये इस अनौपचारिक अभियान का हिस्सा बनकर समाज को सकारात्मक संदेश दें। इसके लिये महाविद्यालय के बाहर के दानादाताओं, समस्त शिक्षक साथियों एवं पास–आउट विद्यार्थियों के द्वारा पुस्तकें दान में प्राप्त करके सामुदायिक पुस्तक शाला बनवायी गयी है। अब तक 49595 से ज्यादा पुस्तकें दान की जा चुकी हैं, जिससे 16612 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।
10. **अर्जुन दृष्टि क्रीड़ा एवं खेलकूद कार्यक्रम–**महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद अभिरुचि विकास एवं योग्य विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण प्रदान करवाने की सुविधा पर ध्यान देने एवं प्रतिभा तराशने के उद्देश्य से सभी राजकीय महाविद्यालयों के लिये एक विशेष कार्यक्रम '**अर्जुन दृष्टि**' आरम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य में विभाग द्वारा पहली बार महाविद्यालय, जिला, संभाग व राज्य स्तर तक विभागीय क्रीड़ा एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गयी।
11. **इन्दिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उड़ान केन्द्र योजना–** छात्राओं को रोजगारोन्मुख कौशल एवं सूचना–प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण, संवाद कौशल तथा विभिन्न राजकीय योजनाओं के बारे जानकारी दिलवाने के लिये 10 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में इन्दिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उड़ान योजना आरम्भ की गयी। इस योजना को इस सत्र में सभी कन्या महाविद्यालयों में लागू किया जायेगा।
12. **राजस्थान हैल्दियर यूथ एण्ड मोरल एज्युकेशन (RHYME) प्रोग्रामः** राज्य सरकार के निरोगी राजस्थान अभियान के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में स्वास्थ्य चेतना हेतु विभाग द्वारा राजस्थान हैल्दियर यूथ एण्ड मोरल एज्युकेशन (राइम) प्रोग्राम का दिनांक 31 जनवरी 2020 को राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली से शुभारम्भ किया गया। दूसरा कार्यक्रम दिनांक 11 फरवरी 2020 को राजकीय महाविद्यालय अजमेर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सामान्य स्वास्थ्य जानकारी एवं होम्योपैथी का सार्वजनिकीकरण के संबंध में सत्र आयोजित किये गये। इस कार्यक्रम से लगभग 700 विद्यार्थी एवं संकाय सदस्य लाभान्वित हुए।
13. महाविद्यालयों में शिक्षण–गुणवत्ता, संस्था विकास एवं विद्यार्थी हित केन्द्रित कार्यों को संचालित करने हेतु विभाग द्वारा इस सत्र में 09 संस्थाओं – RSLDC, RISU, IIT-Kota, मोरारका फाउण्डेशन, बोध शिक्षा, मनसा, ऊषा, गुरुभक्ति तथा मानव कल्याण संस्थाओं के साथ MoU हस्ताक्षरित किये गये हैं।

प्रभावी प्रबन्धन

- आयुक्तालय द्वारा प्रति वर्ष प्रवेश नीति व शैक्षणिक सत्र सारिणी जारी की जाती है। सत्र 2020–21 की नीति समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों पर लागू की गई है। इस नीति में प्रवेश सम्बन्धी नियम यथा प्रवेश हेतु योग्यता, आरक्षण कोटा, वार्षिक अकादमिक कलैण्डर आदि की विस्तृत जानकारी दी जाती है। इस नीति से प्रवेश नियमों में एकरूपता व पारदर्शिता बनी रहती है तथा प्रवेश सम्बन्धी विवाद भी नगण्य रहते हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 180 शिक्षण दिवसों को सुनिश्चित करने की अनुशंसा की गई है।

आयुक्तालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा महाविद्यालयों के सुचारु प्रबन्धन हेतु समय–समय पर उपयोगी निर्देश जारी किये जाते हैं। विभिन्न शाखाओं से महाविद्यालयों के लिए निम्नलिखित विषयों पर निर्देश व सुझाव जारी किये गये हैं:–

- विद्यार्थियों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- पुस्तकालयों का प्रभावी प्रबन्धन।
- एन.सी.सी., रेन्जर–रोवर तथा एन.एस.एस की गतिविधियां।
- सहशैक्षणिक गतिविधियों का संचालन।
- परिसर स्वच्छता, सौन्दर्यीकरण तथा वृक्षारोपण।
- रक्तदान

आयुक्तालय द्वारा सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक कलैण्डर जारी किया जाता है, जिसमें महाविद्यालय से लेकर राज्य स्तर तक की गतिविधियों व प्रतियोगिताओं के आयोजन के सम्बन्ध में सभी राजकीय महाविद्यालयों को निर्देश जारी किये जाते हैं ।

सह–शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियाँ

- महाविद्यालयों में उपलब्ध सह–शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियाँ व अन्य विद्यार्थी उपयोगी सेवाएं निम्नानुसार हैं:–
    - एन.सी.सी.
    - राष्ट्रीय सेवा योजना
    - रोवर स्काउटिंग
    - छात्र परामर्श परिषद्
    - युवा विकास केन्द्र
    - खेलकूद
    - महिला प्रकोष्ठ
    - विभिन्न शैक्षणिक परिषदें
    - सांस्कृतिक गतिविधियाँ
    - प्लेसमेन्ट सैल
    - सूचना प्रकोष्ठ
    - कम्प्यूटर–इन्टरनेट लैब

राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु निर्धारित शैक्षणिक कलेण्डर में दी गई समय–सारिणी के अनुसार विभिन्न प्रकार की सह–शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इन गतिविधियों में विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु विभिन्न पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

चुनौतियां एवं संकल्पनाएं

- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसा के अनुसार देश में 1500 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। राज्य में कुल 78 विश्वविद्यालय तथा 7 विश्वविद्यालयवत् संस्थाएं हैं। देश में 2020 तक उच्च शिक्षा में 30 प्रतिशत सकल नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन मंत्रालय के ऑल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एज्यूकेशन (AISHE) की 2018–19 की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में देश का सकल नामांकन अनुपात (GER) 26.3 है। राजस्थान में यह GER 23 है। अतः इस दृष्टि से राज्य में उच्च शिक्षा के प्रसार को निरन्तर जारी रखने की आवश्यकता है।
- मानव संसाधन मंत्रालय के ऑल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एज्यूकेशन (AISHE) की 2018–19 की रिपोर्ट के अनुसार सत्र 2010–11 में राज्य में प्रति लाख जनसंख्या (18 से 23 वर्ष) पर 29 उच्च शिक्षण संस्थान थे। सकारात्मक प्रयासों से इस स्थिति में सतत सुधार हो रहा है तथा 2018–19 में प्रतिलाख जनसंख्या (18 से 23 वर्ष) पर इन संस्थानों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। अभी इस स्थिति में और सुधार करने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा की पहुंच को भौगोलिक दृष्टि से सुनिश्चित करने तथा जिलों के उन उपखण्डों में महाविद्यालयों की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता है, जहां जनसंख्या के अनुपात में महाविद्यालय नहीं हैं।
- राज्य में उच्च शिक्षा का विस्तार हाल के वर्षों में तीव्रता से हुआ है। मानव संसाधन मंत्रालय के ऑल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एज्यूकेशन (AISHE) की 2018–19 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2011–12 से विश्वविद्यालयों की संख्या में 84.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन संस्थानों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए इनकी आधारभूत संरचना का विकास आवश्यक है।
- अधिकतम विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु 2एफ व 12बी सेक्शन के अन्तर्गत मान्यता दिलवाना एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के विकास के लिए यू.जी.सी. योजनाओं के तहत अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करवाना ताकि इन महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की वृद्धि हो सके।
- वर्तमान में नैक प्रत्यायन योग्य राजकीय महाविद्यालयों में से केवल 69 का ही नैक प्रत्यायन वैध है। शेष योग्य महाविद्यालयों की सेल्फ स्टडी रिपोर्ट बनवाने का कार्य रूसा के अंतर्गत State Level Quality Assurance Cell के द्वारा करवाया जा रहा है, जिससे नैक में महाविद्यालयों के ग्रेड में सुधार हो सके तथा वे सभी संस्थायें जिन्हें अभी तक रूसा अनुदान नहीं मिला है, वे भी रूसा अनुदान हेतु योग्य पात्र की श्रेणी में आ सकें।
- महाविद्यालयों के पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण तथा कम्प्यूटर सुविधा, फोटोस्टेट मशीन, इन्टरनेट कनेक्टिविटी आदि सुविधाओं में वृद्धि।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से उच्च शिक्षा में आई.टी. को बढ़ावा देने के लिए हायर एज्यूकेशन पोर्टल का निर्माण किया जा चुका हैं, जिससे राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जा रहा है।

भावी योजनाएं (वर्ष 2021–22)

विभाग द्वारा आगामी वर्ष (2021–22) में किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः

- बजट घोषणा 2019–20 की अनुपालना में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से समस्त राजकीय महाविद्यालयों में वाई फाई की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- 40 राजकीय महाविद्यालयों में लाईब्रेरी को कम्प्यूटरीकृत करने के क्रम में शेष रहे 13 राजकीय महाविद्यालयों में लाईब्रेरी का कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य 40 राजकीय महाविद्यालयों में लाईब्रेरी का कम्प्यूटरीकरण के लिए बजट प्रावधान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
- संभागीय मुख्यालयों पर चयनित 7 राजकीय महाविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा लैब की स्थापना करवाने हेतु प्रयास जारी है, जिसके लिए वित्तीय प्रावधान कराया जा रहा है।
- उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एवं राजस्थान राज्य में जी.ई.आर.दर में अभिवृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जावेंगे :–
  1. राजस्थान के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में आवश्यकतानुसार वर्ग खोले जावेंगे।
  2. आवश्यकतानुसार राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय खोले जावेंगे।
  3. बजट घोषणा वर्ष 2019–20 के बिन्दु संख्या 131 की अनुपालना में वर्तमान में महाविद्यालय से वंचित रहे उपखण्ड मुख्यालयों पर संभावनाओं के परीक्षण हेतु विभाग के स्तर पर नीति निर्धारित की गई है, जिसके तहत उन उपखण्डों में प्राथमिकता के आधार पर नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जावेंगे।
  4. आवश्यकतानुसार स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किया जावेगा।
- अधिकतम उच्च शिक्षण संस्थानों को नैक प्रत्यायन हेतु प्रोत्साहित करना तथा जिनकी प्रत्यायन अवधि पार हो चुकी है उन्हें पुनः प्रत्यायन हेतु प्रेरित करना। इस हेतु समस्त महाविद्यालयों को NAAC प्रत्यायन से संबंधित यथासंभव सभी प्रकार की सहायता देने हेतु, राजस्थान के सभी सात संभागों के अनुसार संभागवार Division Level Quality Assurance Cell (DLQAC) का गठन किया गया है तथा नैक विशेषज्ञों के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय

- वर्ष 2011–12 के बजट में बी.एड. व एम.एड. पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षा के अधीन करने के निर्णय की घोषणा की गई। अप्रेल 2012 में राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनस की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर बी.एड. पाठ्यक्रम/महाविद्यालयों को शिक्षा (ग्रुप–1) के कार्यों से हटा कर उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) के कार्यों में शामिल किया गया। उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/महाविद्यालय से संबंधित कार्य सम्पादित किये जा रहे थे, उन्हें दिनांक 08 जुलाई 2015 से आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के स्तर पर सम्पादित करने हेतु स्थानांतरित किये गये।
- **बी.एड. पाठ्यक्रम (दो वर्षीय)**–राज्य में कुल 921 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों /विश्वविद्यालयों में यह कार्यक्रम संचालित है, इस कार्यक्रम में कुल 104720 सीट उपलब्ध है।
- **बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.पाठ्यक्रम (चार वर्षीय एकीकृत)–** राज्य में कुल 413 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों /विश्वविद्यालयों में यह कार्यक्रम संचालित है, इस कार्यक्रम में कुल 40000 सीट उपलब्ध है।
- **एम.एड. पाठ्यक्रम (दो वर्षीय)–** राज्य में कुल 45 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों /विश्वविद्यालयों में यह कार्यक्रम संचालित है, इस कार्यक्रम में कुल 2200 सीट उपलब्ध है।
- **बी.एड.–एम.एड.पाठ्यक्रम (तीन वर्षीय एकीकृत)–** राज्य में कुल 04 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम संचालित है, इस कार्यक्रम में कुल 200 सीट उपलब्ध है।
- **बी.पी.एड. पाठ्यक्रम (दो वर्षीय)–** राज्य में कुल 17 शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम संचालित है, इस कार्यक्रम में कुल 1570 सीट उपलब्ध है।
- **एम.पी.एड. पाठ्यक्रम (दो वर्षीय)–** राज्य में कुल 07 शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम संचालित है, इस कार्यक्रम में कुल 280 सीट उपलब्ध है।
- राजस्थान में संचालित सभी निजी शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणों के लिए सत्र 2016–17 से निम्नांकित शुल्क का निर्धारण किया गया–

क्र.सं.	शुल्क का विवरण	शुल्क राशि (रूपयों में)
1	प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु	30000/–
2	अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि प्रति पाठ्यक्रम हेतु प्रति वर्ष	25000/–
3	सहशिक्षा परिवर्तन/नाम परिवर्तन/स्थान परिवर्तन/प्रबन्ध अन्तरण (प्रत्येक के लिए)	25000/–

- राज्य सरकार द्वारा सत्र 2020–21 से नवीन चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा नीति आदेश जारी किया जा चुका है।

उपलब्धियां

- राज्य में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सत्र 2020–21 से राज्य सरकार द्वारा स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र (PNOC) जारी करने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् मानदण्ड एवं शुल्क निर्धारित किये गये है।
- **निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं से स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र (PNOC) प्राप्त करने हेतु लिया जाने वाला शुल्कः**

बजट मद – 0202–01–103–02–03 बी.एड.महाविद्यालयों से प्राप्तियों के द्वारा

क्रम संख्या	शुल्क का विवरण	शुल्क राशि (रूपयों में)
1	स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र (PNOC) आवेदन शुल्क (प्रति पाठ्यक्रम) एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थाओं की जांच करवाने, समय समय पर जारी दिशा निर्देश, नीति निर्धारण करने, संस्थाओं से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान एवं समन्वय स्थापित करने बाबत लिये जाने वाला वार्षिक शुल्क	रू0 1,00,000/–(एक लाख) + रू0 25,000/–(पच्चीस हजार) कुल रू0 1,25,000/– (एक लाख पच्चीस हजार)
2	द्वितीय वर्ष से प्रतिवर्ष निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थाओं की जांच करवाने, समय समय पर जारी दिशा निर्देश, नीति निर्धारण करने, संस्थाओं से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान एवं समन्वय स्थापित करने बाबत लिये जाने वाला वार्षिक	रू0 25,000/–(पच्चीस हजार)

- निम्नांकित कार्यक्रमों के लिए विभाग द्वारा निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र (PNOC) जारी किये गये ।

1	B.Ed. Course (Two Year)	3
2	M.Ed.(Two Year)	1
Total		4

एन. सी. सी. निदेशालय

➢ राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना राजस्थान में सन् 1948 में 600 कैडेट्स व 3 इकाइयों के साथ हुई। राजस्थान में एन.सी.सी. निदेशालय 1963 में स्थापित किया गया था। उस समय 14 एन.सी. सी. इकाइयाँ थीं। उत्तरोत्तर विकास से अब राजस्थान के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय के अधीन 4 ग्रुप मुख्यालय एवं 37 एन.सी.सी. इकाइयाँ हैं जिन पर प्रशासनिक नियंत्रण निदेशालय का है। इनमें छात्र इन्फेन्ट्री बटालियन 8, छात्रा इन्फेन्ट्री बटालियन 4, जल सेना इकाई 3, वायु सेना इकाई 4, इण्डेप कम्पनी 6, टेक्निकल एवं अभियांत्रिकी इकाइयाँ 12 हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर कार्यक्रम में पहले केवल सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था लेकिन अब इस सैनिक प्रशिक्षण के साथ–साथ खेलकूद, साहसिक प्रशिक्षण, पर्वतारोहण, हवाई कूद, नौकायन अभियान, साईकिल अभियान तथा समाज सेवा कार्यक्रम आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर राजस्थान में कुल अधिकृत कैडेट संख्या 52,713 है, जिसमें 15662 छात्राएं, 32991 छात्र एवं 4060 रिक्त हैं।

➢ रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एन.सी.सी. निदेशालय राजस्थान, जयपुर में एक उप–महानिदेशक, एयर कमोडोर रैंक के और एक निदेशक कर्नल रैंक के पदस्थापित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त निदेशक, कार्मिक (ले. कर्नल), एक संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण (ले. कर्नल), एक संयुक्त निदेशक, समन्वय (विंग कमान्डर), एक संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक (ले. कर्नल) तथा सिविलियन में प्रशासनिक अधिकारी एवं एक वरिष्ठ लेखाधिकारी भी पदस्थापित हैं। इन अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य शाखा में राज्य सरकार से अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सलेक्शन स्केल का अधिकारी एवं एक वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान लेखा सेवा का तथा एक सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–। पदस्थापित है। 04 ग्रुप मुख्यालयों में पदस्थापित 04 ग्रुप कमाण्डर के अधीन 37 एन. सी.सी. इकाइयाँ राज्य के विभिन्न जिलों में हैं इन इकाइयों में कर्नल रैंक/ले. कर्नल रैंक/मेजर रैंक के कमान अधिकारी पदस्थापित हैं। इस विभाग में राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं के स्वीकृत पदों की संख्या निम्न प्रकार है :–

➢ **राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं के अन्य पदों की स्थिति निम्नानुसार है**

क्र. सं.	पद	पदों की संख्या
1	अतिरिक्त निदेशक आर.ए.एस.	01
2	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01
3	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।	01
	योग	**03**

क्र. सं.	मंत्रालयिक सेवा के पद	पदों की संख्या
1	प्रशासनिक अधिकारी	02
2	अति. प्रशासनिक अधिकारी	08
3	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	26
4	वरिष्ठ सहायक	54
5	कनिष्ठ सहायक	80
6	स्टेनोग्राफर	02
	योग	**172**

अधीनस्थ सेवा के पद		
1	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	02
2	कनिष्ठ लेखाकार	47
3	वाहन चालक	60
4	एयरोमॉडलिंग इन्स्ट्रक्टर	04
5	शिप मॉडलिंग मैकेनिक	03
6	शिप मॉडलिंग स्टोर कीपर	03
	योग	**119**

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद		
1	लश्कर	224
2	फेरियर	03
3	सैडलर	03
4	साईकिल सवार	19
5	चपरासी	12
6	चौकीदार	46
7	बोटकीपर	06
8	स्वीपर	22
9	मसालची	04
	योग	**339**

➢ वर्ष 2020–21 के लिए राजस्थान में एन.सी.सी. सीनियर डिवीजन एवं जूनियर डिवीजन में एन.सी.सी. कैडेट्स की संख्या निम्न प्रकार रही है :

	सीनियर डिवीज़न	जूनियर डिवीज़न
अधिकृत संख्या	18304	34409
कैडेट्स की भर्ती होने की संख्या	17689	30964

➢ वर्ष 2020–21 के दौरान परेड में कैडेट्स की उपस्थिति निम्न प्रकार रहीः

डिवीज़न	थल सेना	जल सेना	वायु सेना	एन.सी.सी. गर्ल्स कैडेट्स
सीनियर	शून्य – कोविड–19 के कारण			
जूनियर	शून्य – कोविड–19 के कारण			

➢ **वर्ष में सम्पन्न एन.सी.सी. प्रमाण पत्र परीक्षा के परिणामः**

राष्ट्रीय कैडेट कोर में निश्चित स्तर पर प्रशिक्षण सम्पूर्ण करने वाले कैडेट्स के लिए प्रत्येक सत्र में विभिन्न प्रकार की प्रमाण–पत्र परीक्षा आयोजित की जाती है। वर्ष 2020–21 में निम्नलिखित परीक्षा सम्पन्न हुई और प्रवेश होने एवं उत्तीर्ण कैडेट्स की संख्या निम्न प्रकार रहीः

	'ए' सर्टीफिकेट		'बी' सर्टीफिकेट		'सी' सर्टीफिकेट	
	प्रवेश संख्या	उत्तीर्ण संख्या	प्रवेश संख्या	उत्तीर्ण संख्या	प्रवेश संख्या	उत्तीर्ण संख्या
थल सेना	7879	7214	7448	4259	3865	1963
जल सेना	1300	1148	189	189	161	106
वायु सेना	1540	1464	297	225	200	102

➢ **एनसीसी कैडेट्स को नियमित सैनिक इकाई के साथ प्रशिक्षण (जनवरी 2021 तक):**

राजस्थान में एन.सी.सी. अधिकारियों (ए.एन.ओ.) एवं कैडेटों के लिए निम्न प्रकार की विभिन्न सैनिक इकाइयों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु वर्ष 2020–21 तक स्थान आवंटित तथा उन्होंने संतोषजनक परिणाम प्राप्त कियाः–

क्र. सं.	सेना	विवरण	अधिकारी	कैडेट्स
1	थल सेना	आवंटित संख्या	शून्य – कोविड–19 के कारण	शून्य – कोविड–19 के कारण
		भाग लेने वालों की संख्या		
2	जल सेना	आवंटित संख्या		
		भाग लेने वालों की संख्या		
3	वायु सेना	आवंटित संख्या		
		भाग लेने वालों की संख्या		

- **आयोजित शिविरों का विवरण (जनवरी 2021 तक):** जल, थल, एवं वायु सेना से सम्बन्धित एन.सी.सी. कैडेट्स का विभिन्न वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों में मूल्यांकन होता है जिसमें साहसिक जीवन, सामूहिक आवास, सामाजिक सेवा एवं प्रशिक्षण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। थल सेना डिवीज़न ने 03 शिविर संपन्न कराये जिनमें 180 कैडेट्स ने भाग लिया। कोविड–19 के कारण जल सेना डिवीज़न, वायु सेना डिवीज़न व छात्रा डिवीज़न द्वारा जनवरी 2021 तक शिविर आयोजित नहीं करवाये गये।
- कोविड–19 के कारण एन.सी.सी. के छात्र/छात्राओं द्वारा 12 बोर एसडी , राइफल .22 एसडी तथा राइफल .22 जेडी से शून्य फायर किये गये।
- कोविड–19 के कारण वर्ष 2020–21 में एयर स्क्वाड्रन एन.सी.सी. के कैडेट्स द्वारा कोई मॉडल तैयार नहीं किया गया।
- वार्षिक शिविरों के अतिरिक्त महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न स्थानों पर आयोजित शिविरों में भाग लेने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या निम्नानुसार थीः

शिविर का नाम	छात्र	छात्रा
थल सैनिक शिविर	शून्य	शून्य
वायु सैनिक शिविर		
नौ सैनिक शिविर		
एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर/ SPL NIC	04 शिविर	
एडवांस लीडरशिप/वायु सैनिक शिविर/रॉक क्लाइम्बिंग ट्रेनिंग कैम्प	शून्य – कोविड–19 के कारण	
ऑल इन्डिया ट्रेक		
यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम		
रिपब्लिक डे कैम्प 20.12.2020 – 29.01.2021	18	16
आईएमए अटैचमेन्ट 15.12.2020 – 08.01.2021	17	0
आत्मनिर्भर भारत	04 शिविर	

- **सामाजिक कार्यः** वर्ष 2020–21 में कुल 23530 एन.सी.सी. कैडेट्स ने निम्नांकित अभियानों में भाग लिया :–

1. योग – 21 जून 2020 को 151 केन्द्रों और 5908 कैडेट्स ने भाग लिया
2. कारगिल दिवस समारोह – 26 जुलाई 2020 8200 कैडेट्स एवं 234 ए.एन.ओ.
3. यूनिसेफ द्वारा वेबिनार में 1700 कैडेटों ने कोविड–19 में भाग लिया
4. वृक्षारोपण प्रोग्राम – 8562 कैडेटों ने भाग लिया

5. फिट इंडिया में – 15 अगस्त 2020 को भाग लिया
6. सद्भावना दिवस –20 अगस्त 2020 को 643 कैडेटों ने भाग लिया
7. कोविड–19 महामारी पूर्व एनसीसी योगदान नागरिक प्रशासन के समर्थन में विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एन.सी.सी. द्वारा पैन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में राजस्थान एनटीई के पूर्व एन. सी.सी. योगदान, 2717 कैडेट (1917 लड़के और 800 लड़कियां) ने 13 अप्रेल 2020 से राजस्थान के नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए स्वेच्छा से काम किया। राजस्थान के राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र ने भी राजस्थान के एनसीसी कैडेटों के योगदान की सराहना की।
8. विश्व तम्बाकू निषेध दिवस – 31 मई 2019
9. राज्य सरकार द्वारा COVID-19 जागरूकता के लिए कोरोना के विरूद्ध जन–आन्दोलन के तहत **नो मास्क नो एन्ट्री प्रोग्राम** 03 Nov 2020 से 31 Jan 2021 तक, 89 कैडेट ने सम्बन्धित जिला प्रशासन के साथ निम्न कैडेट संख्यानुसार सहयोग किया :–
    (i) भीलवाडा 25 कैडेट्स
    (ii) प्रतापगढ़ 09 कैडेट्स
    (iii) बांसवाडा 25 कैडेट्स
    (iv) प्रतापपुर 30 कैडेट्स के साथ एनसीसी बटालियन से सम्बन्धित ए.एन.ओ. और सेना के कर्मचारियों के साथ।
10. Heartfulness ``Help Programme'' 21 दिसम्बर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक में 500 कैडेट्स ने भाग लिया।

आय–व्यय अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

क्र. स.	बजट मद संख्या	लेखा वर्ष 2020–21	
		राज्य निधि (कमिटेड)	राज्य निधि (योजनाएं)
1	24–2204–102(01)(01)(02)	3011.91	103.26
2	24–4202–03–102–03–01–16	0.00	22.88
3	51–4202–03–789–02–01	0.00	0.01
4	30–4202–03–796–02–01	0.00	0.01
	योग	**3011.91**	**126.16**

वर्ष 2020–21 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां:

- कुशल प्रशिक्षण के कारण 398 कैडट्स को सेना में प्रवेश प्राप्त हुआ।
- कोविड–19 के कारण नौसैनिक कैम्प, अखिल भारतीय वायुसैनिक कैम्प, थलसैनिक कैम्प की गतिविधियां प्रतिबंधित रहने के कारण शून्य रहीं एवं गणतंत्र दिवस शिविर नई दिल्ली में दिनांक 20.12.2020 से 29.01.2021 तक 34 कैडेट्स ने भाग लिया।

- कोविड–19 के कारण यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2020, केमल सफारी 2020, एक्सपीडिशन व राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप 2020 गतिविधियां प्रतिबंधित रहने के कारण शून्य रहीं।
- विभिन्न कैम्पों यथा एक भारत श्रेष्ठ भारत, कोटा में 50 कैडेट्स व 02 एएनओ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, केरल में 50 कैडेट्स व 05 एएनओ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उदयपुर में 300 कैडेट्स व 12 एएनओ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उत्तराखंड में 300 कैडेट्स व 10 एएनओ, आत्मनिर्भर भारत अभियान चूरू में 200 कैडेट्स व 05 एएनओ तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान जोधपुर में 200 कैडेट्स व 11 एएनओ ने ऑनलाईन सहभागिता की।
- सामाजिक सेवा संबंधी गतिविधियों यथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 में 22132 कैडेट्स, पेन इण्डिया साईकिल रैली 507 कैडेट्स, स्वच्छ भारत मिशन 6741 कैडेट्स, विश्व पर्यावरण दिवस 544 कैडेट्स, नशा मुक्ति दिवस 233 कैडेट्स, वृक्षारोपण 20175 कैडेट्स, गांधी जयन्ती 21193, रक्त दान कार्यक्रम 241 कैडेट्स, स्वच्छता पखवाड़ा 27025 कैडेट्स, विजय दिवस में 50 कैडेट्स एवं कैंसर जागरूकता रैली में 155 कैडेट्स ने भाग लिया।
- राज्य सरकार से एन.सी.सी. ग्रुप मुख्यालय बीकानेर, एन.सी.सी. बटालियन डीडवाना एवं आर एण्ड वी स्क्वा जयपुर नवीन एन.सी.सी. कार्यालयों के सृजन की सहमति प्राप्त हुई। वित्त विभाग की सहमति पश्चात् कार्यालय खोले जा सकेंगे।
- कैडेट वेलफेयर समिति से 36 कैडेट्स को प्रति कैडेट रू 6000 के हिसाब से कुल राशि रू 216000 छात्रवृति प्राप्त हुयी। 32 कैडेट्स को उत्कृष्ट कैडेटस अवार्ड हेतु कुल राशि रू 128000 प्राप्त हुयी।

साहस, शौर्य, अनुशासन और कर्तव्य का उद्घोष करते हुए देश की तरुणाई एन.सी.सी. कैडेट्स के रूप में कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। सन् 1948 से स्कूल व कॉलेजों में छात्र–छात्राओं के लिए प्रारम्भ इस योजना के कारण सम्बन्धित छात्र–छात्राओं ने जहाँ अपने आपको अनुशासन पालन में समर्पित किया वहीं दूसरी ओर सृजनात्मक, रचनात्मक, सामाजिक कार्यों में भी उनका योगदान रहा है। कोविड-19 महामारी पूर्व एनसीसी योगदान नागरिक प्रशासन के समर्थन में विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एनसीसी द्वारा पैन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में राजस्थान एनटीई के पूर्व एनसीसी योगदान, 2717 कैडेट (1917 लडके और 800 लडकियां) ने 13 अप्रेल 2020 से राजस्थान के नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए स्वेच्छा से काम किया। राजस्थान के राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र ने भी राजस्थान के एनसीसी कैडेटों के योगदान की सराहना की। राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 जागरूकता के लिए कोरोना के विरूद्ध जनआन्दोलन के तहत नो मास्क नो एन्ट्री प्रोग्राम 03 Nov 2020 से 31 Jan 2021 तक, 89 कैडेट ने सम्बन्धित जिला प्रशासन का साथ दिया। राज्य सरकार एन.सी.सी. की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैस भत्ता, केयर टेकर भत्ता, ए.एन.ओ. को भत्ता, मानदेय (Honorarium) में बढ़ोतरी की गई हैं एवं विभिन्न कोर्सेज में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राशि में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही कैडेट्स को यूनिफोर्म सहित लगभग 11 प्रकार के आईटम निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं और विभिन्न कैम्पों में राज्य का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है ।

राष्ट्रीय सेवा योजना

- राष्ट्रीय सेवा योजना का शुभारम्भ पूज्य महात्मा गांधी जी के जन्मशती वर्ष 1969 में पूरे देश में किया गया।
- राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य समाज सेवा के माध्यम से छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व विकास का है। इस योजना का ध्येय वाक्य (Motto) है –**'मैं नहीं आप'** के स्थान पर दिनांक 06.08. 2020 से परिवर्तित किया गया है– ' **स्वयं से पहले आप** ' (Not Me But You)
- राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चुने हुए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं **+2 स्तर**' के सीनियर सैकण्डरी के विद्यालयों में साक्षरता, रोजगार, एड्स जागरूकता, मतदाता जागरूकता, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने एवं श्रमदान संबंधी कार्य करवाये जाते हैं।
- इस योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक संस्था द्वारा 100 स्वयंसेवकों का पंजीकरण कर एक इकाई का गठन किया जाता है जिसके प्रभारी के रूप में एक संकाय सदस्य को कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- इस योजना के अन्तर्गत दो प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होता है– नियमित गतिविधियाँ तथा 7 दिवसीय विशेष शिविर। इन गतिविधियों के अन्तर्गत एक स्वयं सेवक को दो वर्ष के अध्ययनकाल में 240 घण्टे सामाजिक कार्य एवं एक सात दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना होता है।
- योजना के प्रारम्भ में राजस्थान को 266 स्वयंसेवकों की संख्या आवंटित की गई थी। वर्तमान में एन.एस.एस. स्वयंसेवकों की संख्या 202100 आवंटित है।
- इकाइयों का विभाजन निम्नानुसार किया गया है:–

	संस्थाएँ	इकाइयाँ	स्वयंसेवक
उच्च शिक्षा (आयुक्तालय स्तर)	647	1015	101500
+ 2 स्तर माध्यमिक शिक्षा	850	850	85000
विश्वविद्यालय स्तर पर	33	156	15600
योग	**1530**	**2021**	**202100**

(1) वर्ष 2019–20 तक राज्य में राष्ट्रीय सेवा योजना की 1848 इकाइयां कार्यरत रही हैं।

(2) वर्ष 2020–21 में राज्य में राष्ट्रीय सेवा योजना की कुल 2021 इकाइयां आवंटित की गई हैं।

बजट प्रावधान

- राष्ट्रीय सेवा योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 7:5 के अनुपात में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटित किया जाता था। अप्रेल 2016 से यह योजना शतप्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना में परिवर्तित हो गई है ।

- बजट प्रावधान एवं व्यय विवरण (राशि रु. में)

वर्ष	बजट प्रावधान		व्यय	
	सीएसएस	स्टेट फण्ड	सीएसएस	स्टेट फण्ड
2008–09	3,14,00,000	2,23,00,000	3,09,40,000	2,21,00,417
2009–10	3,40,00,000	2,43,00,000	3,17,54,334	2,26,81,666
2010–11	3,50,00,000	2,50,00,000	2,10,68,830	1,50,49,170
2011–12	4,87,00,000	3,48,50,000	3,50,84,383	2,50,60,274
2012–13	5,00,00,000	3,60,00,000	3,82,76,874	2,73,40,626
2013–14	5,28,00,000	3,80,00,000	2,90,23,751	2,07,31,249
2014–15	5,48,00,000	3,90,00,000	4,14,76,459	2,96,26,041
2015–16	5,58,00,000	4,00,00,000	65,71,250 रु	52,70,833 रु

यह राशि भारत सरकार से रिवेलीडेशन स्वरूप प्राप्त कर व्यय की गई थी। सत्र 2015–16 का मूल अनुदान आज दिनांक तक भारत सरकार से अप्राप्य है ।

वर्ष 2016–17 से शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान आधारित होने के बाद अनुदान की स्थिति

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि रू.	संस्थाओं को जारी की गई अनुदान राशि	अवशेष रही राशि रू.
2016–17	7,30,31,250	6,95,70,048	34,61,202
2017–18	6,95,70,048	6,94,49,500	1,20,548
2018–19	7,30,31,250	7,28,37,500	1,93,750
2019–20	7,30,31,250	7,30,02,500	28,750
2020–21	आदिनांक तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।		

(1) वर्ष 2016–17 से राष्ट्रीय सेवा योजना पूर्णतया "Central Sector Scheme हो गई है। अतः योजना में 100 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा ही आवंटित किया जा रहा है।

(2) वर्ष 2017–18 से इस स्कीम के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले अनुदान राशि को भारत सरकार ने PFMS (Public Financial Management System) पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाना अनिवार्य कर दिया है। अतः तदनुसार ही राज्य में अनुदान वितरण की प्रक्रिया संपादित की जा रही है।

- प्रति इकाई आवंटन 45 हजार रुपये है जिसमें 22500 रु. नियमित गतिविधियों के लिए तथा 22500 रु विशेष शिविर आयोजन हेतु नियत हैं । आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा एवं विश्वविद्यालय स्तर पर समन्वयक प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं जिनके माध्यम से विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा +2 स्तर के विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों का संचालन होता है ।
- भारत सरकार के शत–प्रतिशत अनुदान के आधार पर शासन सचिवालय में एन.एस.एस. प्रकोष्ठ स्थापित है। जिसमें एक राज्य सम्पर्क अधिकारी एवं 7 अन्य कर्मचारियों हेतु पद स्वीकृत हैं ।
- उच्च शिक्षा विभाग में उक्त प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग (ग्रुप–4 अ) के माध्यम से एन.एस.एस. गतिविधियों का सम्पादन करवाया जाता है । विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं +2 स्तर के समन्वयक को बजट आवंटन करना, लेखे प्राप्त करना, राज्य स्तरीय आयोजन करवाना, राज्य सलाहकार समिति की बैठक करवाना, भारत सरकार के

नवीनतम निर्देशों की अनुपालना करवाना, एन.एस.एस. इकाइयाँ आवंटित करना, संस्था स्तर पर नियमित गतिविधियाँ एवं विशेष शिविरों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना एवं स्वयंसेवकों को समाज सेवा, एड्स जागरूकता, पर्यावरण, रक्तदान, साक्षरता, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य अभियानों, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता, मतदाता जागरूकता, मनरेगा, हरित राजस्थान आदि कार्यों से जोड़ना एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना मुख्य कार्य है।

- भारत सरकार के निर्देशानुसार इस योजना की क्रियान्विति हेतु एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठित है जिसके अध्यक्ष माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय हैं। इस समिति के अन्य सदस्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, उच्च शिक्षा सचिव, भारत सरकार के प्रादेशिक केन्द्र के सहायक कार्यक्रम सलाहकार, निदेशक/आयुक्त कॉलेज शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सभी कार्यक्रम समन्वयक, पंचायत राज एवं समाज से जुड़ी हुई एजेन्सी के प्रतिनिधि भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं। राज्य सम्पर्क अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव हैं।

वर्ष 2020–21 में इकाई आवन्टन की स्थिति

संस्था	संस्थाओं की संख्या	आवंटित इकाइयों की संख्या
विश्वविद्यालय	33	156
राजकीय महाविद्यालय	239	429
गैर–राजकीय महाविद्यालय	349	517
अभियान्त्रिकी महाविद्यालय	30	38
पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय	7	7
आयुर्वेदिक व नर्सिंग महाविद्यालय	2	2
विधि महाविद्यालय	08	10
संस्कृत महाविद्यालय	10	10
सामाजिक कार्य संस्थान	1	1
ग्रामीण संस्थान	1	1
योग	**680**	**1171**
+ 2 स्तर के विद्यालय	**850**	**850**
कुल योग	**1530**	**2021**

प्रत्येक इकाई में प्रतिवर्ष 100 स्वयंसेवकों का पंजीकरण किया जाता हैं।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड

- 1907 में बेडन पावेल द्वारा एक प्रायोगिक शिविर से अंकुरित स्काउट कार्यक्रम आज विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा आन्दोलन बन गया है जो विश्व के 218 राष्ट्र एवं उपनिवेशों में अपनी पहचान कायम करते हुए निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। राजस्थान प्रदेश संगठन ने भी सभी स्तरों पर विशिष्ट एवं उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित करते हुए अपनी अमिट छाप छोड़ी है और प्रदेश को गौरवान्वित किया है।
- स्काउट गाइड गतिविधि के अन्तर्गत 15 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के युवक–युवतियों के लिए संचालित गतिविधि को रोवरिंग/रेंजरिंग के नाम से सम्बोधित किया जाता है। युवकों को रोवर और युवतियों को रेंजर कहा जाता है।
- राजस्थान की रोवरिंग रेंजरिंग राष्ट्र स्तर पर अपनी अलग पहचान कायम किए हुए है। सेवा के आयाम को सार्थक करते हुए रोवर रेंजर्स मेला, अस्पताल, वृद्ध जन सेवा नेत्र चिकित्सा शिविर, सड़क सुरक्षा अभियान, साइकिल रैलियों के माध्यम से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय गतिविधियों में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संगठन की सत्र 2020–21 की गतिविधियों का विवरणः

- स्काउट गाइड संगठन की पहचान सेवा– सेवा के आयाम में हर स्तर पर चाहे मैला हो, अस्पताल हो, अनाथालय हो, वृद्धजन सेवा हो, सड़क सुरक्षा हो, युवाओं की एक बुरी लत व्यसन उसे छुडाने का पूरा प्रयास हो, राज्य के रोवर रेंजर्स जो 15 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं अपने स्थानीय कॉलेज, स्थानीय संघ क्षेत्र, जिला क्षेत्र एवं मण्डल क्षेत्र के साथ साथ राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

वर्ष 2020 सभी के लिए जीवन में कभी ना भुलाए जाने वाला वर्ष साबित हुआ जहाँ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर एक जगह स्तब्ध कर दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में जब पूरा भारत लॉकडाउन के दौर से

गुजर रहा था, रोवर रेंजर्स बिना जान की परवाह किए सेवा कार्य में जुट गए और कोने–कोने में पहुँच कर आम लोगों की सहायता कीः–

कार्य	सम्भागी	लाभान्वित
मास्क वितरण	13128	531580
भोजन पैकेट वितरण	17406	879204
खाद्य सामग्री वितरण	12474	297100
पशु पक्षियों की सेवा	29154	147053 घण्टे सेवा
जन जागृति पोस्टर प्रतियोगिता द्वारा	30061	112290
सेनेटाईजेशन	18347	1720019

- राजस्थान राज्य के रोवर्स रेंजर्स द्वारा राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न वेबीनार वर्चुअल प्रतियोगिता में संगीत, पेन्टिंग्स, क्विज में भी भाग लिया गया। राज्य की मैना राव रेंजर द्वारा संगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया ।

- राष्ट्र स्तर पर कोरोना विषय पर एक स्लोगन और पेंन्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान राज्य द्वारा पूर्ण की गई। पूरे राष्ट्र से लगभग 1181 युवा रोवर रेंजर्स द्वारा प्रतियोगिता में सहभागिता की गई। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

- कोरोना जागृति अभियान के तहत रोवर्स द्वारा साइकिल रैली का अभियान चलाया गया। इस प्रकार रोवर्स रेंजर्स के सेवा कार्यों की राज्य सरकार द्वारा भूरि–भूरि प्रशंसा की गई।

इस वर्ष राष्ट्र स्तर पर सभी राज्यों की वार्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन किया गया जिसमें राजस्थान राज्य को गाइड विभाग में प्रथम, स्काउट विभाग में द्वितीय तथा समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर घोषित कर 12 शील्ड प्रदान की गईं, जो हम सभी के लिए अत्यन्त गौरव की बात है।

स्काउट गाइड आन्दोलन इसी तरह प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

http://www.rajhga.com

केन्द्र प्रवर्तित योजना

भारत सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बाद सन् 1968 में उच्च शिक्षा के माध्यम परिवर्तन पर बल दिया था। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकों का लेखन, प्रकाशन एवं विपणन किया जाना था। इसके लिए हिन्दी प्रदेशों में ग्रन्थ अकादमियों एवं हिन्दीतर प्रदेशों में पाठ्य पुस्तक–निर्माण मण्डलों का गठन किया गया था। सन् 1969 में एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना हुई।

उद्देश्य

अपनी स्थापना से यह अकादमी हिन्दी माध्यम में उच्चशिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए विज्ञान, तकनीकी, मानविकी, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा आदि विषयों की पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाती है। इस पाठ्य सामग्री में पाठ्य पुस्तकें हैं तो सन्दर्भ ग्रन्थ भी हैं।

उपादेयता

अकादमी न लाभ – न हानि के सिद्धान्त पर पुस्तकें प्रकाशित करती है ताकि कम कीमत की इन पुस्तकों को अधिक से अधिक विद्यार्थी खरीद सकें। पुस्तकें विषय विशेषज्ञों के द्वारा लिखी जाती हैं ताकि गुणवत्ता कायम रहे।

मौलिक पुस्तकों का वर्षवार प्रकाशन

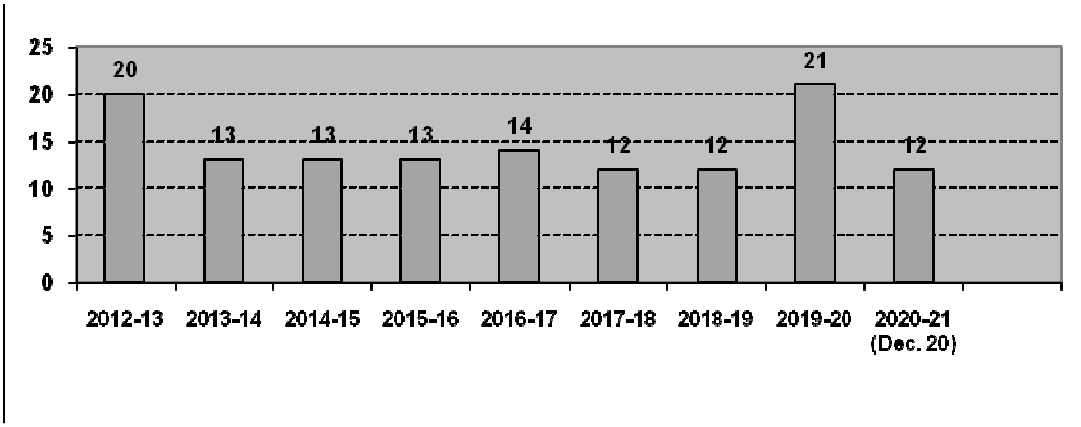

वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर 2020 तक) में 12 मौलिक पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। अकादमी ने विज्ञान, तकनीकी, मानविकी, सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा आदि विषयों की दिसम्बर 2020 तक कुल 679 मौलिक एवं 90 अनूदित पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

परिष्कृत पुस्तकों का पुनर्मुद्रण

विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमानुसार नयी पाठ्यपुस्तकों के लेखन एवं प्रकाशन के साथ पूर्व प्रकाशित पुस्तकों में संशोधन का कार्य अनवरत चलता रहता है। पुस्तक के पुनर्मुद्रण से पूर्व लेखकों से विषय, भाषा एवं प्रस्तुति के सन्दर्भ में अपेक्षित संशोधन

करवाये जाते हैं ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु स्तरीय सामग्री उपलब्ध हो सके। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर 2020 तक) में 16 संस्करण प्रकाशित किये जा चुके हैं।

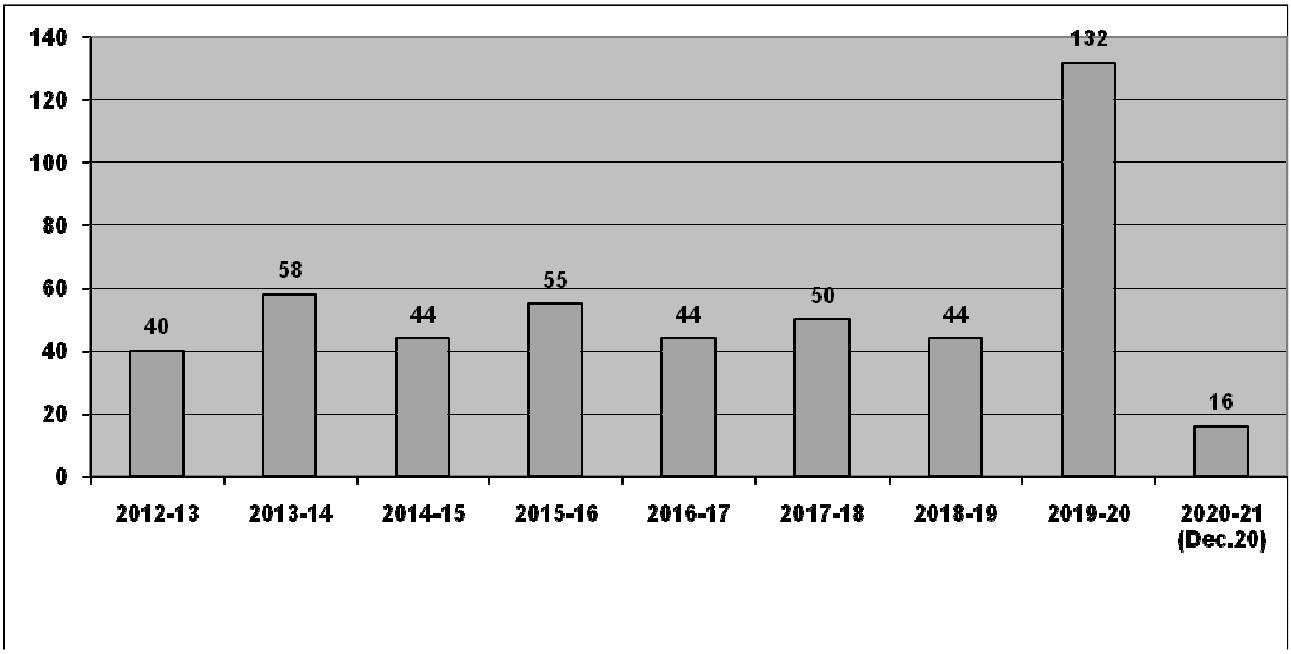

बिक्री में बढ़ोतरी

अकादमी ने बिक्री का अपना तंत्र विकसित कर लिया है जिससे सभी हिन्दी प्रदेशों में अकादमी की पुस्तकें बिक रही हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) 1,41,29,150/– रूपये की बिक्री की गई है।

वर्षवार कुल बिक्री (लाख रूपये में)

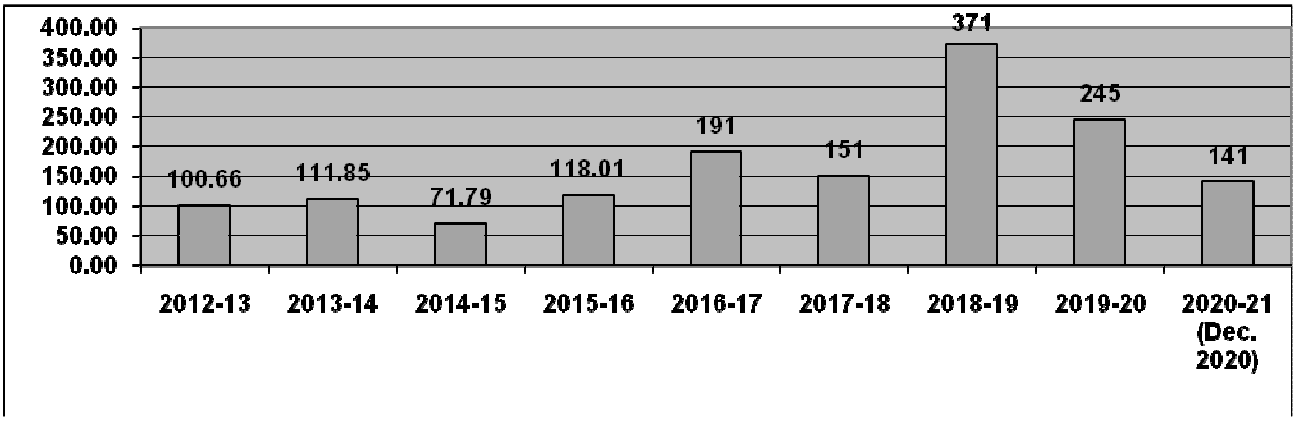

विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में अनुशंसित पुस्तकें

राजस्थान के विश्वविद्यालयों के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में अकादमी की पुस्तकें अनुशंसित हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, हरियाणा एवं दिल्ली सहित हिन्दी भाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी अकादमी की अनेक पुस्तकें अनुशंसित हैं।

अकादमी द्वारा की जा रही गतिविधियाँ

अकादमी द्वारा 'हिन्दी बुनियाद' (द्वैमासिक) पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसके अब तक कुल 7 अंक प्रकाशित किये जा चुके हैं, जिसे राजस्थान में अवस्थित सभी राजकीय महाविद्यालयों व विद्वानों को भिजवाई जा रही है।

विद्यार्थियों एवं संस्थाओं को कम कीमत की अच्छी किताबें

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी विद्यार्थियों को कम से कम कीमत पर मानक पाठ्य पुस्तकें एवं सन्दर्भ ग्रन्थ उपलब्ध करवाती है। विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं पाठकों को सीधी खरीद करने पर पुस्तक मूल्य पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है। संस्थाओं को सीधी खरीद करने पर 20 प्रतिशत की छूट देय है।

भारत एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान

अकादमी द्वारा करवाये जाने वाले पुस्तक प्रकाशन के कार्यों का शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार के अनुदान से संभव होता है। भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया था जो अकादमी की मांग के अनुसार भेजे गए बजट के आधार पर प्रतिवर्ष आगामी पंचवर्षीय योजनाओं तक अकादमी को प्राप्त होता रहा। वर्ष 1994 की अवधि तक यह रूपये 1.00 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी थी। पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त राशि का रिवॉल्विंग फंड बनवाया गया था जिससे आगामी संस्करण प्रकाशित कराये जा सकें तथा हिन्दी माध्यम में उच्च शिक्षा पाने वाले प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषयों की मानक पाठ्य पुस्तकों एवं सन्दर्भ ग्रन्थों को हिन्दी में तैयार करवाने के लिए धन की कमी न रहे। अकादमी के पास उपलब्ध इस फंड के अलावा पुस्तक प्रकाशन के लिए केन्द्र सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग से प्रति वर्ष अलग से भी अनुदान प्राप्त होता है परन्तु वित्तीय वर्ष 2020–21 में आदिनांक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि (लाख रूपये में)

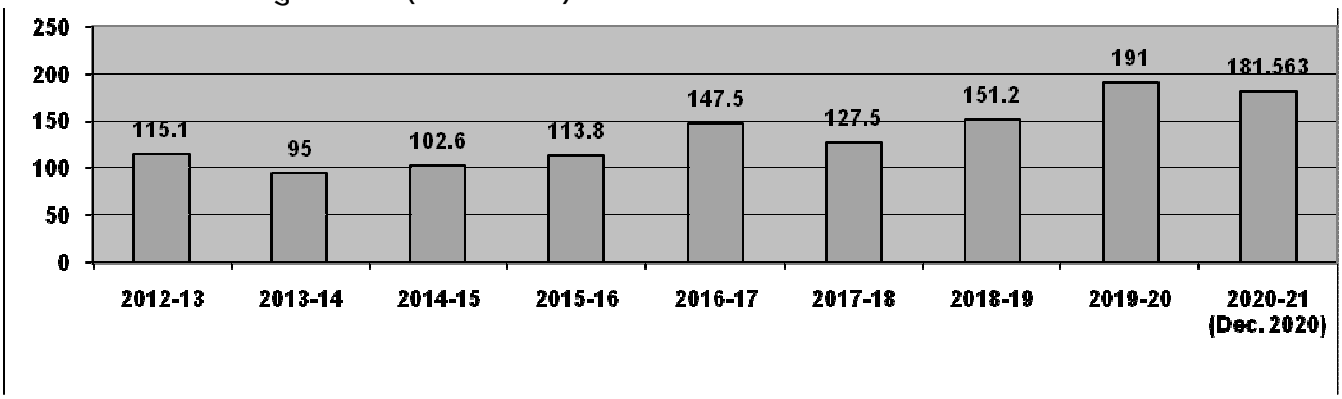

वित्तीय वर्ष 2020–21 में रूपये 209 लाख का प्रावधान था, जिसमें से दिसम्बर, 2020 तक गैर आयोजना मद में रूपये 205.50 लाख प्राप्त हो गए हैं जिसमें से रूपये 181.563 का व्यय हो चुका है। आयोजना मद में रूपये 2 लाख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,28,000/– रूपये का व्यय हो चुका है।

रॉयल्टी का ऑनलाइन लेखा / देश का एकमात्र प्रकाशन गृह

लेखन पारिश्रमिक स्वरूप अकादमी अपने लेखकों को 20 प्रतिशत रॉयल्टी प्रदान करती है। यह हर्ष का विषय है कि रॉयल्टी के सही–सही भुगतान के संदर्भ में अकादमी ने लेखकों का विश्वास अर्जित किया है।

वर्षवार कुल रॉयल्टी (लाख रूपये में)

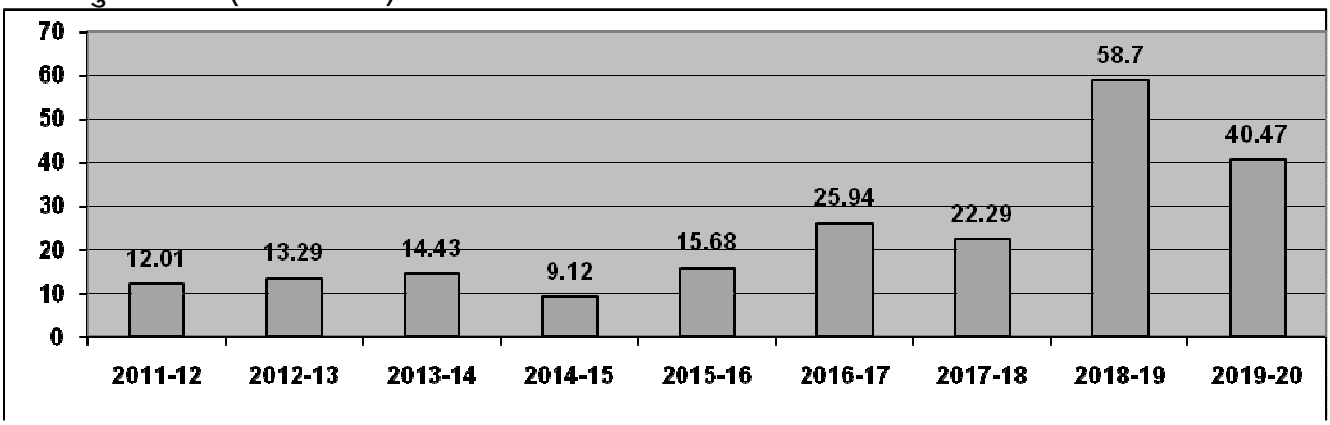

वर्ष 2005–06 से पारदर्शिता रखते हुए लेखकों की सुविधा के लिए रॉयल्टी का प्रतिदिन का लेखा अकादमी की वेबसाइट पर रखने का प्रावधान किया गया। अब अकादमी के लेखक जब चाहें, अपनी पुस्तक की बिक्री व रॉयल्टी का लेखा घर बैठे देख सकते हैं। इस तरह की सुविधा प्रदान करने वाला यह देश का एकमात्र संस्थान है। वर्ष 2019–20 की रॉयल्टी की राशि का लेखकों के खाते में ऑनलाइन भुगतान कर दिया गया है।

कम्प्यूटरीकरण/वेबसाइट

अकादमी ने नयी पहल करके अपने कामकाज को अद्यतन बनाया है। विभिन्न शाखाओं के काम को लगभग कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है तथा अकादमी परिसर wifi है। इस प्रकार अपने कामकाज, प्रकाशन एवं बिक्री की दृष्टि से अकादमी उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है।

इन्टरनेट का इस्तेमाल करने वालों के लिए अकादमी की वेबसाइट www.rajhga.com पर प्रकाशन सूची, लेखकों के लिए दिशा–निर्देश, बिक्री के नियम के अलावा अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं। पिछले 14 वर्ष से यह वेबसाइट बराबर इन्टरनेट पर है और इसको आदिनांक रखा जाता है। अकादमी की वेबसाइट पर पुस्तकों के क्रय की online सुविधा भी उपलब्ध है जिसके तहत अकादमी की मेल (rajhindigranth@gmail.com) पर भी पुस्तक क्रय आदेश भिजवाकर पुस्तकें प्राप्त की जा सकती है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

स्थापना वर्ष	1947
संघटक महाविद्यालय	7
संबद्ध महाविद्यालय	**586**

वेबसाइट	http://uniraj.ac.in/
कार्य क्षेत्र के जिले	जयपुर व दौसा

राजस्थान विश्वविद्यालय राज्य का सबसे प्राचीन शिक्षण संस्थान होने का गौरव रखता है। इसे 8 जनवरी 1947 को राजपूताना विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना के समय से इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली अधिनियम की धारा 2F व 12B के तहत मान्यता दी गई। राजस्थान विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का निर्माण और प्रसार है। यह राजस्थान के छात्रों व देश विदेश के अन्य भागों के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिये आकांक्षाओं को पूरा करता है। विश्वविद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित है और इसका केन्द्रीय परिसर 338.14 एकड़ में फैला हुआ है। इसके सेटेलाईट केम्पस में इसके संघटक महाविद्यालय 138.21 एकड़ में फैले हुये हैं। प्रारम्भ में विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में सम्पूर्ण राज्य शामिल था। वर्ष 1956 में राजपूताना विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर राजस्थान विश्वविद्यालय किया गया। वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय में 9 संकाय, 37 स्नातकोत्तर विभाग और 32 अनुसंधान केन्द्र हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय से 586 महाविद्यालय संबद्ध हैं।

जन शक्तिः शैक्षणिक वर्गः विश्वविद्यालय में कार्मिकों के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरणः

क्र.सं.	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
01	आचार्य	61	03	58
02	सह–आचार्य	135	22	113
03	सहायक आचार्य	753	451	302
04	रिसर्च एसोसिएट	34	0	34
05	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	0	01
06	उप–पुस्तकालयाध्यक्ष	04	0	04
07	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	14	07	07
08	निदेशक/सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा	12	08	04
09	साइंटिफिक ऑफिसर (यूसिक)	02	0	02
	कुल योग	**1016**	**491**	**525**

अशैक्षणिक वर्गः विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक वर्ग के 1780 स्वीकृत पद हैं, जिनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 847 है तथा 933 पद रिक्त हैं।

विद्यार्थी–नामांकनः विश्वविद्यालय के विभाग व संघटक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों का नामांकन निम्नानुसार हैः

महाविद्यालय	विद्यार्थी सं.	महाविद्यालय	विद्यार्थी सं.
महाराजा कॉलेज, जयपुर	3014	महारानी कॉलेज, जयपुर	6733
कॉमर्स कॉलेज, जयपुर	4872	राजस्थान कॉलेज, जयपुर	4119
लॉ कॉलेज,(प्रातःकाल) जयपुर	785	कुल विद्यार्थियों की संख्या (सभी संघटक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्रों की संख्या) वर्तमान में विभिन्न विभागों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है।	21262
लॉ कॉलेज,(सायंकाल) जयपुर	1186		
विश्वविद्यालय पंचवर्षीय लॉ कॉलेज, जयपुर	553		

संचालित संकाय एवं विषयों का विवरणः विश्वविद्यालय में कला संकाय में 7 विषय, सोशल साइन्स में 16 विषय, फाईन आर्ट्स में 4 विषय, विज्ञान संकाय में 14 विषय, वाणिज्य संकाय में 3 विषय, शिक्षा संकाय में 3 विषय, विधि संकाय तथा प्रबन्ध संकाय संचालित हैं।

वित्तीय प्रबन्धः आय–व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

आय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	आय–राज्य निधि (योजनाएं)	व्यय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	व्यय–राज्य निधि (योजनाएं)
11000.01	0.00	11000.00	0.00

वर्ष 2020–21 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियांः

वित्तीय वर्ष 2020–21 का ज्यादा समय कोरोना–19 संक्रमित बीमारी के कारण गुजरा। फिर भी वित्तीय वर्ष 2020–21 की निम्न उपलब्धियां हैंः

- विश्वविद्यालय द्वारा 08 जनवरी, 2021 को 30वां दीक्षान्त समारोह एवं 75वां स्थापना दिवस कोरोना महामारी के कारण Virtual Mode में आयोजित किया गया। राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने दीक्षान्त समारोह एवं 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले भारत के संविधान उद्देशिका को पढ़ा तथा सभी को मूल कर्त्तव्य का पाठ पढ़ाया। इस मौके पर माननीय राज्यपाल ने नवाचारों पर जोर दिया। इसी मौके पर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी जी ने भी संबोधित किया। कोविड–19 महामारी के काल में वर्चुअल समारोह में 113 विद्यार्थियों को जिसमें 90 छात्राएं और 18 छात्र को गोल्ड मैडल, 210 शोध उपाधियां और करीब डेढ़ लाख डिग्रियां जारी की गई। राज्यपाल महोदय द्वारा विद्यार्थियों को एनिमेशन की नई तकनीक के माध्यम से गोल्ड मेडल प्रदान किये। समारोह के बाद फिजिकली भी सोशल डिस्टेन्स के साथ प्रो. राजीव जैन, कुलपति ने गोल्ड मेडल और डिग्रियां दी।
- UGC, DST, BST, BRNS, CSIR, ICSSR, ICHR, ICMR, DEIT और ICAR जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से संकाय सदस्यों ने अनुदान प्राप्त किया।
- विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता (PURSE) का संवर्धनः विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने अपने विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता (PURSE) कार्यक्रम के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय को मान्यता दी है। विश्वविद्यालय का वर्तमान एच–इंडेक्स 110 से अधिक है।

- एमएचआरडी, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय शिक्षा अभियान (रूसा) चरण–1 कार्यक्रम के तहत 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किये। इस कार्यक्रम के सफल समापन पर, विश्वविद्यालय को रूसा 2.0 के लिए चुना गया है। इस विश्वविद्यालय के एचआरडीसी की मजबूती के लिए 7.0 करोड़ रू. की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह विश्वविद्यालय में ऊष्मायन केन्द्र की स्थापना के लिए 15 करोड़ और 35.00 करोड़ रू. विभिन्न विभागों के संकाय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत 19 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किये गये।
- एमएचआरडी, नई दिल्ली ने 100 करोड़ रू. विश्वविद्यालय में सीसीटी में डिजाइन इनोवेशन सेंटर (डीआईसी) स्थापित करने के लिए स्वीकृत किये।
- BIRAC, नई दिल्ली ने जैव प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालय नवाचार क्लस्टर (यूआईसी) कार्यक्रम स्थापित करने के लिए 2.2 करोड़ रू. की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह केन्द्र सीसीटीवी में भी चल रहा है।
- राज्य सरकार ने डीएसटी, राजस्थान के माध्यम से नैनो टेक्नोलॉजी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 13 करोड रू. की वित्तीय सहायता जारी की है।
- युवा वैज्ञानिक श्री मधुसूदन मूर्ति को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो स्टार्ट–अप कंपनियों की स्थापना के लिए नई दिल्ली से 20,000/– रू. का सर्वश्रेष्ठ स्टार्ट–अप पुरस्कार भी मिला।
- चेन्नई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान मिलेनियम सम्मेलन (IKMC-2019) हिन्दी विभाग को 56 लाख रू. अपनी स्थापना के बाद पहली बार बारहवीं योजना के तहत UGC द्वारा जारी किये गये।
- राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान मुख्यमंत्री बजट घोषणा के एक भाग के रूप में बायो–टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर की स्थापना के लिए 30 लाख रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है।
- संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने 4.00 करोड़ रू. कॉर्पस कोष के रूप में श्री गुरू गोविंद सिंह जी की 350वी जयंती के अवसर पर मंजूर किये है।
- MHRD/SPD-RUSA ने घटक 10 के तहत रूसा 2.0 कार्यक्रम की ओर 15.00 करोड़ ''अनुसंधान नवाचार और गुणवत्ता'' में सुधार के लिये स्वीकृत किये हैं।
- केन्द्रीय पुस्तकालय का RIFD आधारित बुक इश्यू प्रणाली की शुरूआत के साथ आधुनिकीकरण किया गया।
- प्रख्यात संस्कृत विदुषी प्रो.(सेवानिवृत्त) लक्ष्मी शर्मा संस्कृत वाड्मय में विशेषज्ञता के लिए भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित हुई।
- जीव विज्ञान के संकाय सदस्यों ने अपने योगदान के लिए चार भारतीय पेटेंट दर्ज किए।
- विभिन्न विभागों द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। भारत व विदेश के कई प्रतिष्ठित विद्वानों ने इन सम्मेलनों में भाग लिया।
- कोविड–19 के दौरान विश्वविद्यालय के सभी संघटित महाविद्यालय/पी.जी विभागों द्वारा विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखी ।

वर्ष 2021–22 की भावी योजना :

- सभी संकायों में प्रस्तावित पाठ्यक्रम संशाोधन के लिये BOS की स्थापना कर पाठ्यक्रम का संशोधन (पुर्निरीक्षण) शुरू किया जायेगा।
- पी.जी. और यू.जी. कोर्स में सेमेस्टर प्रणाली आरम्भ करने का प्रयास किया जायेगा।
- शासन सचिव, उच्च शिक्षा के साथ कुलपति की बैठक में हुए निर्णयानुसार एक नए शैक्षणिक कार्यक्रम 'आनन्दम्' को इसी वर्ष से राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के संघटक महाविद्यालयों एवं पी.जी विभागों के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर, सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी लागू कर दिया गया है।
- विश्वविद्यालय के पुराने दस्तावेज, विशेषकर परीक्षा अनुभाग के डिजिटलीकरण, विभिन्न चल रहे कार्यक्रमों में मेसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स (MOOC) और SWAYAM ऑनलाइन कोर्स शुरू करने व कैम्पस मे चल रहे कार्यक्रमों में CBCS सिस्टम को शुरू करने के भी प्रयास जारी है।
- विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व गतिविधियों की निगरानी के लिये और अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे।
- मौजूदा क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम में बदलने एवं छात्रहित में ई–लेक्चर, ई–बुक्स और ई–जर्नल्स को प्राथमिकता दी जाएगी।
- विभिन्न विषय विशेषज्ञों के ई व्याख्यान को यूट्यूब पर और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे।
- छात्रों की उपस्थिति के लिए और केन्द्रीय पुस्तकालय की सुविधाओं तक पहुंचने के लिए RFID आधारित कार्ड को शुरू किया जाएगा।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

स्थापना वर्ष	1962
संघटक महाविद्यालय	02
संबद्ध महाविद्यालय	303

वेबसाइट	http://www.jnvu.edu.in/
कार्य क्षेत्र	बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली एवं जोधपुर

पूर्व में जोधपुर विश्वविद्यालय, वर्तमान में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1962 में जोधपुर नगर निगम पालिका सीमा में हुई थी। विश्वविद्यालय कला, शिक्षा व समाज विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, विधि और विज्ञान की बहु–संकाय संस्था है। इसके अतिरिक्त रोजगार में लगे अभ्यर्थियों हेतु कला व वाणिज्य में स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में सायंकालीन अध्ययन संस्थान भी है। साथ ही छात्राओं के लिए अलग से कमला नेहरू महिला महाविद्यालय भी है। विद्यार्थियों के लिए कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में स्नातक तक की शिक्षा की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय की स्थापना से ही एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कॉलेज, जसवंत कॉलेज और एस.एम.के. कॉलेज को विश्वविद्यालय में समाहित किया गया था। वर्तमान में जोधपुर संभाग के अंतर्गत जोधपुर, पाली, जालोर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में 303 कॉलेजों को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के अपने स्वयं के छात्रावास भी हैं। सामान्य संकायों के विद्यार्थियों के आवास हेतु चार और इंजीनियरिंग संकाय के विद्यार्थियों के आवास हेतु दस छात्रावास हैं। इसके अतिरिक्त तीन छात्रावास छात्राओं हेतु हैं– एक छात्रावास जनजाति की छात्राओं हेतु, एक स्नातक की छात्राओं हेतु तथा एक स्नातकोत्तर एवं अन्य इंजीनियरिंग संकाय की छात्राओं (विदेशी छात्राओं का छात्रावास) के लिए है। विश्वविद्यालय में नेत्रहीन छात्रों हेतु भी एक छात्रावास है। विश्वविद्यालय में स्वयं के अतिथि गृह, कम्प्यूटर केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, यांत्रिक केन्द्र, अकादमिक स्टाफ कॉलेज, ई.एम.आर.सी., बिल्डिंग सेल, स्पोर्ट्स बोर्ड, प्रोक्टोरियल बोर्ड, छात्र सेवा मण्डल एवं एंटरप्रोन्योर डवलपमेंट सेल हैं। विश्वविद्यालय के कला, शिक्षा व समाज विज्ञान संकाय में 16; विज्ञान संकाय में 06; इंजीनियरिंग संकाय में 10; एवं वाणिज्य संकाय में 4 विभाग हैं। विधि संकाय मात्र एक संकाय है। विश्वविद्यालय का स्वयं का केन्द्रीय पुस्तकालय है, जो नया परिसर और पुराने परिसर में स्थित है। इसके साथ ही अन्य पांच शाखा पुस्तकालय भी विभिन्न संकायों के प्रांगण में हैं।

जनशक्ति–शैक्षणिक वर्ग : (09.01.2021)

क्र. स.	संकाय	स्वीकृत			कार्यरत			रिक्त		
		प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर
1	कला	13	35	145	02	09	79	11	26	66
2	विधि	02	03	25	01	01	07	01	02	18
3	वाणिज्य	04	12	59	01	04	26	03	08	33
4	विज्ञान	08	25	131	04	11	76	04	14	55
5	अभियांत्रिकी	24	44	113	00	01	56	24	43	57
6	अन्य	02	00	11	00	00	03	02	00	08
	योग	**53**	**119**	**484**	**8**	**26**	**247**	**45**	**93**	**237**

अशैक्षणिक वर्ग: विश्वविद्यालय में 798 अशैक्षणिक पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 284 पद रिक्त हैं।

विद्यार्थी–नामांकनः विश्वविद्यालय के विभागों में विद्यार्थी नामांकन (शैक्षणिक सत्र 2020–21)

	एस.सी.		एस. टी.		ओ. बी. सी.+ एस. बी.सी.		अल्पसंख्यक		सामान्य		योग		कुल योग
	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	
स्नातक	1591	1283	172	113	6419	6341	463	478	3602	3505	12247	11720	**23967**
स्नातकोत्तर	371	509	23	44	1576	2521	124	239	999	1904	3093	5217	**8310**
कुल योग	**1962**	**1792**	**195**	**157**	**7995**	**8862**	**587**	**717**	**4601**	**5409**	**15340**	**16937**	**32277**

संचालित संकाय एवं विषयों का विवरणः विश्वविद्यालय के कला संकाय में 16, अभियांत्रिकी संकाय में 10, वाणिज्य एवं प्रबन्धन संकाय में 08, विधि संकाय में 01 तथा विज्ञान संकाय में 11 विभाग स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर हैं। वाणिज्य एवं प्रबन्धन में 11 पी.जी. डिप्लोमा कोर्स, विधि में 03 पी.जी. डिप्लोमा कोर्स एवं अभियांत्रिकी में 02 पी.जी. डिप्लोमा कोर्स संचालित हैं। इनके अतिरिक्त एम.फिल., पीएच.डी एवं डी.लिट् उपाधियों हेतु भी विभिन्न विषयों में शोध कराये जाते हैं। केन्द्रीय पुस्तकालय नये परिसर में स्थित है तथा सभी संकायों में पुस्तकालय की शाखाएं भी हैं।

वित्तीय प्रबन्धः आय–व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

आय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	आय–राज्य निधि (योजनाएं)	व्यय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	व्यय–राज्य निधि (योजनाएं)
11500.01	0.00	11500.01	0.00

वर्ष 2020–21 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियांः

- वेबीनारः–कोविड–19 महामारी के कारण जहाँ पूरा विश्व सामाजिक दूरियां बनाये हुए है वहीं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के विभिन्न संकाय में शिक्षा की निरन्तरता और ज्ञान की वृद्धि, प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर–राष्ट्रीय ऑनलाइन वेबीनारों का आयोजन किया गया। इन वेबीनारों के माध्यम से देश–विदेश के शिक्षाविद्, वैज्ञानिक व साहित्यकारों ने ज्ञान का आदान–प्रदान किया। विश्वविद्यालय में लगभग 100 से अधिक राष्ट्रीय व अंतर–राष्ट्रीय वेबीनारों का विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों पर आयोजन किया गया।
- जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा Information and Library Network (INFLIBNET), गांधीनगर के मध्य पी. एच.डी. शोध ग्रन्थ जमा करवाने के लिए, आईआईटी जोधपुर में बायोसांइस पर, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज का सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज के साथ और राजस्थान कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर के मध्य कौशल पाठ्यक्रमों के संचालन के संबंध को लेकर एमओयू हस्ताक्षरित किये गये।
- विश्वविद्यालय के विभागों के दो जर्नल्स प्रकाशित हुए। लगभग 400 शोध पत्र राष्ट्रीय व अंतर–राष्ट्रीय सेमीनारों/कांफ्रेंसों में प्रस्तुत किये गये। लगभग 300 शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं।
- बॉक्सिंग (महिला) में बारबरा अल्डिमा सेम्पसन ने सी.सी.एस. विश्वविद्यालय, मेरठ में कांस्य पदक जीता साथ ही केआईआईटी भुवनेश्वर में खेलो इण्डिया में इनका चयन किया गया, जी.एन.डी.यू., अमृतसर में आयोजित जिम्नास्टिक (पुरूष) प्रतियोगिता में उगम सिंह ने कांस्य पदक जीता, जी.एन.डी.यू., अमृतसर में आयोजित मलखम्भ (पुरूष) प्रतियोगिता में पेप सिंह ने प्रथम बार मलखम्भ में विश्वविद्यालय के लिए कांस्य पदक जीता। विश्वविद्यालय की बैडमिंटन (पुरूष) टीम ने वेस्ट–जोन (क्वालिफाई फॉर ऑल इण्डिया) एसआरटीएम विश्वविद्यालय, नांनदेर में चौथे स्थान अपना कब्जा जमाया। साथ ही खेलो इंडिया केआईआईटी भुवनेश्वर के लिए सलेक्ट हुए।

- गुरु पूर्णिमा के अवसर पर के.एन.कॉलेज में नवनिर्मित कक्षा कक्ष का उद्घाटन एवं पुनरुद्धार पश्चात् कॉलेज हॉल का लोकार्पण, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर सेंटर के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ एवं कौशल विकास केंद्र का शिलान्यास तथा जेएनवीयू में अब प्रदेश में पाए जाने वाले दुर्लभ वन्यजीवों पर शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नया केंद्र वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस सेंटर की स्थापना की गई है।
- विश्वविद्यालय में सत्र 2020–21 में सभी संकायों के पाठ्यक्रमों के साथ ''आनन्दम्'' कोर्स संचालित किया जा रहा है।
- विश्वविद्यालय के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में सत्र 2020–21 में नए पाठ्यक्रम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का भी संचालन प्रारंभ हुआ।
- विश्वविद्यालय की एनएसएस, एनसीसी एवं स्काउट की इकाइयों द्वारा कोविड–19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिये जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके तहत रैलियां निकाली गई, पोस्टर एवं पेम्पलेट, मास्क, सेनेटाइजर बाँटे गये।
- पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम को विश्वविद्यालय परिसर में युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अपडेट कर सभी शैक्षणिक कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण जानकारी के साथ विद्यार्थियों के लिए ई–कंटेंट उपलब्ध करवाए गए है।
- विश्वविद्यालय के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के माध्यम से एक समय में 30 हजार विद्यार्थियों को शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई ताकि कोरोना काल में भी शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके।
- विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों में स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार की कई एजेन्सियों यथाः 06 यू.जी.सी.,06 डी.एस.टी. एव अन्य 04 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं।

वर्ष 2021–22 की भावी योजनाः

- विश्वविद्यालय को सामान्य विकास सहायता योजना, 12वीं योजना के अंतर्गत रू. 937.58 लाख की राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जारी की, जो कि आयोग द्वारा पारित कुल राशि रू. 1720.00 में से है। विश्वविद्यालय को जारी उपरोक्त राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पाठ्यक्रम की पुस्तकों की खरीद एवं उपकरण खरीद हेतु छात्राओं के लिए परिसर में सामान्य अन्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने जैसे विकासशील कार्यों में व्यय की गई। विश्वविद्यालय को RUSA (राष्ट्रीय उच्च्तर शिक्षा अभियान) के तहत स्वीकृत राशि 20 करोड़ रूपये है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू. 5 करोड, वर्ष 2017–18 में 10 करोड़ एवं वर्ष 2018–19 में 5 करोड़ की किश्त प्राप्त हुई।
- विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक, कर्मचारियों के लिए बीमा योजना, शिक्षक कक्ष आदि का विकास किया जाना।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

स्थापना वर्ष	1962
संघटक महाविद्यालय	06
संबद्ध महाविद्यालय	186

वेबसाइट	http://www.mlsu.org/
सम्पर्क सूत्र	Tel: 0294-2470166 Fax:0294-2470707
कार्य क्षेत्र के जिले	चित्तौड़गढ़, राजसमन्द ,उदयपुर व सिरोही

दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु वर्ष 1962 में एक अधिनियम द्वारा उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (तत्कालीन उदयपुर विश्वविद्यालय) की स्थापना एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में की गई। विश्वविद्यालय वृहत् पैमाने पर आदिवासी आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले अरावली क्षेत्र में स्थित है। विश्वविद्यालय अपनी स्थापना से ही शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक सोच पैदा करने, उच्च नैतिक मूल्यों को बनाये रखने और उच्च शिक्षा के उभरते क्षेत्रों के साथ तालमेल रखने में विश्वविद्यालय विशेष रूप से कटिबद्ध है। उच्च शिक्षा, शिक्षण एवं अनुसंधान आदि क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गो के समग्र सामाजिक, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के कारण विश्वविद्यालय क्षेत्र का सर्वाधिक इच्छित उच्च शिक्षण संस्थान है। विश्वविद्यालय ने विविध विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए क्षेत्र के पिछड़े, गरीब एवं कमजोर लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय में स्थापित 'यूजीसी महिला अध्ययन केन्द्र' और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 'जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र' में महिलाओं के सशक्तिकरण, लैगिंक समानता एवं बाल विकास के क्षेत्र में महती भूमिका निभाई है।

पूर्व में विश्वविद्यालय की उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) ने विश्वविद्यालय को **'ए'** ग्रेड प्रदान की है। वर्तमान में मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र राज्यीय विश्वविद्यालय है जिसे यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर नेक के द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र 25 है। इस दृष्टि से यह विश्वविद्यालय वर्तमान में राष्ट्र के अग्रणी विश्वविद्यालयों में सम्मिलित है।

अधिक कुशल और रोजगार योग्य मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्तमान पाठ्यक्रम की नियमित समीक्षा व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता रखने वाले नये पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य विश्वविद्यालय की एक प्रमुख गतिविधि है। अन्तर–अनुशासनात्मक और उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शैक्षिक गुणवत्ता के उच्च स्तर को बनाये रखने के लिए शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सहज एवं प्रभावी तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाया गया है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व सिरोही जिले सहित 186 महाविद्यालय/संस्थान इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं तथा विश्वविद्यालय के निम्नलिखित 6 संघटक महाविद्यालय हैं:

1. विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर।
2. पृथ्वी विज्ञान संकाय महाविद्यालय, उदयपुर।
3. विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय, उदयपुर।
4. विश्वविद्यालय प्रबन्ध अध्ययन संकाय, उदयपुर।
5. विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, उदयपुर।
6. विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय, उदयपुर।

जनशक्तिः शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्रोफेसर	26	06	20
2	एसोसिएट प्रोफेसर	51	22	29
3	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	181	158	23
4	अशैक्षणिक पद	491	303	188
	योग	**749**	**489**	**260**

विद्यार्थी–नामांकनः विश्वविद्यालय के विभागों एवं संघटक महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों का नामांकन शैक्षणिक सत्र 2020–21 में स्नातक प्रथम वर्ष में 3196 है व स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में सम्बद्ध 186 महाविद्यालय/संस्थानों में लगभग 1,90,000 विद्यार्थी विभिन्न संकायों में अध्ययनरत हैं।

संचालित संकाय एवं विषयों का विवरणः विश्वविद्यालय में विज्ञान, अर्थ–साइन्स, वाणिज्य, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबंध अध्ययन, विधि एवं शिक्षा संकाय संचालित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, फार्मेसी, जैव–तकनीकी, पोलिमर विज्ञान, भू–विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भूगोल, लेखा एवं सांख्यिकी, व्यवसाय प्रशासन, बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र, एम.बी.ए.– वित्तीय सेवा प्रबंधन, मुख्य एवं सहायक ई–कॉमर्स ग्रामीण प्रबंध, सामाजिक कार्य, जन संचार, एम.टी.एम., बी.एच.एम., अर्थशास्त्र, संस्कृत साहित्य, राजस्थानी, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, उर्दू, मनोविज्ञान, जैन विद्या एवं प्राकृत, इतिहास, लोक प्रशासन, हिन्दी, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, पत्रकारिता, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, दृश्य कला, विधि स्नातक, विधि निष्णात, श्रम विधि, श्रम कल्याण एवं कार्मिक प्रबंध डिप्लोमा, कला एवं विधि स्नातक एकीकृत, वाणिज्य एवं विधि स्नातक एकीकृत आदि उपलब्ध हैं जिनमें स्नातक से पीएच.डी. तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

वित्तीय प्रबन्धः आय–व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

आय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	आय–राज्य निधि (योजनाएं)	व्यय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	व्यय–राज्य निधि (योजनाएं)
5500.01	0.00	5500.01	0.00

वित्तीय वर्ष 2020–21 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- वर्ष 2020–21 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा चुने हुए 1000 विश्वविद्यालयों की NIRF रैंकिंग लिस्ट में विश्वविद्यालय ने 178वां स्थान प्राप्त किया है।
- विश्वविद्यालय द्वारा देश के अग्रणी शोध संस्थानों और तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों के साथ एम.ओ.यू. किए गए, उच्च स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर स्थापना की जा रही है, इंटर –डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढावा देने के साथ स्थानीय कला, कौशल एवं स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- विश्वविद्यालय द्वारा कोविड–19 के मध्यनजर समस्त सरकारी निर्देशों की पालना करते हुये सूचना तकनीकी के सहयोग से निरंतर ऑनलाइन कक्षाएँ आयोजित की गयी। शिक्षण के साथ ही परीक्षाओं के आयोजन और तत्परतापूर्वक परिणाम घोषित करने के भी समुचित प्रयास किए गए।

- आर्टिफिशियल इंटलिजेंस (कृत्रिम बुद्धि) का इस्तेमाल करने में भी अभूतपूर्व पहल की है। विश्वविद्यालय ने ह्यूमेनाइड रोबोट खरीदने का भी निर्णय लिया है।
- विश्वविद्यालय द्वारा रोजगारपरक ट्रेनिंग देने के लिए एप्पल इंडिया के सहयोग से एप्पल सर्टिफाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई।
- विश्वविद्यालय द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद्, भारत सरकार के सहयोग से नई राष्ट्रीय नीति के सफल क्रियान्वयन के लिये सम्बद्ध व संघटक महाविद्यालयों में 154 वेबिनार्स का आयोजन किया गया।
- विश्वविद्यालय ने सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षित विशेषज्ञ प्रदान करने के लिए फौरंसिक और मिलिट्री साइंस जैसा महत्वपूर्ण विषय शुरू करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने NEP के अन्तर्गत PG, UG, Diploma एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों का संचालन आरंभ कर लिया है।
- विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी के सहयोग से नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत मास्टर ऑफ वोकेशन इन अकाउटिंग (एम.वोक.) का रोजगारपरक पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है।
- विश्वविद्यालय में जियोस्पेशियल स्किल डवलपमेंट सेंटर और उद्यमिता केन्द्र की स्थापना की गयी है।
- विश्वविद्यालय के संविधान पार्क का 26 नवम्बर, 2020 को महामहिम के करकमलों द्वारा शिलान्यास किया गया।
- विश्वविद्यालय द्वारा सभी संकाय और विषयों में 'आनन्दम्' का पाठ्यक्रम लागू किया गया। विश्वविद्यालय ने प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउण्ट आबू एवं अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के साथ छात्रों के नैतिक और चारित्रिकी व्यक्तित्व विकास हेतु कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एम.ओ.यू. किए।
- परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढाने के लिए विश्वविद्यालय ने अपने परीक्षा विभाग का तकनीकी तौर पर आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने नेशनल एकेडेमिक डिपोजिटरी में अब तक लगभग 02 लाख उपाधियों को अपलोड कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है।
- वर्ष 2020–21 में विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा राज्य परियोजना निदेशालय रूसा के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा–2 के तहत 50 करोड रूपये की स्वीकृति राशि प्राप्त हुई है।
- विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न विषयों पर कॉन्फ्रेंस/सेमीनार/वेबीनार/ई–व्याख्यानमालाओं का आयोजन किया गया।

वर्ष 2021–22 की भावी योजनाः

- MOOC पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में क्रेडिट हस्तान्तरण।
- विभिन्न संकायों में प्रमाण–पत्रीकरण प्रारम्भ किया जाना।
- बेचलर ऑफ वोकेशन की स्नातक डिग्री को विभिन्न संकायों में प्रारम्भ करना।
- विश्वविद्यालय क्रिया–कलाप को पेपरलेस बनाना एवं ऑनलाइन परीक्षाएँ आयोजित कराना।
- कुछ संकायों में प्रयोग के तौर पर पीएच.डी. शोध हेतु कोर्स–वर्क को और अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास।
- विश्वविद्यालय कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति का केन्द्रीयकरण करना।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

स्थापना वर्ष	1987
संघटक महाविद्यालय	0
संबद्ध महाविद्यालय	320

वेबसाइट	http://www.mdsuajmer.ac.in/
कार्य क्षेत्र के जिले	अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर व टोंक

अजमेर विश्वविद्यालय की स्थापना विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा 1 अगस्त 1987 को हुई तथा 5 मई 1992 को इसका नामकरण महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर कर दिया गया। विश्वविद्यालय का यू.जी.सी. एक्ट 1956 के अंतर्गत धारा 12(बी) में 1993 में पंजीयन हुआ। विश्वविद्यालय ने अल्प समय में तीव्र गति से अपने संसाधनों का विकास किया है, जैसे– सुंदर भवन, उच्च तकनीक प्रयोगशाला, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कम्प्यूटर सेंटर, पुस्तकालय, प्रशासनिक भवन, परीक्षा भवन, कुलपति सचिवालय, छात्र–छात्राओं हेतु पृथक–पृथक छात्रावास एवं अन्य शैक्षणिक विभाग स्थापित हैं। विश्वविद्यालय को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बैंगलोर द्वारा पुनः B++ स्तर प्राप्त है। वर्तमान में विश्वविद्यालय से 104 शिक्षक–प्रशिक्षण/शारीरिक शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं 216 सामान्य महाविद्यालय, कुल 320 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय इन्फ्लिब्नेट एवं शोध गंगा से पूरी तरह सज्जित है। NMEICT Project के तहत नेटवर्किंग उपलब्ध है।

जनशक्तिः विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग के पदों का विवरण निम्नानुसार हैः

वर्ग	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
शैक्षणिक वर्ग	48	16	32
अशैक्षणिक वर्ग	335	247	88

विद्यार्थी–नामांकनः विश्वविद्यालय का कोई भी संघटक महाविद्यालय नहीं है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 20 शैक्षणिक विभाग एवं भारत की योजनान्तर्गत उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय का एक स्वायत्त केन्द्र भी संचालित है। इसमें सिंधु शोधपीठ, पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केन्द्र, डॉ. भीमराव अम्बेडकर शोध पीठ एवं शैवाल जैव ऊर्जा एवं जैव अणु केन्द्र स्थापित है एवं गत वर्ष महर्षि दयानन्द शोध पीठ की स्थापना की गयी। कोविड–19 के कारण सत्र 2020–21 के परीक्षा आवेदन–पत्र भरवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

संचालित संकाय एवं विषयों का विवरणः विश्वविद्यालय में कला संकाय, ललित कला संकाय, समाज विज्ञान संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, विधि संकाय, शिक्षा संकाय, वैदिक अध्ययन संकाय एवं पत्रकारिता तथा जनसंचार संकाय संचालित हैं।

वित्तीय प्रबन्धः आय–व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

आय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	आय–राज्य निधि (योजनाएं)	व्यय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	व्यय–राज्य निधि (योजनाएं)
595.01	0.00	595.01	0.00

वर्ष 2020–21 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँः

- परीक्षा से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी छात्रों एवं महाविद्यालयों को वैबसाईट व ई–मेल द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही है।
- विश्वविद्यालय में बारकोड उत्तरपुस्तिकाऐं उपयोग में ली जा रही हैं। विश्वविद्यालय में समस्त संकाय की परीक्षाएं यथा कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, शारीरिक शिक्षा, प्रबन्ध अध्ययन एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं बारकोड पद्धति अपनाते हुए पूर्ण गोपनीयता के साथ कार्य सम्पादित की जा रही है।
- अनिवार्य विषय की परीक्षाएं वैकल्पिक MCQ pattern को आधार बनाकर OMR पद्धति से करवायी जा रही हैं जिससे परीक्षा परिणाम की घोषणा शीघ्रता से हो और सुविधाजनक भी हो सके।
- विद्यार्थियों को कम्प्यूटराइज्ड दस्तावेज यथा मार्कशीट, प्रव्रजन प्रमाण पत्र, प्रोवीजनल सर्टिफिकेट आदि जारी किये जा रहे हैं।
- परीक्षा से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी छात्र–छात्राओं को ई–मेल आई.डी. पर उपलब्ध करवायी जा रही है ।
- विश्वविद्यालय में NMEICT परियोजना के तहत सभी भवनों में IGBPS Internet उपलब्ध है और कैम्पस में WiFi की सुविधा है। विश्वविद्यालय राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री helpline और Rajasthan Online छात्रवृत्ति पोर्टल से जुड़ा हुआ है।
- संबद्ध महाविद्यालय के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कम्प्यूटराइज्ड दस्तावेज यथा अंकतालिका, प्रव्रजन प्रमाण पत्र, प्रोवीजनल सर्टिफिकेट आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिवस को ही उपलब्ध करवाये जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।
- राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर विभिन्न विद्यार्थियों की समस्याओं/प्रार्थना पत्रों का तुरन्त निस्तारण करवाकर प्रत्युत्तर सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दिया जा रहा है।

वर्ष 2021–22 की भावी योजनाः

- मार्च–2019 से कोविड–19 संक्रमण फैलने एवं उसके पश्चात् विश्वविद्यालय के कुलपति के निलम्बित हो जाने के कारण भावी योजना स्वीकृति पश्चात् प्रवृत्त किया जाना प्रस्तावित है ।

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

स्थापना वर्ष	2003
संघटक महाविद्यालय	0
संबद्ध महाविद्यालय	193

वेबसाइट	http://www.uok.ac.in/
कार्य क्षेत्र के जिले	कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ सवाई माधोपुर व करौली

कोटा विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 2003 में हुई। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय से कोटा व भरतपुर प्रशासनिक संभाग के 6 जिलों– कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, करौली व सवाईमाधोपुर के 190 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं, जिनमें लगभग 2,60,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह विश्वविद्यालय वर्तमान में नवनिर्मित तीन भवनों में संचालित हो रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नवम्बर 2012 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक्ट के अन्तर्गत 12बी का दर्जा प्राप्त हुआ तथा नैक से विश्वविद्यालय को सितम्बर 2017 में 'बी' ग्रेड प्राप्त हुआ है। नेशनल इन्स्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेम वर्क (एनआईआरएफ) के इण्डिया रैंकिंग 2017 में विश्वविद्यालय को 78वीं रैंक प्राप्त हुई है।

जनशक्तिः शैक्षणिक संवर्ग के पदों की स्थिति निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	पद का नाम	वर्तमान में स्वीकृत पद		
		कुल पद	भरे हुये पद	रिक्त पद
01	प्रोफेसर	06	03	03
02	एसोसिएट प्रोफेसर	15	08	07
03	असिस्टेंट प्रोफेसर	21	12	09
	कुल योग	**42**	**23**	**19**

विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक संवर्ग में 136 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 106 पद भरे हुए तथा 30 पद रिक्त हैं।

विद्यार्थी–नामांकनः विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में सत्र 2020–21 में कुल 206 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है।

संचालित संकाय एवं विषयों का विवरणः विश्वविद्यालय में छः संकाय संचालित हैं–कला, वाणिज्य एवं प्रबन्धन, शिक्षा, विधि, विज्ञान एवं समाजिक विज्ञान। कोटा विश्वविद्यालय परिसर में विज्ञान संकाय एम.एससी. रसायनशास्त्र, एम.एससी. भौतिकी, एम.टेक–सौर उर्जा, मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स,एम.एससी. जीव विज्ञान,एम.एससी. वन्यजीव विज्ञान,एम.एससी. वनस्पति शास्त्र, एम.एससी. प्राणी शास्त्र, एम.एससी. गणित,एम.एससी. जैव–प्रोद्यौगिकी, एम.एससी. माइक्रोबायोलॉजी,बी.एससी. भौतिकी,बी.एससी. जीव विज्ञान, बी.एससी. गणित,बी. फार्मा **वाणिज्य व प्रबधन संकाय** मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.)–आइ.बी., मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम.)–अकाउटिंग एण्ड फाइनेंस,एम.बी.ए.–हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन **सामाजिक विज्ञान संकायः** समाज कार्य में मास्टर डिग्री (एम.एस.डब्लयू), एम.ए. विकास अध्ययन, एम.ए./एम.एससी. भूगोल, एम.ए. इतिहास, एम.ए. अर्थशास्त्र, एम.ए. लोक प्रशासन, एम.ए. धरोहर, पर्यटन, संग्रहालय एवं पुरातत्व विज्ञान,राजस्थान की संस्कृति एवं इतिहास में डिप्लोमा, पर्यटक गाइड में सर्टिफिकेट **शिक्षा संकाय** शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड.), योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में पी.जी. डिप्लोमा **विधि संकायः**मास्टर ऑफ लॉ (एलएल.एम.), विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कम्प्यूटर एप्लीकेशन, जैव रसायन, जैव तकनीकी, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान, गणित, भौतिकी, प्राणिशास्त्र; अंग्रेजी, हिन्दी,

संस्कृत, इतिहास, संगीत, उर्दू, चित्रकला, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, दर्शनशास्त्र, राजस्थानी, सिंधी; ए.बी.एस.टी., व्यवसाय प्रबन्धन, ई.ए.एफ.एम.; बीबीए, वाणिज्य ऑनर्स शिक्षा व विधि संकाय संचालित है। इसके साथ ही डिप्लोमा पाठ्यक्रम– पीजीडीएलएल, पीजीडीसीए, तबला वादन व योग थेरेपी आदि पाठ्यक्रम संचालित हैं।

वित्तीय प्रबन्धः आय–व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

आय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	आय–राज्य निधि (योजनाएं)	व्यय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	व्यय–राज्य निधि (योजनाएं)
135.00	0.00	135.00	0.00

वर्ष 2020–21 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँः

- विश्वविद्यालय परिसर में इस वर्ष निर्मित नवीन भवनों का लोकार्पण एवं प्रस्तावित नवीन भवनों का शिलान्यास माननीय राज्यपाल राजस्थान सरकार एवं कुलाधिपति के द्वारा दिनांक 27/11/2020 को किया गया।
- विश्वविद्यालय में Clean Energy हेतु Resco model पर 79 किलोवॉट क्षमता का सोलर पावर प्लान्ट स्थापित किया गया ।
- विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के संकाय सदस्यों द्वारा ई–कॉन्फ्रेंस, वेबीनारों का आयोजन किया गया व विभिन्न प्रख्यात राष्ट्रीय व अंतर–राष्ट्रीय जर्नल्स में शोध पत्र प्रकाशित किये गये।
- विश्वविद्यालय द्वारा कबड्डी व बैडमिंटन खेलों का आयोजन किया गया जिसमें 74 टीमों द्वारा भाग लिया गया। प्रतियोगिता में कोटा विश्वविद्यालय विजेता रहा।
- विश्वविद्यालय की महात्मा गांधी शोध पीठ ने **MGNCRE** द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2020 को आयोजित एक दिवसीय ऑनलाईन Swachhta Action Plan (SAP) कार्यशाला में भाग लिया।
- विश्वविद्यालय द्वारा एनएसएस के अंतर्गत 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस, 21 सितम्बर 2020 को विश्व शांति दिवस व 26 नवम्बर 2020 को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाईन कार्यक्रमों का आयोजन किया गयां।

वर्ष 2020–21 की भावी योजनाः

- रूसा 2.0 के आंशिक अनुदान से परिसर में कम्प्यूटर सेंटर, केन्टीन बिल्डिंग, कक्षा–कक्षों, प्रयोगशालाओं व नागार्जुन भवन का नवीनीकरण।
- विश्वविद्यालय के स्वंय के आय स्रोतों से प्रस्तावित कार्यः ऑडिटोरियम, 8– 2बीएचके व 8 –3 बीएचके स्टॉफ क्वार्टर्स, तरणताल, निदेशालय शोध भवन का निर्माण, कौशल विकास केन्द्र भवन, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, खेल संकुल के इन्डोर हॉल का रिनोवेशन व वॉलीबाल, टेनिस एवं हैण्डबॉल के खेल मैदान का निर्माण तथा पुस्तकालय का डिजिटलीकरण करना।
- अशैक्षणिक व शैक्षणिक पदों को स्वीकृत कराना, चरणबद्ध रूप से नवीन संबद्ध महाविद्यालयों को प्रारंभ करना, विभिन्न संकायों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करना, नवीन शोध पीठ की स्थापना तथा विश्वविद्यालय में इन्डोर शूटिंग रेंज का विकास करना।:

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर				
स्थापना वर्ष	2003		वेबसाइट ई–मेल	http://www.mgsubikaner.ac.in registrar@mgsubikaner.ac.in academicmgsu@gmail.com
संघटक महाविद्यालय	0		सम्पर्क सूत्र	0151–2970177
संबद्ध महाविद्यालय	449		कार्य क्षेत्र के जिले	बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू

बीकानेर विश्वविद्यालय की स्थापना बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक 2003 के अधिनियम संख्या 13 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग प (क) के द्वारा दिनांक 07 जून 2003 में की गई। राजस्थान राजपत्र क्रमांकः एफ 4(14)विधि/2/2008 दिनांक 3 अक्टूबर 2008 के द्वारा बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर का नाम परिवर्तित कर **''महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर''** किया गया। प्रारम्भ में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय अजमेर से सम्बद्धता प्राप्त 67 महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरित हुए। कालान्तर में निजी महाविद्यालयों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई तथा वर्तमान में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले के 449 महाविद्यालय (35 राजकीय एवं 414 निजी महाविद्यालय) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड पर राज्य सरकार द्वारा आवंटित 1127.07 बीघा भूमि में स्वयं के नवनिर्मित भवन में संचालित हो रहा है।

जन शक्ति : शैक्षणिक वर्ग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र. सं.	विभाग	आचार्य			सह आचार्य			सहायक आचार्य		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	इतिहास	1	0	1	2	0	2	3	2	1
2	अंग्रेजी	1	1	0	2	0	2	3	3	0
3	पर्यावरण विज्ञान	1	0	1	2	2	0	3	3	0
4	कम्प्यूटर विज्ञान	1	0	1	2	0	2	3	3	0
5	सूक्ष्म जीव विज्ञान	1	0	1	2	0	2	3	3	0
6	विधि	1	0	1	2	0	2	8	0	8
7	भूगोल	1	0	1	2	0	2	3	0	3
8	वाणिज्य एवं प्रबन्धन	1	0	1	2	0	2	3	0	3
9	ड्राइंग एवं पेन्टिग	1	0	1	2	0	2	3	0	3
	योग	**9**	**1**	**8**	**18**	**2**	**16**	**32**	**14**	**18**

- विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक वर्ग में कुल 204 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 96 पद भरे हुए तथा 108 पद रिक्त हैं।

विद्यार्थी–नामांकनः विश्वविद्यालय का कोई संघटक महाविद्यालय नहीं है। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा 09 विभाग एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है। वर्ष 2014–15 से विश्वविद्यालय विभागों में सेमेस्टर प्रणाली लागू है। स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम, पूर्वार्द्ध एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। वर्ष 2020–21 में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न 09 विभागों में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 629, उद्यमिता विकास केन्द्र के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या **98** है। स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 09 है।

संचालित संकाय एवं विषयों का विवरणः विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित संकाय एवं विषयों का विवरण निम्नानुसार हैः

संकाय	पाठ्यक्रम / विषय
विज्ञान	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान, जैव तकनीकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, सूचना तकनीकी, सैन्य विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं खाद्य व पोषण विज्ञान।
वाणिज्य	वाणिज्य संकाय में लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन एवं व्यावसायिक प्रशासन
कला	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजस्थानी, उर्दू, पंजाबी, संगीत, दर्शनशास्त्र, चित्रकला।
सामाजिक विज्ञान	लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, परिधान उत्पादन एवं निर्यात प्रबंधन, जैन विद्या एवं जीवन विज्ञान।
विधि	एलएल.बी., एलएल.एम. पांच वर्षीय बी.ए. एलएल.बी. इन्टीग्रेटेड एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम
शिक्षा	बी.एड., बी.पी.एड, एम.एड., बी.एससी., बी.एड. / बी.ए. / बी.ए.बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम), विशेष बी.एड. एवं 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम।

वित्तीय प्रबन्धः आय–व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

आय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	आय–राज्य निधि (योजनाएं)	व्यय–राज्यनिधि (पूर्व दायित्व)	व्यय–राज्य निधि (योजनाएं)
0.01	0.00	0.01	0.00

वर्ष 2020–21 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियांः

- राजस्थान सरकार द्वारा सत्र 2019 में विश्वविद्यालय में तीन नवीन विभाग यथा भूगोल, वाणिज्य एवं प्रबन्धन तथा फाईन आर्ट्स (ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग) की शैक्षणिक पदों सहित स्वीकृति प्रदान की गई।
- संभाग में प्रथम बार इस विश्वविद्यालय बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति से पांच वर्षीय बी.ए. एल एल.बी. इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। साथ ही त्रिवर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम भी पुनः प्रारम्भ किया गया है।
- विद्यार्थियों का मूल्यांकन स्तर सुधारने के लिये सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली लागू की गई।
- कोविड–19 के कारण विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है।

- सत्र 2020–21 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में '' आनन्दम् '' पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।
- राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड–19 के दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराते हुए 28 अक्टूबर, 2020 तक अंतिम वर्षों की 66 कक्षाओं की परीक्षा आयोजित कर दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक समस्त परिणाम जाारी कर दिये।
- उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पूर्ण पारदर्शिता एवं गोपनीयता बनाये रखने हेतु ''बार कोडिंग सिस्टम'' प्रणाली लागू की गई ।
- विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2004 से 2018 तक की उपाधियों का वितरण किया जा चुका है।
- दिनांक 26 दिसम्बर, 2020 को विश्वविद्यालय का पंचम दीक्षान्त समारोह आयोजित हुआ जिसमें परीक्षा वर्ष 2018 की 97806 उपाधि, 01 कुलपति पदक, 50 स्वर्ण पदक, 72 विद्या–वाचस्पति उपाधि प्रदान की गई। दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता माननीय राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय ने की। दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अध्यक्ष, लोकसभा श्री ओम बिरला एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार श्री भंवर सिंह भाटी उपस्थित हुए।
- विश्वविद्यालय परिसर में नव–निर्मित विभिन्न भवनों, श्री राजीव गाँधी विद्यार्थी सुविधा केन्द्र एवं पार्कों का लोकार्पण श्रीमान् बी.डी. कल्ला, माननीय ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, राजस्थान सरकार एवं श्रीमान् भंवर सिंह भाटी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार के कर–कमलों से किया गया तथा परिसर में निर्मित होने वाले महर्षि कपिल इनोवेशन सेन्टर का शिलान्यास किया गया।
- विश्वविद्यालय राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसे अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन का जिम्मा मिला है। विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में 145 पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।
- माननीय राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र एवं माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के अन्तर्गत गोद लिये गए गांव नॉल बडी में दिनांक 16–09–2020 को ''कोरोना जागरूकता शिविर'' का आयोजन किया गया।
- कोविड–19 महामारी से उच्च, तकनीकी एवं कौशल शिक्षा में आए गतिरोध को कम करने एवं विद्यार्थियों को शिक्षा से निरन्तर जोड़कर उनके शैक्षणिक एवं कौशल शिक्षा के उन्नयन को बनाये रखने के उद्देश्य से जून, 2020 में राजस्थान राज्य आई.एल.डी. विश्वविद्यालय से एम.ओ.यू. सम्पादित हुआ।
- दिनांक 05–09–2020 को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनोद कुमार सिंह एवं स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति प्रो. आर.पी. सिंह ने विश्वविद्यालयों के विकास की गतिविधियों को साझा करते हुए एक एम.ओ.यू. सम्पादित हुआ।
- कोविड–19 के तहत विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में शिक्षा की निरन्तरता और ज्ञान की वृद्धि एवं प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय ऑनलाइन वेबिनारों का आयोजन किया गया। इन वेबिनारों में देश–विदेश के शिक्षाविद्, वैज्ञानिक एवं साहित्यकारों ने भाग लिया।

- दिनांक 03 अक्टूबर, 2020 विश्वविद्यालय द्वारा ''महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल व्याख्यानमाला'' का ऑनलाइन आयोजन किया गया। व्याख्यानमाला की अध्यक्षता माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी ने की।
- **''हारेगा कोरोना जीतेगा बीकानेरः** राज्य सरकार द्वारा संचालित हारेगा कोरोना–जीतेगा बीकाणा अभियान के अन्तर्गत दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को विश्वविद्यालय परिसर में **''प्रतिज्ञा''** कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उक्त कार्यक्रम में श्री भंवर सिंह भाटी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. विनोद कुमार सिंह द्वारा विश्वविद्यालय कार्मिकों एवं विद्यार्थियों को कोरोना बचाव के सम्बन्ध में शपथ दिलवाई गई।

वर्ष 2021–22 की भावी योजना :

- राज्य सरकार से नवीन रोजगारोन्मुखी विभागों की स्वीकृति उपरान्त प्रारम्भ करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति उपरान्त महाविद्यालय विकास परिषद् (सी.डी.सी.) एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र(एच.आर.डी.सी. –शिक्षकों/कार्मिकों के उन्नयन एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिए) की स्थापना एवं विश्वविद्यालय का NAAC से निरीक्षण करवाना।
- विश्वविद्यालय में माइक्रो रिसर्च एवं बहु–संख्यक विषयों में शोध को बढ़ावा देना, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऑनलाइन दस्तावेजों के प्रमाणीकरण (सत्यापन) की प्रक्रिया प्रारम्भ करना, विश्वविद्यालय में स्वीकृत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की योजना।
- विश्वविद्यालय द्वारा Placement Policy निर्धारित कर विद्यार्थियों को उनकी योग्यतानुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार की रोजगारोन्मुखी योजनाओं यथा Startup India, Stand up India, Make in India इत्यादि के अनुरूप स्व–रोजगार के लिए विद्यार्थियों को सहायता करने की योजना।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

स्थापना वर्ष	1987
अध्ययन केन्द्र	83

Website	http://vmou.ac.in/default.asp
क्षेत्रीय केन्द्र–7	अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (पूर्व नाम कोटा खुला विश्वविद्यालय) की स्थापना केन्द्र सरकार की नवीन शिक्षा नीति–1986 की अनुपालना के क्रम में राज्य में परम्परागत शिक्षा पद्धति के साथ–साथ दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विकास हेतु वर्ष 1987 में राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम द्वारा की गई। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के तहत मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा पत्राचार अध्ययन प्रणाली के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय की स्थापना के समय पत्राचार अध्ययन पद्धति में समन्वय के उद्देश्य से राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पत्राचार अध्ययन संस्थानों को उनकी चल–अचल सम्पत्ति सहित वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में सम्मिलित कर दिया था, तब से लेकर अब तक यह विश्वविद्यालय राज्य में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से राज्य के दूर दराज एवं आदिवासी इलाकों में उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु निरंतर प्रयासरत है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के उद्देश्य के अनुरूप विश्वविद्यालय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी हद तक सफल रहा है। विश्वविद्यालय के 7 क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं भरतपुर हैं एवं सम्पूर्ण राजस्थान में 83 अध्ययन केन्द्र हैं, जिनके माध्यम से उच्च शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने का प्रयास विश्वविद्यालय कर रहा है।

जन शक्तिः विश्वविद्यालय में शैक्षणिक 37 पद स्वीकृत, 21 पद भरे हुए एवं 16 पद रिक्त हैं तथा अशैक्षणिक स्वीकृत पद 301 हैं, जिनमें से 233 पद भरे हुए एवं 68 पद रिक्त हैं।

विद्यार्थी–नामांकनः वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से शिक्षा प्रदान किये जाने के कारण इस विश्वविद्यालय में कोई संघटक महाविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय में वर्ष में दो बार जुलाई एवं जनवरी में प्रवेश दिया जाता है। विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नामांकन (जुलाई 2019 व जनवरी 2020) निम्नानुसार हैः–

जुलाई 2019

संकाय	सामान्य		एस.सी.		एस.टी.		ओ.बी.सी.		दिव्यांग	योग		कुल योग
	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं		छात्र	छात्राएं	
स्नातक	7424	3928	6627	2937	2067	1002	24521	14358	351	40639	22225	**62866**
स्नातकोत्तर	5250	5587	4197	2085	1935	980	12447	8412	385	23829	17064	**40893**
डिप्लोमा, प्रमाण पत्र	2009	1458	1226	668	914	539	4900	2660	92	9049	5325	**14374**
योग	**14683**	**10973**	**12050**	**5690**	**4916**	**2521**	**41868**	**25430**	**828**	**73517**	**44614**	**118133**

जनवरी 2020

संकाय	सामान्य		एस.सी.		एस.टी.		ओ.बी.सी.		दिव्यांग	योग		कुल योग
	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं		छात्र	छात्राएं	
स्नातक	2309	1333	1558	774	724	450	6439	3456	127	11340	6099	**17439**
स्नातकोत्तर	2981	2904	1893	1030	1079	562	6075	4314	194	12439	8960	**21399**
डिप्लोमा, प्रमाण पत्र	673	570	350	194	278	133	1268	688	43	2682	1633	**4316**
योग	5963	4807	3801	1998	2081	1145	13782	8458	364	26461	16692	43154

वर्तमान में संचालित संकाय एवं विषयों का विवरण :

पाठ्यक्रम	कुल	विषय
स्नातकोत्तर कार्यक्रम	25	अर्थशास्त्र, शिक्षा, राजनीति विज्ञान, हिन्दी, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अंग्रेजी, पत्रकारिता, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संस्कृत, भूगोल, वाणिज्य, गणित (कला), मनोविज्ञान, राजस्थानी, कम्प्यूटर साईंस, सामाजिक कार्य, गणित (विज्ञान), व्यावसायिक प्रशासन, प्राणि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान
स्नातक	10	कला, विज्ञान, वाणिज्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, पत्रकारिता स्नातक, पत्रकारिता लेटरल, व्यावसायिक प्रशासन, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, सामाजिक कार्य एवं शिक्षा।
स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	10	पीजीडीसीए, पीजीडीजीएन, पीजीडीएलएल, पीजीडीडब्ल्यूआरए, पीजीडीसीएए, पीजीडीजीसी, पीजीडीएनएम, पीजीडीसीएल, पीजीडीआईपीआर, व पीजीडीवीईएस ।
डिप्लोमा कार्यक्रम	11	कल्चर एण्ड ट्यूरिज्म, लाईब्रेरी एण्ड इन्फोर्मेशन साईंस, सोशियल प्रॉब्लम्स इन राजस्थान, डिप्लोमा इन वॉटरशेड मैनेजमेन्ट, प्राकृत लेंग्वेज, अपभ्रंश लेंग्वेज, जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन, जनरल एग्रीकल्चर, न्यूट्रीशन एण्ड हैल्थ एज्यूकेशन, नेचुरोपेथी साइंस व योगा साइंस।
प्रमाण पत्र कार्यक्रम	16	राजस्थानी लैंग्वेज एण्ड कल्चर, पंचायतीराज प्रोजेक्ट, अवेयरनेस ऑफ गांधीयन मेथड, प्राकृत लैंग्वेज, अपभ्रंश लैंग्वेज, प्रोग्राम इन महात्मा गांधी नरेगा मेट, कन्ज्यूमर लॉ प्रोटेक्शन, ह्यूमन राईट्स, फूड एण्ड न्यूट्रीशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, फंक्शनल इंग्लिश, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, टीचिंग इन इंग्लिश, फलित ज्योतिष, बैंकिंग एण्ड इन्श्योरेंस लॉ व आयुर्वेद पंचकर्म।

वित्तीय प्रबन्धः आय–व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

आय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	आय–राज्य निधि (योजनाएं)	व्यय–राज्यनिधि (पूर्व दायित्व)	व्यय–राज्य निधि (योजनाएं)
900.00	0.00	900.00	0.00

वर्ष 2020–21 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँः

विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा स्वयं के स्रोतों से आय द्वारा विश्वविद्यालय के खर्चों का वहन करते हुये स्वयं के आय के स्रोतों में वृद्धि की है, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय आर्थिक मामलों में वर्तमान में पूर्णतयाा आत्म निर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

वर्ष 2021–22 की भावी योजनाः

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अध्ययन केन्द्र का विस्तार करना, संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों को विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अपडेट करवाना, सभी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम Moodle Platform पर चलाना तथा विश्वविद्यालय के कुछ पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन मोड में चलाना, विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय मूल्याकंन एव ंप्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा मूल्यांकन एव ंप्रत्यायन करवाना, विश्वविद्यालय के प्रवेश एवं परीक्षा परिणाम में वर्तमान में संचालित सूचना एवं प्रौद्योगिकी को अद्यतन करना एवं विश्वविद्यालय के अन्य क्षेत्रों में भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रयास करना तथा लाइब्रेरी की सुविधा का विस्तार कर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर

स्थापना वर्ष	1999
e-mail	nlu-jod-rj@nic.in

Website	http://www.nlujodhpur.ac.in/
Phone	0291-2577530, 2577526

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रदेश में विधि शिक्षा के प्रसार हेतु राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर की स्थापना अधिनियम संख्या 22 के अन्तर्गत वर्ष 1999 में की गई। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का प्रथम शैक्षणिक सत्र 15 जुलाई, 2001 से विधिवत् चालू किया गया। विश्वविद्यालय का कोई भी संघटक अथवा सम्बद्धक महाविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक एवं अधिस्नातक स्तर के विभिन्न प्रकार के नियमित पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विद्यार्थियों का नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर पर **कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट** के तहत देश के विभिन्न स्थानों पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर उसकी मेरिट के आधार पर निर्धारित संख्या में विधार्थियों को प्रवेश दिया जाता रहा है। विश्वविद्यालय में अधिस्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पूर्व वर्षों की भाँति इस वर्ष भी निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जाकर मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। चूंकि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर एक आवासीय विश्वविद्यालय है। अतः प्रवेशोपरान्त प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय परिसर में स्थित छात्रावास में रहना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों एवं छात्राओं हेतु अलग–अलग छात्रावास निर्मित हैं, विश्वविद्यालय से कोई कॉलेज सम्बद्ध नहीं है।

विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को उच्च क्वालिटी की विधि शिक्षा प्रदान करने हेतु एक उच्च स्तरीय ई–लाईब्रेरी स्थापित कर रखी है। जहां ऑनलाइन लाईब्रेरी सुविधा के साथ–साथ प्रत्येक विद्यार्थी को इंटरनेट सुविधा मुहैया करवाई गई है। यही नहीं विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक लिंग्वाफोन लाईब्रेरी भी संचालित हैं। विश्वविद्यालय अपने यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों को उच्चकोटि की विधि शिक्षा प्रदान करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक रूप से लगभग 35 लाख रूपये ऑनलाइन डाटा बेस के लिये भुगतान किया जा रहा है। पुस्तकालय मे 20,000 से अधिक पुस्तकें हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर 2018 में National Digital Library में शामिल हो गया है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् विश्व के प्रख्यात विश्वविद्यालयों जैसे हावर्ड, आक्सफोर्ड, एल.एस.एफ एवं येल में उच्च शिक्षा हेतु दाखिला लेते हैं।

जन शक्तिः विश्वविद्यालय में 39 शैक्षणिक पदों पर एवं 151 अशैक्षणिक पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

विद्यार्थी–नामांकनः विभाग एवं संघटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–21 में विद्यार्थियों का नामांकनः

स्नातक–एलएल.बी.(ऑनर्स)		स्नातकोत्तर		पीएच.डी.	
पाठ्यक्रम	**नामांकन**	**पाठ्यक्रम**	**नामांकन**	**पाठ्यक्रम**	**नामांकन**
बी.ए.– एलएल.बी. ऑनर्स	120	एम.बी.ए. (बीमा)	20	पीएच.डी. (लॉ)	06
		एलएल.एम. (कार्पोरेट लॉ)	24		
		एलएल.एम. (आई.पी.आर.)	25		
योग	**120**	**योग**	**69**	**योग**	06

संचालित संकाय एवं विषयों का विवरणः

स्नातक	स्नातकोत्तर	अन्य
पंचवर्षीय एकीकृत बी.ए., एलएल.बी. (ऑनर्स) एवं बी.बी.ए., एलएल.बी. (ऑनर्स)	एकवर्षीय एलएल.एम.– कार्पोरेट लॉ, आई.पी.आर. लॉ	एम.बी.ए. इन्श्योरेन्स , पीएच.डी. (लॉ)

वित्तीय प्रबन्धः आय–व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

आय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	आय–राज्य निधि (योजनाएं)	व्यय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	व्यय–राज्य निधि (योजनाएं)
0.01	0.00	0.01	0.00

वर्ष 2020–21 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँः

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों हेतु रेंकिंग जारी की जिसके तहत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर देश के सर्वश्रेष्ठ लॉ विश्वविद्यालयों में पांचवां स्थान (NIRF) रैंकिग में प्राप्त हुआ है।
- विश्वविद्यालय का तेरहवाँ दीक्षान्त समारोह 19 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया था। समारोह की अध्यक्षता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं कुलाधिपति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर आदरणीय श्री इन्द्रजीत मोहन्ती द्वारा की गई।
- विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा कोविड–19 की विषम परिस्थितियों से प्रभावित गरीब–मजदूरों के लिये एन.जी.ओ. – Prayer Centre for Labour Research and Action (CLRA) की मदद से विशेष ट्रेन का प्रबन्ध किया।
- विश्वविद्यालय में स्थापित विभिन्न केन्द्रों द्वारा ऑनलाइन वेबिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सिम्पोजिया, ट्रेनिंग कार्यक्रम इत्यादि का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
- विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर आई.पी. स्टडीज द्वारा ट्रेडमार्क प्रेक्टिस पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स अक्टूबर 17 से नवम्बर 8, 2020 तक की अवधि में आयोजित किया गया।
- Indian Technical and Economic Cooperation, Ministry of External Affairs भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, ज्यूडिशल ऑफिसर, नेपाल के लिए दिनांक 2–9 मार्च 2020 को विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया।
- विश्वविद्यालय में Centre for Advanced Research and Training in Arbitration Law (CARTAL) and Indian Journal of Arbitration Law (IJAI) द्वारा पांचवां वार्षिक सम्मेलन दिनांक 9 से 11 अक्टूबर 2020 तक शॉर्क आर्बिटेशन कौंसिल के समर्थन से किया गया ।
- कोविड–19 की वजह से इस वर्ष छात्रों का अध्यापन कार्य ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से किया गया।
- विश्वविद्यालय अपने यहां से उपाधि प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को नामी लॉ फर्म, कॉरपोरेट सेक्टर एवं अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनीयों में प्लेसमेन्ट करवाने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

वर्ष 2021–22 की भावी योजनाः
विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण एवं विकास कार्यः

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत
1.	मुख्य द्वार का नवीनीकरण जैसे स्वागत स्थल, सुरक्षा कक्ष का नवीन निर्माण इत्यादि	40.00 लाख
2.	कॉन्फ्रेंस हॉल, मूट कोर्ट कमरो में फर्नीचर, कारपेट व वॉल पेंटिग का कार्य	45.00 लाख
3.	छात्रावास में आपातकालीन सीढीयों का निर्माण	60.00 लाख
4.	परिसर में वॉलीबाल, बास्केटबॉल व टेनिस कोर्ट के चारो तरफ बाड़ाबन्दी का कार्य	20.00 लाख
5.	परिसर में फुटबॉल मैदान व कोनवोकेशन मैदान के बीच सडक पर हाई मास्क लाईट को लगाना	5.00 लाख
	कुल योग	170.00 लाख

राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

स्थापना वर्ष	2012	Website	http:www.rrbmuniv.ac.in
e-mail	matsyauniv.alwar@gmail.com	Phone	0144-2730321, 2730327, 2980046
सम्बद्ध महाविद्यालय	159	कार्य क्षेत्र के जिले	अलवर

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, अधिनियम 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 27) जो राजपत्र में दिनांक 23 अगस्त, 2012 को प्रवृत्त हुआ है, के द्वारा ''मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर'' की स्थापना की गई। तत्पश्चात् राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.2(14) विधि/2/2014 दिनांक 04.07.2014 द्वारा मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 11) से इस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर ''राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर'' घोषित किया गया है जो मूल प्रवृत्त की दिनांक 23.08.2012 से प्रभावी माना गया है।

जन शक्ति : विश्वविद्यालय में 5 शैक्षणिक विभागों यथा इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, गणित एवं राजनीति विज्ञान के प्रत्येक विभाग में 01 आचार्य, 02 सह आचार्य एवं 03 सहायक आचार्य के अनुसार आचार्य के कुल 05 पद, सह आचार्य के 10 पद एवं सहायक आचार्य के 15 पद कुल 30 पद स्वीकृत किये गये हैं, जिन पर राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी। वर्तमान में विश्वविद्यालय में कुल 53 अशैक्षणिक पद स्वीकृत हैं, जिनमें से कुल 33 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के द्वारा 05 प्राध्यापकों की नियुक्ति इस विश्वविद्यालय के कार्य में सहायतार्थ की गई है। निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर से 01 सहायक लेखाधिकारी एवं 01 कनिष्ठ लेखाकार तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर से 04 सूचना सहायक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित हैं।

विद्यार्थी–नामांकन : विश्वविद्यालय में अभी विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु शैक्षणिक गतिविधियां प्रारम्भ हो गई हैं। विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 के परीक्षार्थियों के नामांकन की कार्यवाही परीक्षा आवेदन पत्र के साथ ही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय नहीं हैं।

संचालित संकाय एवं विषयों का विवरण : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय व निजी महाविद्यालयों में कला, ललितकला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा एवं विधि संकायों के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संबंधित विषय संचालित हैं।

वित्तीय प्रबन्धः आय–व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

आय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	आय–राज्य निधि (योजनाएं)	व्यय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	व्यय–राज्य निधि (योजनाएं)
480.00	0.00	480.00	0.00

वर्ष 2020–21 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँः

- **प्रशासनिक एवं परीक्षा भवन का निर्माणः** इस विश्वविद्यालय को ग्राम हल्दीना, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर में आवंटित **49.70 हैक्टेयर भूमि** पर प्रशासनिक एवं परीक्षा भवन के निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। विश्वविद्यालय भवन के मुख्य द्वार से प्रशासनिक एवं परीक्षा भवन तक सड़क निर्माण होना शेष है।

- **परीक्षाः** विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष परीक्षा 2020 में समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के नियमित परीक्षार्थियों एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों हेतु स्नातक भाग तृतीय, स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध, विधि तृतीय वर्ष व एलएल. एम. द्वितीय वर्ष तथा बी.एड द्वितीय वर्ष एवं डी.लिब., डी.एल.एल. की परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। सभी परीक्षा परिणाम जारी किये जा चुके है। परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों से परीक्षा आवेदन पत्र भरवाये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- **कोरोना जागरूकता कार्यक्रमः** विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गाँव हल्दीना एवं ककराली मेव में कोरोना के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा मास्क एवं सेनेटाईजर का वितरण किया गया।

वर्ष 2021–22 की भावी योजनाः

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन को पूर्ण करवा कर उद्घाटन करवाना।
- सत्र 2021–22 में विश्वविद्यालय द्वारा जॉब ओरिएन्टेड कोर्स प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।
- सत्र 2021–22 में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी परामर्श केन्द्र स्थापित कर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को रोजगार के संबंध मे मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा।
- सत्र 2021–22 में विश्वविद्यालय मे स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जायेगा।
- गुणवत्ता एवं व्यावहारिक शोध को बढ़ावा दिया जायेगा जिसका लाभ अलवर जिले को विशेष रूप से प्राप्त हो।

महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर			
स्थापना वर्ष	2012	Website	http://www.brijuniversity.ac.in
e-mail	brijuniversitybtp@gmail.com	Phone	05644-220560 Fax No. 05644-220560
सम्बद्ध महाविद्यालय	156	कार्य क्षेत्र के जिले	भरतपुर व धौलपुर।

बजट सत्र 2012–13 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा की अनुपालना में ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर की स्थापना हुई। राज्य सरकार के विधि विभाग (ग्रुप–2) की अधिसूचना संख्या प 2 (13)विधि/2/2014 दिनांक 04.07.2014 के अनुसार ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2014 के द्वारा नाम परिवर्तित कर **''महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर''** कर दिया गया है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर के क्षेत्राधिकार निर्धारण के संबंध में गजट अधिसूचना दिनांक 04.03.2015 जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 11.03.2015 को प्रकाशित की गई, के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर की अधिकारिता का विस्तार भरतपुर एवं धौलपुर जिलों में स्थित समस्त महाविद्यालयों पर है।

राज्य सरकार द्वारा ग्राम सकीतरा तहसील कुम्हेर में 20.00 हैक्टेयर भूमि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार को निःशुल्क आवंटित की गई है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि पर चारदीवारी इत्यादि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जुलाई 2020 में निर्माण एजेन्सी RSRDC द्वारा भवन निर्माण पूर्ण कर दिया गया। दिनांक 23 अगस्त 2020 को श्री कलराज मिश्र, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा नवनिर्मित भवन का ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया गया है।

जनशक्तिः विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा 53 अशैक्षणिक कर्मचारियों के पद स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 11 पद भरे हुए हैं एवं 42 पद रिक्त हैं। उपर्युक्त पदों में 15 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 05 पद, एसोसियट प्रोफेसर के 10 पद एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पद स्वीकृत किये गये हैं। इन पदों पर भर्ती नहीं की गई है। स्वीकृत 06 विभागों में Temporary Faculties या Hybrid Board के द्वारा शिक्षक लगाकर शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान समय में 08 शिक्षक, 06 गेस्ट फैकल्टी व 02 शोध छात्र अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु राज्य सरकार से 38 नवीन पदों की मांग की गई है। कार्यालय से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन हेतु 20 लिपिक 12 गार्ड रैक्सको के माध्यम से लगाये गये हैं।

विद्यार्थी–नामांकनः MSB Global Campus विश्वविद्यालय का Residential wing है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में निम्नलिखित स्नातकोत्तर विभाग अर्द्ध स्ववित्तपोषी (Hybrid) आधार पर संचालित हैं। सरकार से विभागों के संचालन हेतु अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है। एलएल.एम.– प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या– 42, बी.ए. एलएल.बी. (5 Year Integrated Course) प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या– 65, चित्रकला– प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या– 28, गृहविज्ञान– प्रवेशित विद्यार्थियों

की संख्या– 53, गणित– प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या– 49, रसायन शास्त्र– प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या– 30 व भौतिकशास्त्र – प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या– 30 है।

संचालित संकाय एवं विषयों का विवरणः विश्वविद्यालय में अर्द्ध स्ववित्तपोषी (Hybrid) आधार पर एलएल.एम., बी.ए.एलएल. बी., चित्रकला, गृह विज्ञान, गणित एवं वर्ष 2020–21 में रसायन शास्त्र एवं भौतिकशास्त्र विषयों में नये स्नातकोत्तर विभाग स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रारंभ किये गये।

वित्तीय प्रबन्धः आय–व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

आय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	आय–राज्य निधि (योजनाएं)	व्यय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	व्यय–राज्य निधि (योजनाएं)
400.00	0.00	400.00	0.00

वर्ष 2020–21 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँः

- माननीय राज्यपाल, राजस्थान के कर कमलों द्वारा विश्वविद्यालय के नवीन भवन का उद्घाटन एवं लोकार्पण ऑनलाइन सम्पन्न कराया गया।
- कोविड–19 वैश्विक महामारी में विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु ऑनलाइन कन्टेन्ट उपलब्ध कराए गए।
- विश्वविद्यालय द्वारा दो नये गाँव– हलैना एवं कठैरा गोद लिये गये, इन गाँवों में स्वच्छता अभियान चलाये गये। गाँव कठैरा में राजकीय विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना प्रस्तावित है। साथ ही विधवा महिलाओं को कम्बल एवं स्वरोजगार प्रोत्साहन हेतु सिलाई मशीनें विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं।
- कोविड–19 महामारी की स्थिति में वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षाएँ कोविड–19 प्रोटोकॉल अनुसार सम्पन्न कराई गईं।
- विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती निर्देशानुसार रोस्टर प्रणाली से की जायेगी।

वर्ष 2021–22 की भावी योजनाः

- राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट एवं आगे उपलब्ध कराये जाने वाले बजट से विश्वविद्यालय की भूमि पर भवन निर्माण के आगामी चरण के अन्तर्गत अकादमिक व आवासीय भवनों आदि के निर्माण की कार्यवाही पूर्ण करना, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती की कार्यवाही पूर्ण करना, नवीन भवन में Smart Class Room, Computer Server किया जाना, विश्वविद्यालय के नये परिसर में विद्युत ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में सोलर प्लान्ट की स्थापना किया जाना, विश्वविद्यालय के नये परिसर में खेलकूद मैदान, इनडोर व आउटडोर स्पोर्ट्स कोर्ट, ऑडिटोरियम एवं आन्तरिक सड़कों व रिंग रोड़ आदि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
- माननीय कुलपति महोदय की विश्वविद्यालय के विकास की योजनाओं में विश्वविद्यालय के सभी अनुभागों, शैक्षणिक विभागों तथा कार्यालयी प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकृत स्वचालन (Computer Automation) सम्मिलित है।
- कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में मॉडल स्कूल स्थापित करना प्रस्तावित है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

स्थापना वर्ष	2012	Website	http://www.shekhauni.ac.in
e-mail	reg.shekhauni@gmail.com	Phone	01572-272100, 273100, 273200
सम्बद्ध महाविद्यालय	539	कार्य क्षेत्र के जिले	सीकर व झुन्झुनूं।

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की स्थापना राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 अक्टूबर 2012 के द्वारा की गई। दिनांक 04.07.2014 की अधिसूचना के द्वारा इस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर'' किया गया। विश्वविद्यालय कार्यालय के कार्य उसके स्वयं के भवन में किये जाने लगे हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय का कोई संघटक महाविद्यालय नहीं है।

जनशक्तिः राज्य सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न अशैक्षणिक 53 पदों का सृजन किया गया है। जिनके विरुद्ध 08 पदों पर कार्मिक कार्यरत एवं 45 पद रिक्त हैं। राज्य सरकार के द्वारा प्रोफेसर के 05 पद, एसोसियट प्रोफेसर के 10 पद एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पद स्वीकृत किये गये हैं। शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

विद्यार्थी–नामांकनः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कुल संख्या 243013 है।

संचालित संकाय एवं विषयों का विवरणः विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा 05 स्नातकोत्तर विभाग यथा– भारतीय भाषाएं, डवलपमेंटल स्टडीज, वाणिज्य, जीवन विज्ञान व लीगल स्टडीज स्वीकृत किये गये हैं। इन पांचों विभागों को शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रारम्भ किया गया। विश्वविद्यालय में कला, समाज विज्ञान, वाणिज्य, विज्ञान, विधि एवं शिक्षा संकाय संचालित है तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य, विज्ञान, कम्प्यूटर एवं प्रबन्ध संकाय संचालित है।

वित्तीय प्रबन्धः आय–व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

आय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	आय–राज्य निधि (योजनाएं)	व्यय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	व्यय–राज्य निधि (योजनाएं)
230.00	0.00	230.00	0.00

विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों का विवरण : राजस्थान सरकार के शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2015 के अनुसार इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सीकर एवं झुंझुनूं जिलों में अवस्थित सभी महाविद्यालयों में विस्तारित किया गया। सत्र 2020–21 के लिए सम्बद्ध किये महाविद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	महाविद्यालयों का विवरण	कुल संख्या
1	बी.एड. महाविद्यालय	163
2	एम.एड. महाविद्यालय	06
3	बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. (चार वर्षीय इन्टिग्रेटेड प्रोग्राम)	92
4	विधि महाविद्यालय	07
5	अकादमिक महाविद्यालय	271
	कुल योग	**539**

वर्ष 2020–21 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां :

- विश्वविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- विश्वविद्यालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयन्ती पर वेबीनार एवं महात्मा गांधी की जयंती पर वेबीनार का आयोजन करवाया गया है।
- विश्वविद्यालय के तत्वावधान में रिसर्च पर छः माह का ऑरियेन्टेशन कोर्स सम्पन्न करवाया गया है।
- कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा आयोजित करवाई गयी।
- गोद लिये गये गांव कोटड़ी धायलान में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय में कम्प्यूटर व प्रिंटर विश्वविद्यालय की ओर से दिये गये। निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया।
- कोविड–19 के मध्यनजर केवल शैक्षणिक सत्र 2020–21 में विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क में 20 प्रतिशत एवं स्ववित्त पोषित से संचालित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती किये जाने का निर्णय लिया गया।

वर्ष 2021–22 की भावी योजना :

- राजभवन के निर्देशानुसार संविधान पार्क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
- विश्वविद्यालय को हरा भरा, पर्यावरण हितैषी (Eco friendly) तथा सुरक्षित परिसर बनाना।
- विश्वविद्यालय में ऑटोमेशन विकास के तहत सभी विभागों को ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पर लाना, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट लैब बनाना तथा सम्पूर्ण कैम्पस को वाई–फाई युक्त बनाना।
- ई–लाइब्रेरी बनाने हेतु कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर इत्यादि आधारभूत सुविधाओं का क्रय किया जाना, लीगल स्टडीज के विद्यार्थियों हेतु लॉ बिल्डिंग का निर्माण, सम्बद्ध महाविद्यालयों को भी स्मार्ट कॉलेज बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना, विश्वविद्यालय में मुख्य द्वार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य, विश्वविद्यालय में ग्रीन एनर्जी के विकास के तहत सोलर पावर प्लांट लगवाया जाना, विश्वविद्यालय परिसर में वेस्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम, पार्किंग, सुविधा केन्द्र एवं कैन्टीन का निर्माण कार्य, छात्र व छात्रा हॉस्टल, गेस्ट हाउस, विद्यार्थी सुविधा केन्द्र का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा

स्थापना वर्ष	2012
संघटक महाविद्यालय	0
संबद्ध महाविद्यालय	143

वेबसाइट ई–मेल	http://www.rgtu.ac.in registrar@ggtu.ac.in
सम्पर्क सूत्र	02962-246180, 244022
कार्य क्षेत्र के जिले	बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर

विश्वविद्यालय की स्थापना राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, अधिनियम 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 31) के तहत प्रारम्भ में तत्कालीन राज्यपाल महोदय से दिनांक 14 अक्टूबर, 2012 प्राप्त अनुमति द्वारा उदयपुर में की गई। विश्वविद्यालय का प्रथम शैक्षणिक सत्र 2014–15 दिनांक 09 अगस्त, 2014 को **''अंतर्राष्ट्रीय देशज दिवस''** पर प्रारम्भ हुआ। राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 21 अप्रेल 2016 के द्वारा राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर का नाम व मुख्यालय परिवर्तित कर **गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा** कर दिया गया है। दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा ई–लोकार्पण के माध्यम से विश्वविद्यालय के नवीन निर्मित **''महर्षि वाल्मीकि भवन''** का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के पश्चात् माही डेम पर ग्राम बड़वी में विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि पर निर्मित महर्षि वाल्मीकि भवन से समस्त प्रशासनिक एवं परीक्षा सम्बन्धी कार्यों का संचालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय से राजस्थान के दक्षिणांचल क्षेत्र के बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ जिलों के राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों को सम्बद्ध किया गया। विश्वविद्यालय अपनी स्थापना से ही जनजाति क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रयासरत है। विश्वविद्यालय जनजाति के समग्र सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रयासरत है। विश्वविद्यालय शोध के माध्यम से नये ज्ञान के सृजन हेतु भी प्रयासरत है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रम यथा Master of Business Administration (MBA), LL.M, M.Sc., M.A., P.G. Diploma in Yoga, Hotel Management, ESD, Tourism manangment and Fine Arts, B.Voc. Tourism management व कई डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

जनशक्तिः राज्य सरकार के आदेश से विश्वविद्यालय में 30 शैक्षणिक एवं 40 अशैक्षणिक विभिन्न श्रेणी के पद स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में 01 कुलपति, 01 कुलसचिव, 01 वित्त नियंत्रक, 02 कनिष्ठ लेखाकार तथा 01 सहायक लेखाधिकारी कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा 05 कॉलेज व्याख्याता, 01 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी तथा 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

विद्यार्थी–नामांकनः वर्तमान में विश्वविद्यालय में 204 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

वित्तीय प्रबन्धः आय–व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

आय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	आय–राज्य निधि (योजनाएं)	व्यय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	व्यय–राज्य निधि (योजनाएं)
471.00	0.00	471.00	0.00

वर्ष 2020–21 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँः

- विश्वविद्यालय में वैश्विक महामारी कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन वेबीनारों का आयोजन किया गया।
- विश्वविद्यालय में निर्मित ''महर्षि वाल्मीकि भवन'' का ई–लोकार्पण श्री अशोक जी गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा अध्यक्ष डॉ0 सी.पी. जोशी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ0 सुभाष गर्ग, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया, विधायक बागीदौरा श्री महेन्द्र जीत सिंह मालविया एवं विश्वविद्यालय कुलपति प्रो0 आई.वी. त्रिवेदी की उपस्थिति में किया गया।
- माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय द्वारा विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षान्त समारोह वर्चुअल ऑनलाइन माध्यम से किया गया।
- जनजातीय विषय में उत्तम शोध के लिए एक लाख रूपए का पुरस्कार, गोविन्द गुरु अनुसूचित जाति, जनजाति होनहार विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना प्रस्तावित की गई है और जनजाति के रीति रिवाजों तथा परम्पराओं को भी लिपि आबद्ध किया जा रहा है।
- आनन्दम् कार्यक्रम का आयोजन मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के साथ किया गया।
- जनजातीय विवि और मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के बीच एक एमओयू किया गया है, जिसके अनुसार दोनों विवि रिसर्च, फैकल्टी, संसाधन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय का परस्पर उपयोग कर सकेंगे।
- राज्य सरकार के आदेशानुसार बाँसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ के समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आ गये हैं। इन्हें विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान कर दी गई है। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त जिलों के कुल 151 राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान की है।

वर्ष 2021–22 की भावी योजना :

- राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को ग्राम बडवी एवं ग्राम पाडला गणेशीलाल में आवंटित 120.31 बीघा भूमि पर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य प्रस्तावित है।
- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा ग्राम बारी डायलाब में वेद विद्यापीठ की स्थापना हेतु 25 बीघा भूमि विश्वविद्यालय को आवंटित की गई है।

  विश्वविद्यालय में शोध के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना व जनजातीय विषय में श्रेष्ठतम शोध पत्र (मौलिक), के लिए 01 लाख रूपए का नगद पुरस्कार प्रदान करना प्रस्तावित है।

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर

स्थापना वर्ष	2019
e-mail	hju.postal@gmail.com registrar.hju@gmail.com

Phone No. 0141-2710122

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन से दिनांक 01 मार्च, 2019 को हुई है। विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्यालय राजीव गांधी विद्या भवन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर पर स्थित है। विश्वविद्यालय का शैक्षणिक परिसर खासा कोठी, एम.आई.रोड, जयपुर में संचालित है। विश्वविद्यालय का प्रथम शैक्षणिक सत्र 2019–20 में प्रारम्भ किया गया। विश्वविद्यालय में वर्तमान में कोई भी संघटक महाविद्यालय एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय नहीं है।

जन शक्तिः विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ग में 30 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरूद्ध 07 कार्यरत हैं तथा 23 पद रिक्त हैं। अशैक्षणिक वर्ग में 62 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरूद्ध 29 कार्यरत हैं तथा 33 पद रिक्त हैं।

संचालित संकाय एवं विषयों का विवरणः विश्वविद्यालय में वर्तमान में दो संकाय निर्धारित किए गए हैंः पत्रकारिता संकाय एवं जनसंचार संकाय। उक्त संकायों के अधीन संचालित 5 विभाग निम्नानुसार हैंः

S. No.	Faculty	Name of Department	Course
1.	Journalism	Department of Media Studies	1. Ph.D 2. MA-JMC : Print Media 3. Diploma in Functional Hindi 4. Diploma in Functional English 5. Dipioma in Desktop Publishing
		Department of Electronic Media	1. Ph.D 2. MA-JMC: Electronic Media 3. Diploma in Photography
		Department of New Media	MA-JMC : Social Media and Online Journalism
2.	Mass Communication	Department of Media Organigation and Public Relations	MA-JMC: Media Organigation Advertsing and Public Relations
		Department of Development Communication	1. MA-JMC : Development Communication and Social Work 2. Diploma in Develoment Communication
3.	-	-	BA-JMC

विद्यार्थी–नामांकनः विश्वविद्यालय में वर्तमान में 05 विभाग निर्धारित किए गए हैं, इनमें संचालित कक्षाओं में शैक्षणिक सत्र 2020–21 में विद्यार्थियों का नामांकन निम्नानुसार हैः

S.No.	Class	No. of students
1	MA-JMC (Electronic Media)	38
2	MA-JMC (MOAP)	15
3	MA-JMC (Print Media)	13
4	MA-JMC (SMOJ)	09
5	BA-JMC	37

वित्तीय प्रबन्धः आय–व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

आय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	आय–राज्य निधि (योजनाएं)	व्यय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	व्यय–राज्य निधि (योजनाएं)
2900.00	0.00	2900.00	0.00

वित्तीय वर्ष 2020–21 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँः

- विश्वविद्यालय की स्थापना 01 मार्च, 2019 को होने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र इसी वित्तीय वर्ष में 09 सितम्बर 2019 को शुरू किया गया है।
- विश्वविद्यालय को अपने परिसर हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2019 को दहमी कलां सांस्थानिक क्षेत्र, अजमेर रोड, जयपुर में लगभग 31 एकड़ भूमि आवंटित की गई तथा बाउण्ड्रीवाल एवं भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार से राशि रू 500.00 लाख प्राप्त हुए हैं। भवन निर्माण हेतु RSRDC को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है, जिसके द्वारा चारदीवारी निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

वर्ष 2021–22 की भावी योजनाः

- विश्वविद्यालय के भवन का शिलान्यास करवाना।
- विश्वविद्यालय में शोध पाठ्यक्रम चालू करवाना।
- विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करना।
- विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/संभाग स्तरीय सेमिनार/वेबीनार का आयोजन करना।
- विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना तथा उनमें भाग लेना।
- विश्वविद्यालय द्वारा ख्यातिनाम विद्वानों के व्याख्यानों का आयोजन करना।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर

स्थापना वर्ष	2019
e-mail	registrar@alujaipur.ac.in

Website: www.alujaipur.ac.in

संक्षिप्त इतिहासः–विश्वविद्यालय की स्थापना दिनांक 26 फरवरी, 2020 को 2019 अधिनियम संख्यांक 6 के तहत की गयी। साथ ही विश्वविद्यालय के संचालन हेतु अस्थाई कार्यालय 'रूसा भवन' शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग निर्धारित किया गया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(UGC) द्वारा मान्यता प्रदान की गई।

जनशक्ति (शैक्षणिक व अशैक्षणिक मय स्वीकृत व भरे पदों के):

विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉ. देवस्वरूप तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति मार्च, 2020 में की जाकर डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय का विधिवत् संचालन प्रारम्भ किया गया। विश्वविद्यालय में कुल स्वीकृत पद 62 हैं जिसमें से 14 पद प्रतिनियुक्ति के एवं 48 पद सीधी भर्ती के शामिल हैं। प्रतिनियुक्ति के 14 पदों में से 5 पदों (01 कुलसचिव, 01 वित्त नियंत्रक, 01 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, 01 सहायक लेखााधिकारी एवं 01 कनिष्ठ लेखाकार) पर नियुक्ति दी जा चुकी है, प्रतिनियुक्ति के शेष 09 पद रिक्त हैं। सीधी भर्ती के रिक्त 48 पदों पर अविलम्ब भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय निकट भविष्य में 15 शैक्षणिक तथा 33 अशैक्षणिक पदों पर स्थायी नियुक्ति हेतु कार्य योजना बनाकर समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने जा रहा है।

आय–व्ययक अनुमानः

वित्तीय प्रबन्धः आय–व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (राशि लाखों में)

आय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	आय–राज्य निधि (योजनाएं)	व्यय–राज्य निधि (पूर्व दायित्व)	व्यय–राज्य निधि (योजनाएं)
0.03	0.00	0.03	0.00

विश्वविद्यालय के विभाग एवं संघटक महाविद्यालय के विद्यार्थियों के नामांकनः

विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम सत्र 2020–21 की विधिवत् शुरूआत एलएल.एम (एकवर्षीय पाठ्यक्रम) के साथ की गई । जिसमें 40 छात्रों का चयन कर सत्र की शुरूआत की जा चुकी है। जिसमें कोविड–19 के चलते ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। विश्वविद्यालय का आदिनांक तक कोई संघटक महाविद्यालय नहीं है।

वित्तीय प्रबन्धः

अभी संवेतन व गैर संवेतन मदों में ग्रान्ट राज्य सरकार से प्राप्त हो रही है, केवल एलएल.एम (एकवर्षीय) पाठ्यक्रम में 40 विद्यार्थियों से शुल्क राशि 1640000/–प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त आदिनांक तक विश्वविद्यालय की अन्य कोई निजी आय नहीं है। जैसे ही सम्बद्धता का कार्य सम्पन्न होगा निजी आय की शुरूआत हो जायेगी। इसके बाद परीक्षाएं आयोजित करते समय परीक्षा शुल्क से भी निजी आय आना शुरू होगी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

- विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लोकार्पण किया गया तथा विश्वविद्यालय को संचालित करने हेतु अधिनियम के प्रावधान धारा 50 के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय की विधियों, अध्यादेशों व विनियमों को अपनाने के लिए आदेश जारी किया गया।
- विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का विधिवत् गठन किया गया तथा विश्वविद्यालय के प्रभावी संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, निर्णयों की क्रियान्विति प्रगति पर है।

संचालित संकाय एवं विषयों का विवरण:

- विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के समस्त विधि महाविद्यालयों की सम्बद्धता की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
- महाविद्यालयों के लिए विधि पाठ्यक्रम (स्नातक व स्नातकोत्तर) के लिए एक समान पाठ्यक्रम सत्र 2020–21 से लागू किया गया है। जिसमें दो वर्षीय एलएल.एम, तीन वर्षीय एलएल,बी.,बी.ए.–एलएल.बी (पंचवर्षीय इन्ट्रीग्रेटेडकोर्स), पी.जी. डिप्लोमा कोर्स आदि संचालित हैं।

राजस्थान में उच्च शिक्षा : एक विहंगम दृष्टि

1. राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयः

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 1947
(2) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर 1962
(3) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर 1962
(4) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा 1987
(5) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर 1987
(6) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर 1987
(7) महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर 1987
(8) जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर 1998
(9) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर 1999
(10) डॉ सर्वपल्ली राधकृष्णन ्राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर 2002
(11) कोटा विश्वविद्यालय, कोटा 2003
(12) महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर 2003
(13) राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर 2004
(14) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा 2005
(15) राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर 2010
(16) गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा 2012
(17) राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर 2012
(18) महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर 2012
(19) पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर 2012
(20) सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, 2012
(21) श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर 2013
(22) कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, 2013
(23) कृषि विश्वविद्यालय, कोटा 2013
(24) राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर 2017
(25) बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर 2017
(26) हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर 2019
(27) डॉ. भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर 2019

(उपर्युक्त में से रेखांकित संस्थान उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं)

2. विश्वविद्यालयवत् संस्थायें :

(1) बिरला इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइन्स, पिलानी, झुंझुनूं (1964)
(2) बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली, टोंक (1983)
(3) जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर (1987)
(4) जैन विश्वभारती, लाडनूँ,नागौर (1991)
(5) उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर, चूरू (2002)
(6) एल. एन. मित्तल इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जयपुर (2006)
(7) आई. आई. एस. डीम्ड यूनिवर्सिटी, जयपुर (2009)

(उपर्युक्त विश्वविद्यालयवत् संस्थायें उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नहीं हैं)

3 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय :

(1) सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर 2007

(2) जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर 2007

(3) एमिटी विश्वविद्यालय, जयपुर 2007

(4) सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरीबड़ी, झुन्झुनूं 2007

(5) निम्स विश्वविद्यालय, जयपुर 2008

(6) सुरेश ज्ञानविहार विश्वविद्यालय, जयपुर 2008

(7) ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर 2008

(8) भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर 2008

(9) जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर 2008

(10) महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर 2008

(11) मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ 2008

(12) श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुड़ैला, झुन्झुनूं 2008

(13) जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर 2008

(14) होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर 2009

(15) एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना, अलवर 2009

(16) श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना, झुन्झुनूं 2009

(17) डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई, टोंक 2010

(18) पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर, 2010

(19) रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना, अलवर 2010

(20) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर 2011

(21) आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर 2011

(22) जे. के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर 2011

(23) मनीपाल विश्वविद्यालय, जयपुर 2011

(24) प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर 2011

(25) सनराइज़ विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत, अलवर 2011

(26) गीतांजली विश्वविद्यालय,, उदयपुर 2011

(27) अभियांत्रिकी और प्रबन्धन विश्वविद्यालय,, जयपुर 2011

(28) महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर 2012

(29) विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर 2012

(30) करियर पॉइन्ट विश्वविद्यालय, कोटा 2012

(31) जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर 2012

(32) संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा 2012

(33) पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर 2012

(34) मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) 2013

(35) टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर 2013

(36) ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू 2013

(37) मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय,, जोधपुर 2013

(38) पेसिफिक मेडिकल विश्वविद्यालय, उदयपुर 2013

(39) माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा (सिरोही), 2013

(40) आई. आई. एच. एम. आर. विश्वविद्यालय, जयपुर 2013

(41) आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर 2015

(42) महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय,, जयपुर 2015

(43) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर 2015

(44) सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर 2016

(45) निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर 2017

(46) प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,जयपुर 2017

(47) श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) 2018

(48) अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर 2018

(49) श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट (दौसा) 2018

(50) लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) 2018

(51) श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा 2018

4 राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य उच्च शिक्षण संस्थान

- मालवीय नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर(स्थापना 1963, 2002 एम.एन.आई.टी.)
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी), जोधपुर, 2008
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर 2009
- भारतीय प्रबन्धन संस्थान (इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट), उदयपुर, 2011
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए. आई. आई. एम. एस.), जोधपुर 2012
- इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोटा (आई.आई.आई.टी., कोटा) 2013

(उपर्युक्त संस्थायें उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नहीं हैं)

महाविद्यालयों की जिलेवार संख्या एवं विद्यार्थी नामांकन (सत्र 2020–21)

क्र. सं.	जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.	जनसंख्या 2011	संस्थाएं			प्रति महा. जनसंख्या	नामांकन[1]		
				छात्र	छात्राएं	कुल		छात्र	छात्राएं	कुल
अजमेर संभाग										
1	अजमेर	8481	2584913	37	18	55	46998	16392	18706	35098
2	भीलवाड़ा	10455	2410459	30	6	36	66957	11691	11990	23681
3	नागौर	17718	3309234	93	23	116	28528	31754	22333	54087
4	टोंक	7194	1421711	46	11	57	24942	22237	16988	39225
	कुल	**43848**	**9726317**	**206**	**58**	**264**	**36842**	**82074**	**70017**	**152091**
बीकानेर संभाग										
1	बीकानेर	27244	2367745	47	12	59	40131	17616	15447	33063
2	श्रीगंगानगर	10978	1969520	54	20	74	26615	19696	20829	40525
3	हनुमानगढ़	9656	1779650	69	34	103	17278	20909	24429	45338
4	चूरू	16830	2041172	60	23	83	24592	22651	25363	48014
	कुल	**64708**	**8158087**	**230**	**89**	**319**	**25574**	**80872**	**86068**	**166940**
जयपुर संभाग										
1	जयपुर	11588	6663971	247	99	346	19260	107934	111966	219900
2	झुंझुनु	5928	2139658	87	51	138	15505	28764	49923	78687
3	अलवर	8380	3671999	70	31	101	36356	39096	48354	87450
4	सीकर	7732	2677737	112	47	159	16841	52442	55842	108284
5	दौसा	2950	1637226	55	15	70	23389	21743	25909	47652
	कुल	**36578**	**16790591**	**571**	**243**	**814**	**20627**	**249979**	**291994**	**541973**
जोधपुर संभाग										
1	जोधपुर	22850	3685681	72	18	90	40952	13256	13102	26358
2	पाली	12387	2038533	38	6	44	46330	8574	7462	16036
3	सिरोही	5136	1037185	16	1	17	61011	6089	4226	10315
4	बाड़मेर	28387	2604453	59	8	67	38872	14458	7762	22220
5	जालौर	10640	1830151	51	5	56	32681	14842	9324	24166
6	जैसलमेर	38401	672008	8	2	10	67201	2204	1236	3440
	कुल	**117801**	**11868011**	**244**	**40**	**284**	**41789**	**59423**	**43112**	**102535**

(1 नामांकन के आंकड़े सामान्य शिक्षा के 1776 महाविद्यालयों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं)

क्र. सं.	जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.	जनसंख्या 2011	संस्थाएं			प्रति महा. जनसंख्या	नामांकन1		
				छात्र	छात्राएं	कुल		छात्र	छात्राएं	कुल
उदयपुर संभाग										
1	उदयपुर	11687	3067549	55	11	66	46478	8332	15037	23369
2	बांसवाड़ा	4496	1798194	44	8	52	34580	15937	16925	32862
3	चित्तौड़गढ़	8077	1544392	27	4	31	49819	8362	9043	17405
4	डूंगरपुर	3770	1388906	42	6	48	28935	13822	16938	30760
5	राजसमंद	4768	1158283	20	7	27	42899	4446	4894	9340
6	प्रतापगढ़	4144	868231	11	3	14	62017	6045	7443	13488
	कुल	**36942**	**9825555**	**199**	**39**	**238**	**41238**	**56944**	**70280**	**127224**
कोटा संभाग										
1	कोटा	5481	1950491	27	9	36	54180	16671	16036	32707
2	बूंदी	5550	1113725	11	3	14	79552	4860	6195	11055
3	झालावाड़	6219	1411327	14	1	15	94088	4471	5249	9720
4	बांरा	6955	1223921	19	3	22	55633	6496	7951	14447
	कुल	**24205**	**5699464**	**71**	**16**	**87**	**65511**	**32498**	**35431**	**67929**
भरतपुर संभाग										
1	भरतपुर	5066	2549121	70	26	96	26553	24448	24392	48840
2	सवाईमाधोपुर	4987	1338114	23	7	30	44604	8894	9736	18630
3	करौली	5070	1458459	16	3	19	76761	8562	9663	18225
4	धौलपुर	3034	1207293	38	9	47	25687	9409	5685	15094
	कुल	**18157**	**6552987**	**147**	**45**	**192**	**34130**	**51313**	**49476**	**100789**
	महा योग	**342239**	**68621012**	**1668**	**530**	**2198***	**31219**	**613103**	**646378**	**1259481**

(1 नामांकन के आंकड़े सामान्य शिक्षा के 1776 महाविद्यालयों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं)

*राज.विधि महा., डूंगरपुर बीसीआई से मान्यता प्राप्त होने पर प्रारम्भ किया जा सकेगा।

जिलेवार महाविद्यालयों की संख्या सत्र 2020–21 (सशि = छात्र/सहशिक्षा)

क्र. सं.	जिला	राजकीय महाविद्यालय			निजी महाविद्यालय			स्ववित्तपोषी व निजीसहभागितामहाविद्यालय			समस्त महाविद्यालय		
		सशि	छात्राएं	कुल	सशि	छात्राएं	कुल	सशि	छात्राएं	कुल	सशि	छात्राएं	कुल
1	अजमेर	11	2	13	26	15	41	0	1	1	37	18	55
2	भीलवाड़ा	11	1	12	18	5	23	1	0	1	30	6	36
3	नागौर	11	1	12	82	22	104	0	0	0	93	23	116
4	टोंक	6	2	8	40	9	49	0	0	0	46	11	57
योग–अजमेर संभाग		39	6	45	166	51	217	1	1	2	206	58	264
1	बीकानेर	10	1	11	37	11	48	0	0	0	47	12	59
2	श्रीगंगानगर	7	2	9	47	18	65	0	0	0	54	20	74
3	हनुमानगढ़	3	2	5	66	32	98	0	0	0	69	34	103
4	चूरू	9	4	13	51	19	70	0	0	0	60	23	83
योग–बीकानेर संभाग		29	9	38	201	80	281	0	0	0	230	89	319
1	जयपुर	20	4	24	227	95	322	0	0	0	247	99	346
2	झुंझुनु	7	2	9	80	49	129	0	0	0	87	51	138
3	अलवर	18	3	21	52	28	80	0	0	0	70	31	101
4	सीकर	10	3	13	102	44	146	0	0	0	112	47	159
5	दौसा	6	4	10	49	10	59	0	1	1	55	15	70
योग–जयपुर संभाग		61	16	77	510	226	736	0	1	1	571	243	814
1	जोधपुर	12	3	15	60	15	75	0	0	0	72	18	90
2	पाली	10	1	11	28	5	33	0	0	0	38	6	44
3	सिरोही	6	1	7	10	0	10	0	0	0	16	1	17
4	बाड़मेर	13	2	15	46	6	52	0	0	0	59	8	67
5	जालौर	6	1	7	45	4	49	0	0	0	51	5	56
6	जैसलमेर	3	2	5	5	0	5	0	0	0	8	2	10
योग–जोधपुर संभाग		50	10	60	194	30	224	0	0	0	244	40	284
1	उदयपुर	8	2	10	47	9	56	0	0	0	55	11	66
2	बांसवाड़ा	5	1	6	39	7	46	0	0	0	44	8	52
3	चित्तौड़गढ़	10	1	11	17	3	20	0	0	0	27	4	31
4	डूंगरपुर	5	1	6	37	5	42	0	0	0	42	6	48
5	राजसमंद	7	2	9	13	4	17	0	1	1	20	7	27
6	प्रतापगढ़	4	1	5	7	1	8	0	1	1	11	3	14
योग–उदयपुर संभाग		39	8	47	160	29	189	0	2	2	199	39	238
1	कोटा	8	3	11	19	6	25	0	0	0	27	9	36
2	बूंदी	4	1	5	7	2	9	0	0	0	11	3	14
3	झालावाड़	7	1	8	7	0	7	0	0	0	14	1	15
4	बारां	8	1	9	10	2	12	1	0	1	19	3	22
योग–कोटा संभाग		27	6	33	43	10	53	1	0	1	71	16	87
1	भरतपुर	12	2	14	57	24	81	1	0	1	70	26	96
2	सवाईमाधोपुर	6	1	7	17	6	23	0	0	0	23	7	30
3	करौली	7	1	8	9	2	11	0	0	0	16	3	19
4	धौलपुर	8	1	9	30	7	37	0	1	1	38	9	47
योग–भरतपुर संभाग		33	5	38	113	39	152	1	1	2	147	45	192
समस्त राज्य		278	60	338	1387	465	1852	3	5	8	1668	530	2198*

*राज.विधि महा., डूंगरपुर बीसीआई से मान्यता प्राप्त होने पर प्रारम्भ किया जा सकेगा।

जिलों में श्रेणीवार विद्यार्थी नामांकन[1]: 2020–21

क्र. सं	जिला	अनु.जाति		अनु.जनजाति		अ.व वि. पि.जा.		सामान्य एवं EWS		योग			कुल योग में अल्पसंख्यक		
		छात्र	छात्राएँ	छात्र	छात्राएँ	छात्र	छात्राएँ	छात्र	छात्राएँ	छात्र	छात्राएँ	योग	छात्र	छात्राएँ	योग
1.	अजमेर	3837	4095	428	420	8167	8362	3960	5829	16392	18706	35098	985	519	1504
2.	अलवर	7679	9000	4445	5660	18466	22757	8506	10937	39096	48354	87450	1554	1458	3012
3.	बांसवाड़ा	881	849	11839	12930	1950	1838	1267	1308	15937	16925	32862	327	223	550
4.	बांरा	1388	1623	1981	1818	2580	3497	547	1013	6496	7951	14447	237	425	662
5.	बाड़मेर	2732	1303	521	122	7271	4560	3934	1777	14458	7762	22220	388	951	1339
6.	भरतपुर	6186	5592	1033	1149	11470	10963	5759	6688	24448	24392	48840	432	664	1096
7.	भीलवाड़ा	2716	2460	1032	645	5382	5246	2561	3639	11691	11990	23681	247	358	605
8.	बीकानेर	4160	2875	128	106	8280	7318	5048	5148	17616	15447	33063	540	557	1097
9.	बूंदी	1033	1116	991	1320	2324	2910	512	849	4860	6195	11055	92	82	174
10.	चित्तौड़गढ़	1492	1559	944	673	4044	4437	1882	2374	8362	9043	17405	350	504	854
11.	चूरू	5147	5305	279	271	12473	13449	4752	6338	22651	25363	48014	901	786	1687
12.	दौसा	4563	4916	7886	10630	6504	6809	2790	3554	21743	25909	47652	188	361	549
13.	धौलपुर	3701	1059	774	530	2754	1756	2180	2340	9409	5685	15094	89	102	191
14.	डूंगरपुर	842	889	8910	11974	2450	2596	1620	1479	13822	16938	30760	153	188	341
15.	हनुमानगढ़	5812	6827	151	276	10302	12358	4644	4968	20909	24429	45338	1347	932	2279
16.	जयपुर	16806	16458	14553	13809	47494	50954	29081	30745	107934	111966	219900	4145	3487	7632
17.	जैसलमेर	471	212	144	37	814	509	775	478	2204	1236	3440	90	162	252
18.	जालौर	4217	2264	880	314	7607	5213	2138	1533	14842	9324	24166	215	413	628
19.	झालावाड़	1057	920	752	683	2079	2486	583	1160	4471	5249	9720	115	287	402
20.	झुंझुनु	5551	8991	1351	2148	15952	30159	5910	8625	28764	49923	78687	1663	847	2510
21.	जोधपुर	2665	1988	207	77	6855	7069	3529	3968	13256	13102	26358	357	304	661
22.	करौली	2275	2000	1981	3470	3250	2676	1056	1517	8562	9663	18225	140	136	276
23.	कोटा	3487	3102	2513	2207	6936	6624	3735	4103	16671	16036	32707	935	1095	2030
24.	नागौर	6026	3822	250	202	20244	14019	5234	4290	31754	22333	54087	1167	1727	2894
25.	पाली	2186	1711	376	222	4354	3511	1658	2018	8574	7462	16036	366	250	616
26.	प्रतापगढ़	716	773	3353	4355	1323	1473	653	842	6045	7443	13488	138	169	307
27.	राजसमंद	825	935	333	193	2003	2239	1285	1527	4446	4894	9340	103	144	247
28.	सवाईमाधोपुर	2206	1972	2157	3573	3461	2804	1070	1387	8894	9736	18630	699	725	1424
29.	सीकर	9577	9389	3080	3171	30208	32745	9577	10537	52442	55842	108284	1938	1865	3803
30.	सिरोही	1537	848	938	508	2356	1625	1258	1245	6089	4226	10315	74	83	157
31.	श्रीगंगानगर	4706	5334	339	261	8970	9186	5681	6048	19696	20829	40525	1656	1188	2844
32.	टोंक	6580	3447	3634	3939	9542	7520	2481	2082	22237	16988	39225	980	1395	2375
33.	उदयपुर	776	1493	3768	6469	2031	3841	1757	3234	8332	15037	23369	374	690	1064
	योग	**123833**	**115127**	**81951**	**94162**	**279896**	**293509**	**127423**	**143580**	**613103**	**646378**	**1259481**	**22985**	**23077**	**46062**

1 विश्वविद्यालय के विभागों व संघटक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं, तकनीकी, बी.एड. और संस्कृत शिक्षा को छोड़कर सामान्य शिक्षा के 1776 महाविद्यालयों से प्राप्त सूचना पर आधारित।

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर 0141-2751417